न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा) एवं भू–अर्जन अधिकारी रायगढ़ (छ.ग.)

भू–अर्जन प्र.क्र. 45/अ–82/2014–15
ग्राम एकताल प.ह.नं. 08
तहसील पुसौर जिला रायगढ़

महाप्रबंधक,
एनटीपीसी तलाईपाली कोल माईनिंग परियोजना
घरघोड़ा जिला रायगढ़ (छ.ग.) आवेदक

विरूध्द

1 अलेख पि. बिहारी माया बेवा बिहारी जाति गोंड़ सा.देह भूमि स्वामी
2 अग्रवाल बिल्डर एण्ड डेवल्पर्स रायगढ़ भागीदार– विकास पि.गुलाबचंद जाति अग्रवाल सा.मेन हास्पीटल के सामने रायगढ़ भूमि स्वामी
3 कुम्भकरण पि.मानू जाति मिरधा सा.देह भूमि स्वामी
4 गणेशराम पि. लोचन जाति तेली सा.देह भूमि स्वामी
5 जनकराम पि.लोचन जाति तेली सा.देह भूमि स्वामी
6 डिबा पिता पोन्डू जाति मिरधा सा.देह भूमि स्वामी
7 नित्यानंद पिता रामचंद्र जाति कोलता सा.देह भूमि स्वामी
8 पिछालू ,मंगलू, छिनाई पिता अरेष्टी जाति गोंड़ सा.देह भूमि स्वामी
9 वासुदेव, बाबुलाल पिता नाथो, कस्तुरी बेवा नाथो जाति गोड़ सा देह भूमि स्वामी
10 बालकिशन पिता जगदीश प्रसाद केडिया जाति अग्रवाल सा.सावित्री नगर कोतरा रोड रायगढ़, सुरेश पि. तुहीराम जाति अग्रवाल सा. जगतपुर रायगढ, अनिल कुमार पि. मोहनलाल जाति अग्रवाल सा. गौरिशंकर मंदिर रोड रायगढ़ भूमि स्वामी
11 बलराम पिता बालेश्वर जाति गोंड़ सा.देह भूमि स्वामी
12 बुद्धदेव, छविराम,मुक्ता ,सीमा, पिता ठण्डाराम ,गहलो,बेवा ठण्डाराम जाति गोड सा.देह भूमि स्वामी
13 भरत पि. गांड़ाराम जाति मिरधा सा.देह भूमि स्वाम
14 भरतलाल पि.रामभरोस जाति तेली सा.देह भूमि स्वामी
15 मोहितराम पिता समारू, जयप्रकाश पिता समारू, उषा बेवा समारू मनी पिता दोके सा देह भूमि स्वामी
16 सत्यनारायण, चम्पा, सुरोती, पिता जोगे, पुनाई पिता कोंदा जाति गोंड सा देह भूमिस्वामी
17 मदन पिता कालिया जाति झारा सा देह भूमिस्वामी
18 मनोज कुमार पिता चन्द्रप्रकाश गुप्ता सा. बैकुण्ठपुर रायगढ़ भूमि स्वामी
19 मोहित,प्रकाश पि. समारू,उषा बेवा समारू जाति मिरधा सा.देह भूमि स्वामी
20 रूपधर पिता केशवो जाति बिरजिया सा.देह भूमि स्वामी
21 रवि पि. गैनू ,पिताम्बर,सुन्दरलाल पि. गैनू जाति गोंड सा.देह भूमि स्वामी
22 लालकुमार,बाबूलाल,सुमती पिता सीताराम, निद्रा पि.अभिराम ,कोयली बेवा अभिराम जाति मिरधा सा.देह भूमि स्वामी
23 लखपती पिता बिहारी भामा बेवा बिहारी जाति गोंड़ सा देह भूमि स्वामी
24 बैष्णवी रिय.प्रा.लि.मोतीलाल नेहरू नगर भिलाई डायरेक्टर शुशीलमन सुखानी पि.जे.एन मनसुखानी सा. आकाशवाणी भवन के सामने अतरमुडा रायगढ़ भूमि स्वामी
25 वंशपति सिंह पिता चिन्तामणी जाति राजपूत सा बड़े अतरमुड़ा रायगढ़ भूमिस्वामी
26 शत्रुघन,चमेली,कामिनी,रजनी, पिता बनो तारावती बेवा बनो जाति गोंड सा.देह भूमि स्वामी
27 सुनाफुलो जौजे संतोष प्रभाषिनी,सुभाषिनी जयंती पि. संतोष जाति रावत सा.देह भूमि स्वामी
28 सुग्रीव पि.लोधो जाति बिरजिया सा.देह भूमि स्वामी
29 सेतकुमार पि.उदेराम जाति भुईहर सा.देह भूमि स्वामी
30 सुदन पि. श्याम जाति झारा सा.देह भूमि स्वामी
31 सुखीराम पिता लोचन जाति तेली सा देह भूमि स्वामी
32 सिविल पि. डमरूधर जाति कोलता सा.देह भूमि स्वामी

भू–अर्जन अधिकारी
अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
रायगढ़ (छत्तीसगढ)

33 अमृत पिता शंभुराम जाति अघरिया सा देह भूमि स्वामी
34 किशनलाल पिता सत्यनारायण शर्मा जाति ब्राम्हण सा.थाना रोड रायगढ़ भूमि स्वामी
35 गंगाराम,ठण्ड़ाराम पि. सहदेव जाति कोलता सा.देह भूमि स्वामी
36 ठण्डाराम ,गंगाराम पिता सहदेव जाति कोलता सा.देह भूमि स्वामी
37 तिरथो पिता दशरथ तपोशिनी पि.दशरथ जाति गोड सा.देह भूमि स्वामी
38 दुलामणी पिता रामचन्द्रों मनमोहन, नित्यानन्द पिता रामचन्द्रों जाति कोलता सा देह भूमि स्वामी
39 दिनदयाल पिता सत्यनारायण शर्मा जाति ब्राम्हण सा.दानीपारा रायगढ़ भूमि स्वामी
40 दयालु पिता टोकेल जाति मिरधा सा.देह भूमि स्वामी
41 धोबालाल पिता शंभूराम जाति अघरिया सा.देह भूमि स्वामी
42 नान्हू पिता चिटकी जाति अघरिया सा.देह भूमि स्वामी
43 पूर्णचंद,सिविल,सुभाष,टिकेश्वर, श्यामलाल, भगवती, दमयन्ती पि.डमरू जाति कोलता सा.देह भूमि स्वामी
44 मनोहरलाल,श्रवण कुमार पि.कालाचंद बल्लभी पिता चिन्तामणी जाति ब्राम्हण सा.देह भूमि स्वामी
45 भगवती बेवा मोहरसिंह, सुलोचना बाई, उमाबाई, जेमाबाई, रमहाबाई पि. मोहरसिंह बंशीधर पिता जैलाल मोहरमती पि कठलू पुरनीबाई पि. कठलू जाति गोंड सा.देह भूमि स्वामी
46 मुनु पिता शंभू जाति अघरिया सा.देह भूमि स्वामी
47 रवि पिता मानू जाति मिरधा सा.देह भूमि स्वामी
48 रूपलाल पिता चिटकी जाति अघरिया सा.देह भूमि स्वामी
49 विजय कुमार पि.ललीत कुमार जाति ब्राम्हण सा.देह भूमि स्वामी
50 सतरूपा जौ. ललीत जाति ब्राम्हण सा.देह भूमि स्वामी
51 संजय,पि.रामेश्वर नाबा. विवेक पि.रामेश्वर पा.मा.सहोद्र बाई बेवा रामेश्वर, संतोषिनी, अन्नपूर्णा नाबा मंगलवती,नाबा लक्ष्मी पि. रामेश्वर पा. मा. सहोद्रा बाई बेवा रामेश्वर ,सहोद्रा बाई बेवा रामेश्वर, उकिया पि.घासीराम जाति गोंड़ सा.देह भूमि स्वामी
52 नान्हू ,रूपलाल पिता चिटकी जाति अघरिया सा.देह भूमि स्वामी
53 गोविन्द पिता बिहारी
54 शिवप्रसाद, मोहन पि.पंचराम रूपलाल,नान्हू पि. चिटकी ,मुनु पिता शंभू जाति अघरिया सा.देह भूमि स्वामी
55 मिलाउ पिता गोपाल जाति झारा सा देह भूमि स्वामी
56 रामवति पिता हरि जाति मिरधा सा देह भूमि स्वामी

अनावेदकगण.

अवार्ड आदेश
(दिनांक 06 –05 –2017)

(1) यह प्रकरण महाप्रबंधक एनटीपीसी तलाईपाली कोल माईनिंग परियोजना घरघोड़ा जिला रायगढ़ के पत्र क्र. **REF No 5073/TLCMP/pvt/19/08/15 एकताल** दिनांक 20.8.2015 के अनुसार **ग्राम–एकताल** प.ह.नं. **08** रा. नि.मं. **व** तह.–**पुसौर** जिला **रायगढ़** के निजी भूमि कुल ख.नं. **115** कुल रकबा **20.709** हे. का रेल लाईन निर्माण के लिये अधिग्रहण हेतु भू–अर्जन प्रस्ताव विहित प्रपत्र में प्राप्त होने पर प्रारंभ किया गया।

उपरोक्त भू–अर्जन प्रस्ताव के संदर्भ में पुनर्वास योजना तैयार कर महाप्रबंधक एनटीपीसी तलाईपाली कोल माइनिंग परियोजना द्वारा प्रस्तुत किये जाने पर प्रस्तावित पुनर्वास योजना का अनुमोदन प्रचलित नियमों के तारतम्य में आयुक्त, बिलासपुर संभाग बिलासपुर के पत्र कमांक 3062/राजस्व/भू–अर्जन/2015 बिलासपुर दिनांक 25.7.2015 अनुसार प्रस्तावित पुनर्वास योजना में निम्नांकित शर्त समाहित कर पुनर्वास योजना का अनुमोदन किया गया है :–

12. कलेक्टर द्वारा मुआवजा का निर्धारण भू–अर्जन पुनर्वासन और पुनर्ब्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के प्रावधानों के तहत किया जावेगा।
13. शासन द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों का पालन किया जावेगा।
14. भूमि अर्जन के बाद स्थल पर जिस कृषक की इतनी कम भूमि षेष बचती हो कि उस पर लाभदायक कृषि संभव न हो, तो शेष भूमि का भी अधिग्रहण किया जावेगा।
15. पर्यावरण संतुलन को बनाये रखने के लिये वृक्षारोपण किया जावेगा। वृक्षारोपण हेतु कार्य योजना दो माह के भीतर तैयार किया जावे, ताकि आगामी बरसात के पूर्व वृक्षारोपण का कार्य किया जा सके।
16. पुनर्वास पैकेज एवं प्रतिकर के पूर्ण भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जावे।

17. मकान विस्थापितों के लिऐ वैकल्पिक व्यवस्था की जावे।
18. कलेक्टर रायगढ़ भू–अर्जन कार्य का समुचित पर्यवेक्षण करेंगे, एवं प्रत्येक तीन माह में अपना प्रगति प्रतिवेदन राज्य शासन को एवं इस कार्यालय को भेजना सुनिश्चित करेंगे।
19. एनटीपीसी लिमिटेड तलाईपाली तहसील घरघोड़ा जिला रायगढ़ कोल माईंस ताप विद्युत परियोजना के कियान्वयन एजेंसी द्वारा कराये गये कार्य गुणवत्ता के अनुसार हो, यह सुनिष्चित किया जावे।
20. प्रभावित परिवारों को रोजगार सुनिश्चित करने की दृष्टि से आजिविका ट्रेड में प्रशिक्षण व्यवस्था किया जावेगा। पश्चात सफल प्रशिक्षणार्थियों को प्राथमिकता में प्रत्यक्ष/परोक्ष रूप से रोजगार/जीविका उपलब्ध कराने की व्यवस्था करेगा।
21. जिले के निःशक्तजनों के लिए आजीविका प्रशिक्षण एवं स्वरोजगार हेतु विशेष प्रयास करना होगा।
22. नवीन भू–अर्जन अधिनियम 2013 के दूसरी अनुसूची धारा 31(1) 38(1) और धारा 105 (3) के प्रावधानों का भी पालन किया जाना सुनिश्चित किया जाना होगा।

(2) उपरोक्त अनुकम में महाप्रबंधक एनटीपीसी तलाईपाली कोल माईनिंग परियोजना से ग्राम **एकताल** के प्रस्तावित निम्नांकित भूमि के अधिग्रहण किये जाने हेतु भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पादर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के संदर्भ में छ.ग.शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग रायपुर द्वारा जारी निर्देशों के अनुकम में अधिग्रहण कार्यवाही हेतु प्रकरण में भू–अर्जन अधिनियम की धारा–11(1) के अधीन अधिसूचना का प्रकाशन निम्नानुसार कराया गया :–

अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित भूमि का विवरण :–

खसरा	रकबा (हे0) में	खसरा	रकबा (हे0) में	खसरा	रकबा (हे0) में	खसरा	रकबा (हे0) में
292/8	0.016	781/1/1 781/2/1	0.081	208/2	0.304	799/1	0.253
236/2	0.101	208/3	0.300	885/1	0.101	800	0.142
236/4	0.101	767/1	0.081	898	0.109	885/2	0.069
781/1/2 781/2/2	0.081	770/1	0.081	899/1	0.092	289/3	0.175
232/1	0.040	765/1	0.121	227	0.162	887	0.101
901/1	0.089	271/4	0.101	219/3 क	0.364	797/2	0.049
232/2	0.040	292/7	0.016	219/4 क	0.971	798/2	0.028
901/3	0.081	225	0.324	219/4 ख	0.040	798/4	0.081
296/3क	0.068	289/4	0.040	760/1	0.681	799/3	0.127
767/3	0.081	289/5	0.182	900/1	0.506	885/5	0.117
296/4	0.234	287/2	0.040	899/2	0.092	902/1	0.046
309/2	0.202	292/3	0.065	762	0.081	202/1 क	0.049
292/2	0.032	270/1 क	1.457	798/1	0.081	226	0.750
759	0.344	767/2	0.045	885/3	0.152	296/7	0.008
287/3 क	0.053	765/3	0.121	799/4	0.126	237	0.304
297/1	0.124	200	0.235	885/4	0.110	287/4	0.121
298/1	0.061	901/4	0.081	902/2	0.047	288	0.158
298/2	0.020	235/1	0.061	235/2	0.061	290	0.154
299/1	0.065	303/1	0.109	303/2	0.049	287/6	0.121
771/1	0.101	304/3	0.151	305/2	0.129	301	0.093
287/1	0.045	305/1	0.688	306	0.085	777/1	0.458
297/2	0.061	307/1	0.064	307/2	0.140	292/10	0.016
298/3	0.061	308	0.081	312/3	0.202	287/5	0.040
763	0.020	310/1	0.081	779/1	0.340	761	0.040
231/2	0.020	311	0.231	234/1	0.121	302	0.089
219/2 ड.	0.405	312/1	0.291	291	0.109	300/1	2.023
292/1	0.101	313	0.081	292/5	0.109	211	0.580
309/1	0.202	314/1	0.202	296/2	0.060	778/1	0.061
780/1	0.117	783/1	0.364	886	0.291		
कुल ख.नं. 115 रकबा 20.709 हे. में							

भू–अर्जन अधिकारी
अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
रायगढ़ (छत्तीसगढ़)

अधिनियम की धारा–11 (1) के प्रकाशन का विवरण निम्नानुसार है:–

5. छ.ग. राजपत्र में दिनांक 2/10/15
6. स्थानीय समाचार पत्र जनकर्म दिनांक 08/11/2015
7. क्षेत्रिय समाचार पत्र नवभारत दिनांक 18/10/2015
8. ग्राम एकतला में मुनादी के माध्यम से दिनांक 30/10/2015

(3) प्रकरण में अधिनियम की धारा–11(1) के अधिसूचना प्रकाशन उपरांत प्राप्त दावा/ आपत्ति की छायाप्रति आवेदक निकाय एवं तहसीलदार पुसौर को भेज कर जांच प्रतिवेदन प्रापत किया गया । आपत्तिवार निराकरण निम्नानुसार है:– आपत्तिकर्ता 1.आनंद शर्मा आ0 राधेष्याम शर्मा मिलन गुप्ता वल्द रामेष्वर गुप्ता गांजा चौक रायगढ़ छ0ग0 2.विशाल बलेचा आ0 बिहारीलाल हरिलाल रोहरा आ0 धनराज बेलादुला रायगढ़ 3.ना.बा.साहिल सलूजा मुकेष सलूजा नरेष सलूजा आ0 मोहनलाल गौरीषंकर मंदिर रोड़ रायगढ़ 4. ना.बा. प्रिस सलूजा आ.नरेष श्रीमती शकुन्तला सलूजा गौरीषंकर रोड़ रायगढ़ 5. ना.बा. आदित्य चौपड़ा आ0 जितेन्द्र चौपड़ा आ.बलवीर चौपड़ा किरोड़ीमल कालोनी रायगढ़ 6. श्रीमती नीतू बलेचा आ.विकाष श्रीमती नेहा रोहरा पति हरिलाल बेलादुला रायगढ़ 7. ना.बा.प्रकाष पैकरा आ. बलराम आ.श्रीराम लैलूंगा रायगढ़ 8. श्रीमती निलीमा तिवारी पति राजकुमार श्रीमती ममता तिवारी बेवा जयंत तिवारी केलो बिहार रायगढ़ 9. सुरेश कुमार चौबे आ. आदित्य प्रसाद श्रीमती बसंती चौबे पति सुरेष कुमार सोनार पारा रायगढ़ 10. ना.बा. सौभ्या तिवारी आ.स्व जयंत ना.बा.श्रेया तिवारी आ.स्व.जयंत पा.चाचा राजकुमार आ.बी. पी. तिवारी केलो बिहार रायगढ़ 11. ना.बा. अर्थव उपाध्याय आ0 उमेष उपाध्याय राजकुमार तिवारी आ0बी.पी. तिवारी केलो बिहार रायगढ़ 12.श्रीमती कंचन रोहरा पति विनोद कुमार ,विनोद कुमार आ. ज्ञानचंद रोहरा सिंधी कालोनी रायगढ़ 13. राजकिशोर पाण्डेय वगै0 दरोगापारा बैकुण्ठपुर रायगढ़ 14. प्रमोद कुमार सोनी आ0रामअवतार भागवत कुमार जैन आ. करन जैन विध्यांचल प्रसाद जयसवाल वल्द हरखनारायण जयसवाल राजापारा रायगढ़ 15. श्रीमती रामदुलारी गुप्ता पति श्रीनाथ गुप्ता जाति तेली जया गुप्ता आ.श्रीनाथ गुप्ता नि.राजापारा रायगढ़

प्रस्तुत आपत्तियों आवेदक निकाय एवं तहसीलदार रायगढ़ से प्रतिवेदन प्राप्त किया गया । प्रस्तुत प्रतिवेदन के अनुसार बिन्दुवार निम्नानुसार निराकरण किया गया :–

2. भू–अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा 1 के तहत प्रारंभिक अधिसूचना विधिक प्रावधनो के विपरीत प्रकाषित कराई गई है ।

2. प्रारंभिक अधिसूचना में एक ओर प्रभावित परिवार का विस्थापन निहित नहीं उल्लेखित है जबकी दूसरी ओर प्रभावित परिवार उल्लेखित किया गया है ।

3. (अ) नवीन भूमि अर्जन पुनर्वासन ओर पुनव्यर्वस्थापन अधिनियम 2013 के अध्याय 2 एवं अध्याय 3 के समस्त उपबन्धों में छूट दर्षाया गया है जोकि त्रुटीपूर्ण है।

(ब) नवीन भूमि अर्जन पुनर्वासन ओर पुनव्यर्वस्थापन अधिनियम 2013 के धारा 30 (3) में धारा 26 के अधीन बाजार मूल्य के अतिरिक्त, कलेक्टर प्रत्येक मामले में सामाजिक समाघात का निर्धारण अध्यन की अधिसूचना प्रकाषन की तारीख से ही प्रारंभ होने वाली और कलेक्टर के निर्णय की तारीख तक या भूमि के कब्जा लेने के तारीख तक इसमें से जो भी पूर्वतर हो की अवधि के लिए 12% प्रति वर्ष की दर पर संगणित रकम अधिनिर्णित करेगा ।

4. खसरे के बटांकन होने के पष्चात संव्यवहारकर्ता को यदि पुनः उक्त जमीन संव्यवहार या अन्य कारणो से वापस प्राप्त होता है तो उक्त खसरा का मुल स्वरूप से बिना बन्दोबस्त की कार्यवाही किए बिना नही आता है।

5. आपत्तिकर्ता के द्वारा उक्त भूमि का विक्रय पत्र का निष्पादन नवीन भू–अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 11 की उप धारा के प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाषन के पूर्व किया गया है।ऐसी स्थिति में उक्त भूमि का नवीन भू–अर्जन अधिनियम 2013के तहत मुआवजा एवं पुनर्वास का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी है।

2. धारा 11 का प्रकाषन रा0 विभाग छ.ग.शासन द्वारा
   (क) राजपत्र दिनांक 2. अक्टूबर 2015, भाग 1 पृ.क्र.1524
   (ख) क्षेत्रिय समाचार पत्र (नवभारत 17.10.15),
   (ग) स्थानीय समाचार पत्र (जनकर्म 08.11.15)
   (घ) ग्राम सूचना 30.10.15 को कराया गया ।

2. प्रारंभिक अधिसूचना रा0विभाग छ.ग.शासन द्वारा निहित प्रपत्र में रा0विभाग छ.ग.शासन द्वारा प्रकाषित कराई गई है।वर्तमान में एकताल ग्राम में एनटीपीसी तलाईपाली रेल परियोजना द्वारा किसी भी प्रभावित परिवार का विस्थापन निहित नही है।

3. **(अ)** छ.ग.शासन के असाधारण राजपत्र की अधिसूचना दिनांक 02.03.2015 के कमांक एफ.4–28/सात–1/2014 के अनुसार ओद्योगीक कौरीडोर को उक्त नवीन भू–अर्जन अधिनियम 2013 के अध्याय 2 एवं अध्याय 3 के समस्त प्रावधानों से छूट प्रदान की गई है।

(ब) छ.ग.शासन द्वारा अधिनिर्णित की गई संगणित रकम नवीन भूमि अर्जन पुनर्वासन ओर पुनव्यवस्थापन अधिनियम 2013 की धारा 11 के प्रारंभीक अधिसूचना की तिथी से 12 प्रतिशत वार्षिक दर पर किया जावेगा।

4. नवीन भूमि अर्जन पुनर्वासन ओर पुनर्व्यवस्थापन अधिनियम 2013 की धारा 11 के प्रारंभीक अधिसूचना का प्रकाशन वर्तमान अद्यतन राजस्व अभिलेख के अनुसार किया गया है।

5. नवीन भूमि अर्जन पुनर्वासन ओर पुनर्व्यवस्थापन अधिनियम 2013 के अनुसार कमिश्नर बिलासपुर द्वारा पुनर्वासन ओर पुनव्यवस्थापन निती अनुमोदित की गई है, जिसके तहत अर्जित भूमि का मुआवजा एवं पुनर्वास का लाभ अद्यतन राजस्व अभिलेख के अनुसार पात्र प्रभावितो को दिया जायेगा ।

16. मनोहर होता वल्द कालाचंद होता ग्राम एकताल तह0पुसौर जिला – रायगढ छ0ग0

शिकायतकर्ता का भूमि खसरा नं. 294 रकबा 0.085 हे. में से 0.040 हे. रेल्वे लाईन हेतु अधिग्रहित कि जा चुकी है। किन्तु मुआवजा देने कि लिस्ट में छुट गया है। अतः उक्त 0.040 हे. भूमि मुआवजा देने कि लिस्ट में जोड़ा जाये ।

प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन एवं जवाब के अनुसार आपत्तिकर्ता की उक्त भूमि भू–अर्जन हेतु प्रस्तावित नहीं होने के कारण अधिग्रहित किया जाना संभव नहीं है।

17. गौरांगो पिता घासीराम जाति झारा निवासी एकताल खसरा नं. 219/2ख रकबा 1.148 हे0 जो कि सर्वे और लिस्ट के मुताबिक जमीन ली जा रही थी अब वर्तमान में कलेक्टर महोदया के हस्ताक्षर द्वारा लिस्ट आई है। जिसमें जमीन नही ली जा रही है। पूर्व सूची के आधार पर जमीन अधिग्रहित किया जाये।

प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन एवं जवाब के अनुसार आपत्तिकर्ता की उक्त भूमि भू–अर्जन हेतु प्रस्तावित नहीं होने के कारण अधिग्रहित किया जाना संभव नहीं है।

18. नारायण पटेल एवं 6 अन्य ग्राम एकताल द्वारा प्रस्तुत आवेदन दिनांक 21.12.2015 में निवेदन किया गया है कि भूमि का उचित मुआवजा तथा परिवार के एक सदस्य को योग्यता अनुसार नौकरी दिया जावे।

अधिग्रहित की जा रही भूमि का भूमिस्वामियों को नियमानुसार मुआवजा राषि तथा अनुमोदित पुनर्वास योजनानुसार पुनर्वास का लाभ दिया जावेगा।

19. शिव प्रसाद पटेल आ.स्व.पंचराम पटेल नि.ग्राम नावापाली तह. पुसौर जिला रायगढ़ एवं श्री मोहन पटेल आ. स्व.पंचराम पटेल नि.ग्राम नावापाली तह. पुसौर जिला रायगढ़ की दावा /आपत्ति दिनांक 14.01.2016 तथा किषनलाल आ. सत्यनारायण शर्मा का दावा/आपत्ति दिनांक 23.02.2016 अवधि वाह्य होने के कारण आग्रह्य किया गया।

(4) महाप्रबधक, एनटीपीसी लिमि. तलाईपाली के पत्र क्रमांक 5073/तलाईपाली/एमजीआर/सेवा भूमि/04/16 दिनांक 22.4.2016 के साथ ग्रामवार सेवा भूमि की सूची सलग्न कर निवेदन किया है जिसमें ग्राम एकताल की सेवा भूमि ख.नं. 211, 778/1, 780/1, 783/1, 886 को अधिनियम की धारा 19 की कार्यवाही से पृथक किया जावे। अतः उपरोक्तानुसार दावा/आपत्तियों का निराकरण करते हुए तथा सेवा भूमि ख.नं. 211,778/1, 780/1, 783/1, 886 रकबा 1.413 हे. भूमि को अधिग्रहण की कार्यवाही से पृथक करते हुए शेष कुल खसरा नं.110 कुल रकबा 19.296 हे. भूमि का प्रकरण में अधिनियम की धारा–19 की घोषणा के प्रकाशन की कार्यवाही निम्नानुसार कराया गयाः–

1. छ.ग. राजपत्र में दिनांक 03.06.2016 को भाग–1 पृ.क्र. 997,998
2. स्थानीय समाचार पत्र 1. जनकर्ममें दिंनाक. 12.5.2016
   2. नवभारत में दिंनाक. 11.05.2016
3. स्थानीय तौर पर ग्राम में मुनादी के माध्यम से दिनांक 17.5.2016

प्रकरण में धारा 19 की घोषणा के प्रकाषन उपरान्त कोई भी दावा/आपत्ति प्राप्त नही हुआ।

(5) प्रकरण में अधिनियम की धारा–21 की सूचना दिनांक 20.5.2016 को जारी कर भू–स्वामियों को सुनवाई हेतु दिनांक 27.6.2016 को आहूत किया गया। कुछ भू–स्वामिमियों के निवेदन पर धारा 21 के अंतर्गत सुनवाई हेतु उचित अवसर देते हुए दावा/आपत्ति प्रस्तुत करने की तारीख 30.7.2016 तक बढ़ाई गई। तथा प्राप्त

भू-अर्जन अधिकारी
अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
रायगढ़ (छत्तीसगढ़)

दावा/आपत्तियों के संबंध में तहसीलदार, रायगढ़ एवं आवेदक निकाय से संयुक्त जांच प्रतिवेदन प्राप्त किया गया। आपत्तिवार निराकरण निम्नानुसार है :–

5. सुभाष पिता डमरूधर निवासी एकताल तह0 पुसौर जिला रायगढ़ भूमिस्वामी 2. विवेक पिता सुभाष निवासी एकताल 3.जितेन्द्र प्रधान पिता पुर्णचन्द्र प्रधान निवासी एकताल तह0 पुसौर 4. मथुरा पति प्रेमानंद निवासी एकताल 5. सुभाषिनी पति सिविल निवासी एकताल 6. जयन्ति पिता सिविल निवसी एकताल 7.प्रेमानंद पिता सिविल नि0 एकताल 8. कमलेश पिता सिविल नि0 एकताल 9. प्रशांत पिता सिविल नि0 एकताल 10. सविता पति श्यामलाल नि0 एकताल 11श्यामलाल पिता डमरू नि0 एकताल 12. सत्यनारायण पिता जोगीराम ग्राम एकतला 13.निता पिता सिविल निवासी एकताल तह0 पुसौर रायगढ़ 14. अमरेश पिता सिविल निवासी एकताल तह0 पुसौर जिला रायगढ़ छ0ग0 15. मनीष पिता टिकेश्वर निवासी एकताल 16. पूर्णचन्द्र पिता डमरूधर निावसी एकताल के द्वारा निम्नांकित बिन्दुओं पर लिखित आपत्ति प्रस्तुत की गई है–

2. यह कि भारत सरकार के द्वारा दिनांक 31.12.2014 को जारी अधिसूचना में जिन परियोजना में समुचित सरकार का भूमि स्वामी निरस्तर बना हो उन परियोजनाओं पर भू–अर्जन के अध्याय अधिनियम 2व3 का छुट प्रदान किया गया है। जिसके तारतम्य में छ.ग. शासन के द्वारा 02.03.2015 की अधिसूचना जारी कर अध्याय 2 व 3 का प्रावधान लागू किया गया था, उक्त अधिसूचना की अंतिम दिनांक 31.08.2015 था, चूंकि भारत सरकार के द्वारा लाये गये अध्यादेश पूर्व में शून्य हो चुका है, जिसको आधार बना कर केवल आदेश पत्रक में उल्लेखित कर छुट के दायरे में लाया गया है, जबकी उक्त दिनांक को धारा 11 के प्रकाशन के प्रारूप, मुनादी, समाचार पत्र, राजपत्र, बेबसाईड में किसी भी रीति से प्रकाशन नहीं किया गया था, ऐसी स्थिति में छ.ग.शासन के द्वारा एवं भू–अर्जन अधिकारी के द्वारा अध्याय 2 व 3 का पालन किये बगैर अग्रिम कार्यवाही किया जाना न्याय संगत नहीं है।

2. यह कि धारा 11 के बेवसाईड में प्रकाशन के पूर्व ही धारा 19 का प्रकाशन दैनिक समाचार पत्रों में कर दिया गया है। एक ओर धारा 11 के प्रकाशन के प्रारूप पूर्ण नहीं किया गया था वहीं दूसरी ओर धारा 19 का प्रकाशन किया जाना नवीन भू – अर्जन अधिनियम 2013 के प्रावधानों के विपरित है।

3. यह कि उक्त प्रतावित भू–अर्जन के बिना मुक्त किये एवं आपत्तिकर्ता के नामान्तरण को अविधिक प्रक्रियाओं का पालन कर निरस्त कर दिया गया है, जिसके तहत उक्त निरस्तीकरण आदेष के विरूद्ध आपत्तिकर्ता के द्वारा तहसीलदार रायगढ़ के द्वारा नामान्तरण निरस्तीकरण के विरूद्ध पुनः विधिवत नामान्तरण हेतु तहसीलदार रायगढ़ के समक्ष प्रस्तुत कर सम्पूर्ण प्रकिया (पटवारी प्रतिवेदन, उभय पक्ष के साक्ष्य इत्यादी) पूर्ण किया जा चुका है एवं उक्त प्रकरण आदेश हेतु लंबित है, जिसकी सूचना तहसीलदार रायगढ़ के प्रारंभ से है तथा आपत्तिकर्ता के द्वारा धारा 11 के अधिसूचना प्रकाशन पर आपत्ति प्रस्तुत किया गया था जिस पर उपरोक्त तथ्यों का उल्लेख किया गया था। जिस पर तहसीलदार रायगढ़ के द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन में उचित निराकरण न कर धारा 19 का भू–अर्जन अधिनियम 2013 अधिसूचना त्रुटिपूर्ण प्रकाशन कराया गया जो न्याय संगत नहीं है।

4. यह कि सम्पत्ति का अधिकार विधिक अधिकार के साथ साथ मानवाधिकार भी है, जिसे अविधिक व छल पूर्वक उसके अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है।

5. यह कि दिनांक 17.10.2015 को धारा (1) भू–अर्जन अधिनियम के तहत प्रारंभिक अधिसूचना प्रकाशित कराया जाता है एवं समुचित सरकार के बेवसाईड में प्रकाशन न करा कर छल पूर्वक एन.टी.पी.सी. में कार्यरत कर्मचारियों के द्वारा रायगढ़ के बेवसाईड में दिनांक 13.05.2016 को कराया जाता है तथा उसी दिनांक 13.05.2016 को धारा 19 का भी बेवसाईड में प्रकाषन कराया जाता है जबकी भू – अर्जन की प्रक्रिया में समयावधि का गणना अंतिम प्रकाषन दिनांक को माना जाना प्रावधानित है तथा धारा 11 (1) के प्रकाषन पश्चात 60 दिन के समयावधि आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु प्रावधनित है, जिसका भी पालन नहीं किया गया है।

6. यह कि धारा 4 (1) भू–अर्जन अधिनियम 1894 के तहत पूर्व में ग्राम एकताल प.ह.नं. 08 तह.व जिला रायगढ़ मे दैनिक समाचार पत्र दैनिक भास्कर दिनांक 22/12/2013 को प्रकाशन कराया गया था, जिसमें आपत्तिकर्ता के स्वामित्व की भूमि खसरा नं. /रकबा हे0 कृषि भूमि प्रभावित उल्लेखित है। उक्त भू–अर्जन की कार्यवाही को व्यपगत (स्मचे) किया जाना प्रावधानित है, जिसके तहत आज दिनांक तक प्रस्तावित भूमि को मुक्त नहीं किया गया है।

भू–अर्जन अधिकारी
अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
रायगढ़ (छत्तीसगढ़)

7. धारा 19 के पुनर्वासन व पुर्नस्थापना तथा घोषणा और सार का प्रकाशन कराया जाना प्रावधानित है किन्तु पुनर्वासन व पुर्नस्थापना सार का प्रकाशन आज दिनांक तक नहीं कराया गया है। जबकी भू–अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 19 (2) की उप धरा 1 में यह स्पष्ट प्रावधान है कि इस उप धारा के अधिन कोई घोषणा तब तक नहीं किया जावेगा, तब तक पुनर्वासन व पुनर्व्यस्थापन का योजना का सार ऐसी घोषणा के साथ नहीं किया जाता । एतएवं त्रुटिपूर्ण प्रकियाओं का समावेष कर मात्र प्रबंधक एन.टी.पी.सी. द्वारा भूमि प्राप्त करना चाहता है, जो कि अवैधानिक है।

8. यह कि धारा 19 राजपत्र में दिनांक 03/06/2016 को प्रकाषित कराया जाता है वह भी उपरोक्तानुसार त्रुटिपूर्ण है एवं धारा 19 भू–अर्जन अधिनियम का प्रकाषन के प्रारूप पूर्ण कराये बगैर धारा 21 के नोटिस व्यक्तिषः जारी कर दिया जाता है। अतएव समस्त प्रकिया भू–अर्जन अधिनियम के तहत आदेशात्मक कार्यवाही है, जिसका पालन नहीं किया गया है। अतएवं सम्पूर्ण कार्यवाही शुन्य व अवैधानिक है।

9. यह कि धारा 11 के परिप्रेक्ष्य में आपत्तिकर्ता के द्वारा आपत्ति प्रस्तुत किया गया था, किन्तु महा प्रबंधक एन.टी.पी. सी. एवं तहसीदार के द्वारा अस्पष्ट प्रतिवेदन एवं भू –अर्जन की प्रकियाओं के विपरित प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर भू–अर्जन अधिकारी, रायगढ़ के द्वारा प्रस्तुत आपत्ति का बिन्दुवार निराकरण नहीं किया गया है तथा बिना निराकरण के ही अग्रिम कार्यवाही की गई है, जो कि अनुचित है।

10. प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन के पश्चात भारत सरकार के द्वारा अधिसूचना दिनांक 18.12.2015 को जारी किया गया था जिसमें भूमि अभिलेखों को अद्यतन करवाने की नियम उल्लेखित है जिसके अनुसार मृतक व्यक्तियों के नामों को लोप करना, मृतक व्यक्तियों के वारिसो का नामों को प्रवृष्टि करना, भूमि पर अधिकारों के रजिस्ट्री के समव्यवहारों जैसे– बिकी,दान, विभाजन आदि को प्रवृष्टि करना बंधक के सभी प्रवृष्टियों को अभिलेखों प्रवृष्टि करना इत्यादी उल्लेखित है, किन्तु उक्त अधिसूचना के प्रकाशन के उपरांत दिनांक 23.02.2016 को धार 11 (1) में आपत्ति पर निराकरण हेतु नियत किया गया था किन्तु उक्त अधिसूचना में दर्शित बिन्दुओं को नजर अंदाज करते हुए या ताक में रखते हुए आपत्तिकर्ता के संवैधानिक अधिकार का हनन कर छल पूर्वक अनावेदक एवं तहसीलदार के द्वारा त्रुटिपूर्ण प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है, जो कि भू–अर्जन की धारा 86,87 के तहत अपराध की श्रेणी में आता है।विदित हो कि रिट कमांक 1443 मे माननीय उच्च नायायालय बिलासपुर छ.ग. के द्वारा पारित आदेश दिनांक 14.09.15 के अनुसार भू अर्जन अधिनियम 2013 के अध्याय 2 एवं अध्याय 3 का पालन करना अनिवार्य उल्लेखित हैं जिसका पालन नहीं किया गया है।

11. एक ओर एन.टी.पी.सी. के पुनर्वास निति के कंडिका 9.6 रोजगार एवं वार्षिकी में प्रति प्रभावित एक बार 5.00 लाख दिया जावेगा या वार्षिकी पॉलिसी कीमत सूचकांक के अनुसार कम से कम 2000/–रू. प्रति माह उल्लेखित है, जबकी 02.07.2014 जिला स्तरीय पुनर्वास समिति की बैठक में भू – अर्जन के मुआवजे के अतिरिक्त 30000/–रू. प्रति एकड़ अनुपातिक 20 वर्ष तक भूमि विस्थापित परिवार को दिया जावेगा। प्रत्येक 2 वर्ष में प्रति एकड़ 500/–रू.बढ़ाया जायेगा। जबकी सूचना के अधिकार के तहत चाही गयी जानकारी में जिला कार्यालय रायगढ़ के द्वारा जिला स्तरीय पुनर्वास समिति का गठन वर्ष 2013–14 में नहीं हुआ है और न ही इसं संदर्भ में सचिवालय रायपुर में दिशा निर्देश प्राप्त हुआ है, बताया गया। अतः न तो पूर्व में पुनर्वास स्कीम विधिवत बनाया गया और नही धारा 16 (5) के तहत पुनर्वास प्रतिवेदन के संदर्भ में कोई सुनवाई किया गया है। चूंकि छ.ग. शासन का कृषि भूमि में निरन्तर भू–स्वामी है एवं एन.टी.पी.सी. प्रस्तावक है, ऐसी स्थिति में वर्ष 2013 भू–अर्जन अधिनियम के प्रावधानों को मनमाने ढंग से लागू कर आपत्तिकर्ता/रजिस्टर्ड भूमि स्वामी को उसके संवैधानिक अधिकारों से वंचित किया जा रहा है, जो कि अनुचित है।

12. एन.टी.पी.सी. की पुनर्वास नीति सम्पूर्ण भारत में एक होती है। वर्ष 2015 में एन.टी.पी.सी. के द्वारा ग्राम –गहिलगढ़ (पं.) विद्यांचल (मध्यप्रदेश) में कृषि भूमि का रजिस्टर्ड सेल डीड के माध्यम से कय किया गया है एवं दिनांक 18. 03.2015 को कीमत सूचकांक के अनुसार प्रभावित भूमिस्वामियों को नौकरी के एवज में 700000/–रू. (सात लाख) पैकेज दिया गया है, चूंकि एन.टी.पी.सी. के द्वारा रायगढ़ के परियोजनाओं हेतु पुनर्वास प्रतिवेदन, धारा 19 के साथ पुनर्वास का सार प्रकाशन नहीं कराया गया है। अतएव वर्तमान कीमत सूचकांक के अनुसार नौकरी के एवज में पैकेज प्राप्त करने के अधिकारी है एवं प्रति एकड़ 2000000/–(बीस लाख रूपये) की दर से मुआवजा राषि का निर्धारण कर नवीन भू–अर्जन अधिनियम के तहत 4 गुना, दिया जावे चूंकी अन्य प्रान्त में (सुन्दरगढ़ ओडिसा) में एन.टी.पी.सी. के द्वारा 22.00 लाख रू. प्रति एकड़ की दर से मुआवजा राशि का निर्धारण किया गया है।

भू–अर्जन अधिकारी
अनुविभागीय अधिकारी (रा.
रायगढ़ (छत्तीसगढ)

13. यह कि उपरोक्त कंडिकावार बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए एवं विधिवत भू–अर्जन प्रकिया के अनुकुल निराकरण कर आपत्तिकर्ता को सूचना/जानकारी देने के उपरांत ही भू – अर्जन की अग्रिम कार्यवाही किया जावे ताकि भविष्य में एन.टी.पी.सी.लारा परियोजना की भांती इस परियोजना में भी भूमि पर कब्जा लेने के उपरांत प्रभावितों को अनावश्यक न्यायालयीन कार्यवाही में उलझना न पड़ें। यदि जानबुझ कर आपत्तिकर्ता के हित को ताक में रखते हुए अविधिक पूर्ण कार्यवाही की जाती है तो उसकी समस्त जवाबदारी महाप्रबंधक एन.टी.पी.सी. की होगी।

14. यह कि नोटीस में सभी खसरा नं. अंकित नहीं हुआ है तथा पेड़ों की सही गणना नहीं हुआ है।

प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन के अनुसार बिन्दुवार निराकरण निम्नानुसार किया गया :–

1. भूमि अर्जन,पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं परदर्षिता अधिकार अधिनियम 2013 के अध्याय 2 व 3 का प्रावधानों से 2 मार्च 2015 को छ.ग. शासन के द्वारा असाधरण राजपत्र के माध्यम से औद्योगिक कारीडोर एवं अन्य परियोजना को छुट प्रदान की गई थी। इस अध्यादेश के अस्तित्व में रहते हुए कलेक्टर रायगढ़ द्वारा भू अर्जन प्रकरण की प्रारंभिक अधिसूचना का अनुमोदन 31.08.2015 को कर दिया गया था एवं आवेदक संस्था एनटीपीसी तिलाईपाली द्वारा भू–अर्जन की राशि भी जमा कि जा चुकी थी।

2. धारा 11 का प्रकाषन निम्नानुसार किया गया है :–
   1. छ.ग. राजपत्र – 2/10/15
   2. समुचित सरकार (छ.ग.शासन) वेबसाईट (www.cg.nic.in/egazette) ई – राजपत्र – 2/10/2015
   3. स्थानीय समाचार पत्र जनकर्म दिनांक 08/11/2015
   4. क्षेत्रिय समाचार पत्र नवभारत दिनांक 18/10/2015
   5. ग्राम प्रकाशन दिनांक 30/10/2015

   उपरोक्त प्रकाशन को पूर्ण करने के पश्चात ही धारा 19 का प्रकाशन करवाया गया।

3. वर्तमान में राजस्व अभिलेख में दर्ज भूमि स्वामीयों के नाम से भू अर्जन कि कार्यवाही कि जा रही है। आपत्तिकर्ता द्वारा धारा 11 के पश्चात् अनुविभागिय अधिकारी रायगढ़ कार्यालय में जो आपत्ति दी गई थी उसका नियमानुसार निराकरण करा गया था। भूमि अर्जन,पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं परदर्षिता अधिकार अधिनियम 2013 के अनुसार धारा 11 के पष्चात् धारा 15 की सुनवाई में जिन 3 बिंदुओ पर आपत्ति मांगी गई थी, उनसे हटकर की गई आपत्ति मान्य नही है।

4. भूमि अर्जन,पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 के प्रवाधनो का पालन करते हुए वर्तमान में भू–अर्जन की कार्यवाही की जा रही है।

5. भूमि अर्जन,पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के नियमानुसार प्रारंभिक अधिसूचना ई–राजपत्र के रुप में समूचित सरकार (छ.ग. शासन) की वेबसाइट में 02.10.15 को प्रकाशित कि जा चुकी है। ग्राम एकताल के लिए प्रारंभिक अधिसूचना (धारा11) का अंतिम प्रकाशन ग्राम प्रकाशन 08.11.15 के अनुसार 07.01.15 तक 60 दिन की समयावधि नियत थी। इस समय सीमा में प्राप्त आपत्ति विचार के लिये स्वीकार की गई है।

6. पूर्व में ग्राम एकताल में भू अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 4 (1) के तहत एनटीपीसी रेल लाईन के भू अर्जन हेतु कोई प्रकाषन नही करवाया गया।

7. कमिश्नर बिलासपुर संभाग बिलासपुर द्वारा इस भू अर्जन प्रकरण हेतु अनुमोदित पुर्नवासन योजना के सार का प्रकाशन ग्राम में धारा 19 के प्रकाशन के साथ किया जा चुका है।

8. दिनांक 03.6.2016 को धारा 19 के राजपत्र प्रकाशन उपरांत 27.6.2016 एवं पुनः 30.7.16 की तिथि नियत कर धारा 21 की सुनवाई की गई।इस प्रकार भू –अर्जन अधिनियम की धारा 19 एवं 21 के मध्य नियमानुसार एक माह से अधिक का समय देकर आपत्तियां ली गई। धारा 21 के नोटिस के पूर्व धारा 19 का प्रकाशन क्षेत्रिय एवं स्थानीय समाचार पत्रों में, संबंधित ग्राम प्रकाशन एवं अतिरिक्त रुप से रायगढ़ की वेब साइट में अपलोड कर दिया गया था।

9. अधिनियम की धारा 11 के पश्चात् समयावधि में प्राप्त दावा/आपत्तियों का निमयानुसार जांच कर निराकरण किया गया है।

10. भारत सरकार के द्वारा अधिसूचना दिनांक 18.12.15 की अधिसूचना के अध्याय 1 में उल्लेख है कि जहां केन्द्र सरकार समुचित सरकार के रुप में भू अर्जन कर रही है वही इस अधिसूचना के प्रावधान लागू होंगे। प्रकरण में संलग्न राजस्व दस्तावेजों तथा भूमि स्वामी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर नियमानुसार आवश्यक सुधार कर भू-अर्जन की कार्यवाही की जा रही है।

11. दिनांक 02.07.2014 को जिला स्तरीय पुनर्वास समिती की बैठक के बिन्दुओ को सक्षम अधिकारी (कमिश्नर बिलासपुर) के द्वारा भूमि अर्जन,पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं परदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 के सेड्युल 2 के अनुसार निर्देशित कण्डिकाओं का पालन करते हुए 25 जुलाई 2015 को अनुमोदित किया गया है। जिला स्तरीय पुनर्वास समिती की बैठक वर्ष 2014-15 में माननीय मंत्री एवं विधायक महोदय, कलेक्टर,सी.ई.ओ.जिला पंचायत, अनुविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, पटवारी, ग्राम पंचायत आदि को सूचना देकर उपस्थिती में हुई थी। सभी बिंदुओं में चर्चा होने के पश्चात 8.7.14 को बैठक के बिंदुओं की प्रति भी सभी संबंधितों एवं पंचायत को उपलब्ध कराई गयी।

12. भारत में राज्य शासनों की पुर्नवास नीति के अनुसार, प्रचलित शासकीय नियम, भूमि का गाईड लाईन /ब्रिकी छांट मूल्य आदि का पालन करते हुये पुनर्वास नीति हर जगह राज्य शासन द्वारा अनुमोदित की जाती रही है। भूमि अर्जन,पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं परदर्षिता अधिकार अधिनियम 2013 के षेड्युल 1 एवं 2 के अनुसार एन.टी.पी.सी. तलाईपाली के भू-अर्जन प्रकरण हेतु पुर्नवास नीति सक्षम अधिकारी (कमिश्नर बिलासपुर) के द्वारा अनुमोदित है।

13. प्रकरण में अर्जित की जा रही भूमि के संबंध में प्रस्तुत राजस्व अभिलेखों में दर्ज भूमिस्वमी को धारा 21 की सूचना जारी की गई है।तथा उन्हें सूना गया है।

14. मौके पर खसरा नं. 235/2 रकबा 0.061, 303/2 रकबा 0.049, 305/2 रकबा 0.129, 306 रकबा 0.032, 307/2 रकबा 0.100, 312/3, रकबा 0.089, 779/1 रकबा 0.291 हे. भूमि रेल कोरिडोर में प्रभावित है। एवं उक्त खसरा नं. की भूमि पर वृक्षों की संख्या निम्नानुसार है। :- पलास 41, साजा 1, तेन्दु 1, चार 3, नीम 5, रिंया 2 खैर 11 पीपल 1 बेहरा 3 बबूल 1, कठली 2 महुआ 2 सेम्हर 1 नग पाये गये ।

आपत्तिकर्ता -

17 ना.बा. आदित्य चौपड़ा आ0 जितेन्द्र चौपड़ा आ.बलवीर चौपड़ा किरोड़ीमल कालोनी रायगढ़ 18. श्रीमती निलीमा तिवारी पति राजकुमार श्रीमती ममता तिवारी बेवा जयंत तिवारी केलो बिहार रायगढ़ 19. सुरेश कुमार चौबे आ. आदित्य प्रसाद चौबे ग्राम एकताल

उपरोक्त कमांक 17 से 19 तक के आपत्तिकर्ताओं के निम्नांकित बिन्दुओं पर आपत्ति की गई है:-

1. धारा 19 के पुनर्वासन व पुर्नस्थापना तथा घोषणा और सार का प्रकाषन कराया जाना प्रावधानित है किन्तु पुनर्वासन व पुर्नस्थापना सार का प्रकाशन आज दिनांक तक नहीं कराया गया है। जबकी भू-अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 19 (2) की उप धरा 1 में यह स्पष्ट प्रावधान है कि इस उप धारा के अधिन कोई घोषणा तब तक नहीं किया जावेगा, तब तक पुनर्वासन व पुनर्व्यस्थापन का योजना का सार ऐसी घोषणा के साथ नहीं किया जाता । एतएवं त्रुटिपूर्ण प्रकियाओं का समावेष कर मात्र प्रबंधक एन.टी.पी.सी. द्वारा भूमि प्राप्त करना चाहता है, जो कि अवैधानिक है।

2. यह कि धारा 11 के परिप्रेक्ष्य में आपत्तिकर्ता के द्वारा आपत्ति प्रस्तुत किया गया था, किन्तु महा प्रबंधक एन.टी.पी.सी. एवं तहसीदार के द्वारा अस्पष्ट प्रतिवेदन एवं भू -अर्जन की प्रकियाओं के विपरित प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर भू-अर्जन अधिकारी, रायगढ़ के द्वारा प्रस्तुत आपत्ति का बिन्दुवार निराकरण नहीं किया गया है तथा बिना निराकरण के ही अग्रिम कार्यवाही की गई है, जो कि अनुचित है।

3. यह कि रिट पिटिशन कमांक 1443 नितिश अग्रवाल, मेनका अग्रवाल बनाम छ.ग. शासन व अन्य में माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर (छ.ग.) के द्वारा दिनांक 14.09.2015 को यह आदेशित किया गया था कि भू-अर्जन अधिनियम के अध्याय 2 एवं अध्याय 3 का पालन किये जाने का निर्देशित किया गया था। जिसकी प्रतिलिपि आपत्ति के साथ प्रस्तुत की गयी थी, किन्तु अनावेदक एवं तहसीलदार रायगढ़ तथा श्रीमान के द्वारा उक्त बिन्दुओं का अव्हेलना किया गया है। विदित हो की माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा पारित आदश को सम्पूर्ण छ.ग.में पालन किया जाना है। उपरोक्त त्रुटिपूर्ण कार्यवाही के क्षुब्ध होकर अन्य प्रकरण किशन लाल शर्मा, शोभा अग्रवाल रिट पिटिशन क.

1507/16,1508/2016 प्रस्तुत है, जिसमें छ.ग. शासन वगैरह को 4 सप्ताह में जवाब प्रस्तुत करने का समय दिया गया है, चूंकि उक्त प्रकरण की एक ही प्रकृति की है, ऐसी स्थिति में बिना निराकरण के भू-अर्जन की अग्रिम कार्यवाही नही किया जावे।

4. यह कि सम्पत्ति का अधिकार विधिक अधिकार के साथ साथ मानवाधिकार भी है, जिसे अविधिक व छल पूर्वक उसके अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है।

5. यह कि दिनांक 17.10.2015 को धारा (1) भू-अर्जन अधिनियम के तहत प्रारंभिक अधिसूचना प्रकाशित कराया जाता है एवं समुचित सरकार के बेवसाईड में प्रकाशन न करा कर छल पूर्वक एन.टी.पी.सी. में कार्यरत कर्मचारियों के द्वारा रायगढ़ के बेवसाईड में दिनांक 13.05.2016 को कराया जाता है तथा उसी दिनांक 13.05.2016 को धारा 19 का भी बेवसाईड में प्रकाशन कराया जाता है जबकी भू – अर्जन की प्रकिया में समयावधि का गणना अंतिम प्रकाशन दिनांक को माना जाना प्रावधानित है तथा धारा 11 (1) के प्रकाशन पश्चात 60 दिन के समयावधि आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु प्रावधनित है, जिसका भी पालन नहीं किया गया है।

6. यह कि धारा 19 राजपत्र में दिनांक 03/06/2016 को प्रकाशित कराया जाता है वह भी उपरोक्तानुसार त्रुटिपूर्ण है एवं धारा 19 भू-अर्जन अधिनियम का प्रकाशन के प्रारूप पूर्ण कराये बगैर धारा 21 के नोटिस व्यक्तिशः जारी कर दिया जाता है। अतएव समस्त प्रक्रिया भू-अर्जन अधिनियम के तहत आदेशात्मक कार्यवाही है, जिसका पालन नहीं किया गया है। अतएवं सम्पूर्ण कार्यवाही शुन्य व अवैधानिक है।

7. यह कि भारत सरकार के द्वारा दिनांक 31.12.2014 को जारी अधिसूचना में जिन परियोजना में समुचित सरकार का भूमि स्वामी निरस्तर बना हो उन परियोजनाओं पर भू-अर्जन के अध्याय अधिनियम 2व3 का छुट प्रदान किया गया है। जिसके तारतम्य में छ.ग. शासन के द्वारा 02.03.2015 की अधिसूचना जारी कर अध्याय 2 व 3 का प्रावधान लागू किया गया था, उक्त अधिसूचना की अंतिम दिनांक 31.08.2015 था, चूंकि भारत सरकार के द्वारा लाये गये अध्यादेश पूर्व में शून्य हो चुका है, जिसको आधार बना कर केवल आदेष पत्रक में उल्लेखित कर छुट के दायरे में लाया गया है, जबकी उक्त दिनांक को धारा 11 के प्रकाशन के प्रारूप, मुनादी, समाचार पत्र, राजपत्र, बेबसाईड में किसी भी रीति से प्रकाशन नहीं किया गया था, ऐसी स्थिति में छ.ग.शासन के द्वारा एवं भू-अर्जन अधिकारी के द्वारा अध्याय 2 व 3 का पालन किये बगैर अग्रिम कार्यवाही किया जाना न्याय संगत नहीं है।

8. यह कि धारा 11 के बेबसाईड में प्रकाशन के पूर्व ही धारा 19 का प्रकाषन दैनिक समाचार पत्रों में कर दिया गया है। एक ओर धारा 11 के प्रकाशान के प्रारूप पूर्ण नहीं किया गया था वहीं दुसरी ओर धारा 19 का प्रकाशन किया जाना नवीन भू-अर्जन अधिनियम 2013के प्रावधानों के विपरित है।

9. प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन के पश्चात भारत सरकार के द्वारा अधिसूचना दिनांक 18.12.2015 को जारी किया गया था जिसमें भूमि अभिलेखों को अद्यतन करवाने की नियम उल्लेखित है जिसके अनुसार मृतक व्यक्तियों के नामों को लोप करना, मृतक व्यक्तियों के वारिसो का नामों को प्रवृष्टि करना, भूमि पर अधिकारों के रजिस्ट्री के समव्यपहारों जैसे– बिक्री,दान, विभाजन आदि को प्रवृष्टि करना बंधक के सभी प्रवृष्टियों को अभिलेखों प्रवृष्टि करना इत्यादी उल्लेखित है, किन्तु उक्त अधिसूचना के प्रकाशन के उपरांत दिनांक 23.02.2016 को धार 11 (1) में आपत्ति पर निराकरण हेतु नियत किया गया था किन्तु उक्त अधिसूचना में दर्षित बिन्दुओं को नजर अंदाज करते हुए या ताक में रखते हुए आपत्तिकर्ता के संवैधानिक अधिकार का हनन कर छल पूर्वक अनावेदक एवं तहसीलदार के द्वारा त्रुटिपूर्ण प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है, जो कि भू-अर्जन की धारा 86,87 के तहत अपराध की श्रेणी में आता है।

10. यह कि उपरोक्त कंडिकावार बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए एवं विधिवत भू-अर्जन प्रकिया के अनुकुल निराकरण कर आपत्तिकर्ता को सूचना/जानकारी देने के उपरांत ही भू – अर्जन की अग्रिम कार्यवाही किया जावे ताकि भविष्य में एन.टी.पी.सी.लारा परियोजना की भांती इस परियोजना में भी भूमि पर कब्जा लेने के उपरांत प्रभावितों को अनावश्यक न्यायालयीन कार्यवाही में उलझना न पड़ें। यदि जानबुझ कर आपत्तिकर्ता के हित को ताक में रखते हुए अविधिक पूर्ण कार्यवाही की जाती है तो उसकी समस्त जवाबदारी महाप्रबंधक एन.टी.पी.सी. की होगी।

11. एक ओर एन.टी.पी.सी. के पुनर्वास निति के कंडिका 9.6 रोजगार एवं वार्षिकी में प्रति प्रभावित एक बार 5.00 लाख दिया जावेगा या वार्षिकी पॉलिसी कीमत सूचकांक के अनुसार कम से कम 2000/–रू. प्रति माह उल्लेखित है, जबकी 02.07.2014 जिला स्तरीय पुनर्वास समिति की बैठक में भू – अर्जन के मुआवजे के अतिरिक्त 30000/–रू. प्रति एकड़ अनुपातिक 20 वर्ष तक भूमि विस्थापित परिवार को दिया जावेगा। प्रत्येक 2 वर्ष में प्रति एकड़ 500/–रू. बढ़ाया जायेगा। जबकी सूचना के अधिकार के तहत चाही गयी जानकारी में जिला कार्यालय रायगढ़ के द्वारा जिला

स्तरीय पुनर्वास समिति का गठन वर्ष 2013–14 में नहीं हुआ है और न ही इसं संदर्भ में सचिवालय रायपुर में दिशा निर्देश प्राप्त हुआ है, बताया गया। अतः न तो पूर्व में पुनर्वास स्कीम विधिवत बनाया गया और नही धारा 16 (5) के तहत पुनर्वास प्रतिवेदन के संदर्भ में कोई सुनवाई किया गया है। चूंकि छ.ग. शासन का कृषि भूमि में निरन्तर भू–स्वामी है एवं एन.टी.पी.सी. प्रस्तावक है, ऐसी स्थिति में वर्ष 2013 भू–अर्जन अधिनियम के प्रावधानों को मनमाने ढंग से लागू कर आपत्तिकर्ता/रजिस्टर्ड भूमि स्वामी को उसके संवैधानिक अधिकारों से वंचित किया जा रहा है, जो कि अनुचित है।

12. एन.टी.पी.सी. की पुनर्वास नीति सम्पूर्ण भारत में एक होती है। वर्ष 2015 में एन.टी.पी.सी. के द्वारा ग्राम –गहिलगढ़ (पं.) विद्यांचल (मध्यप्रदेष) में कृषि भूमि का रजिस्टर्ड सेल डीड के माध्यम से क्रय किया गया है एवं दिनांक 18.03.2015 को कीमत सूचकांक के अनुसार प्रभावित भूमिस्वामियों को नौकरी के एवज में 700000/–रू. (सात लाख) पैकेज दिया गया है, चूंकि एन.टी.पी.सी. के द्वारा रायगढ़ के परियोजनाओं हेतु पुनर्वास प्रतिवेदन, धारा 19 के साथ पुनर्वास का सार प्रकाशन नहीं कराया गया है। अतएव वर्तमान कीमत सूचकांक के अनुसार नौकरी के एवज में पैकेज प्राप्त करने के अधिकारी है एवं प्रति एकड़ 2000000/–(बीस लाख रूपये) की दर से मुआवजा राषि का निर्धारण कर नवीन भू–अर्जन अधिनियम के तहत 4 गुना, दिया जावे चूंकी अन्य प्रान्त में (सुन्दरगढ़ ओडिसा) में एन.टी.पी.सी. के द्वारा 22.00 लाख रू. प्रति एकड़ की दर से मुआवजा राशि का निर्धारण किया गया है।

उपरोक्त आपत्तियों का निम्नानुसार निराकरण किया गया :–

1. कमिश्नर बिलासपुर संभाग बिलासपुर द्वारा इस भू अर्जन प्रकरण हेतु अनुमोदित पुर्नवासन योजना के सार का प्रकाशन ग्राम में धारा 19 के प्रकाशन के साथ किया जा चुका है।

2. अधिनियम की धारा 11 के पश्चात् समयावधि में प्राप्त दावा/आपत्तियों का निमयानुसार जांच कर निराकरण किया गया है।

3 रेंगालपाली ग्राम के भू अर्जन से संबंधित शोभा अग्रवाल की रिट पिटिशन क्रमांक ॅच्1508/2016 माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर में विचराधीन है एवं छ.ग.शासन द्वारा जवाब प्रस्तुत किया जा चुका है। प्रकरण के संबंध में माननीय न्यायालय द्वारा दिये गये आदेश का पालन किया जाएगा।उल्लेखित रिट पिटिशन क्रमांक 1443 नितिश अग्रवाल बनाम छ.ग. शासन माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर में वर्तमान में विचाराधिन है।

4. भूमि अर्जन,पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं परदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 के प्रवाधनो का पालन करते हुए वर्तमान में भू–अर्जन की कार्यवाही की जा रही है।

5. भूमि अर्जन,पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं परदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के नियमानुसार प्रारंभिक अधिसूचना ई–राजपत्र के रुप में समूचित सरकार (छ.ग. शासन) की वेबसाइट में 02.10.15 को प्रकाशित कि जा चुकी है। ग्राम एकताल के लिए प्रारंभिक अधिसूचना (धारा11) का अंतिम प्रकाशन ग्राम प्रकाशन 08.11.15 के अनुसार 07.01.15 तक 60 दिन की समयावधि नियत थी। इस समय सीमा में प्राप्त आपत्ति विचार के लिये स्वीकार की गई है।

6. दिनांक 03.6.2016 को धारा 19 के राजपत्र प्रकाशन उपरांत 27.6.2016 एवं पुनः 30.7.16 की तिथि नियत कर धारा 21 की सुनवाई की गई।इस प्रकार भू –अर्जन अधिनियम की धारा 19 एवं 21 के मध्य नियमानुसार एक माह से अधिक का समय देकर आपत्तियां ली गई। धारा 21 के नोटिस के पूर्व धारा 19 का प्रकाशन क्षेत्रिय एवं स्थानीय समाचार पत्रों में, संबंधित ग्राम प्रकाशन एवं अतिरिक्त रुप से रायगढ़ की वेब साइट में अपलोड कर दिया गया था।

7. भूमि अर्जन,पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं परदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 के अध्याय 2 व 3 का प्रावधानों से 2 मार्च 2015 को छ.ग. शासन के द्वारा असाधरण राजपत्र के माध्यम से औद्योगिक कारीडोर एवं अन्य परियोजना को छुट प्रदान की गई थी। इस अध्यादेश के अस्तित्व में रहते हुए कलेक्टर रायगढ़ द्वारा भू अर्जन प्रकरण की प्रारंभिक अधिसूचना का अनुमोदन 31.08.2015 को कर दिया गया था एवं आवेदक संस्था एनटीपीसी तिलाईपाली द्वारा भू–अर्जन की राषि भी जमा कि जा चुकी थी।

भू अर्जन अधिकारी
अनुविभागीय अधिकारी (रा
रायगढ़ (छत्तीसगढ़)

8. धारा 11 का प्रकाशन निम्नानुसार किया गया है :—

1. छ.ग. राजपत्र — 2/10/15
2. समुचित सरकार (छ.ग.शासन) वेबसाईट (www.cg.nic.in/ egazette) ई — राजपत्र — 2/10/2015
3. स्थानीय समाचार पत्र जनकर्म दिनांक 08/11/2015
4. क्षेत्रिय समाचार पत्र नवभारत दिनांक 18/10/2015
5. ग्राम प्रकाशन दिनांक 30/10/2015

उपरोक्त प्रकाशन को पूर्ण करने के पश्चात ही धारा 19 का प्रकाशन करवाया गया।

9. भारत सरकार के द्वारा अधिसूचना दिनांक 18.12.15 की अधिसूचना के अध्याय 1 में उल्लेख है कि जहां केन्द्र सरकार समुचित सरकार के रुप में भू अर्जन कर रही है वही इस अधिसूचना के प्रावधान लागू होंगे। प्रकरण में संलग्न राजस्व दस्तावेजों तथा भूमि स्वामी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर नियमानुसार आवश्यक सुधार कर भू—अर्जन की कार्यवाही की जा रही है।

10. प्रकरण में अर्जित की जा रही भूमि के संबंध में प्रस्तुत राजस्व अभिलेखों में दर्ज भूमिस्वमी को धारा 21 की सूचना जारी की गई है। तथा उन्हें सूना गया है।

11. दिनांक 02.07.2014 को जिला स्तरीय पुनर्वास समिती की बैठक के बिन्दुओ को सक्षम अधिकारी (कमिश्नर बिलासपुर) के द्वारा भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं परदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 के सेडयुल 2 के अनुसार निर्देशित कण्डिकाओं का पालन करते हुए 25 जुलाई 2015 को अनुमोदित किया गया है। जिला स्तरीय पुनर्वास समिती की बैठक वर्ष 2014—15 में माननीय मंत्री एवं विधायक महोदय, कलेक्टर,सी.ई.ओ.जिला पंचायत, अनुविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, पटवारी, ग्राम पंचायत आदि को सूचना देकर उपस्थिती में हुई थी। सभी बिंदुओं में चर्चा होने के पश्चात 8.7.14 को बैठक के बिंदुओं की प्रति भी सभी संबंधितों एवं पंचायत को उपलब्ध कराई गयी।

12. भारत में राज्य शासनों की पुर्नवास नीति के अनुसार, प्रचलित शासकीय नियम, भूमि का गाईड लाईन /ब्रिकी छांट मूल्य आदि का पालन करते हुये पुनर्वास नीति हर जगह राज्य शासन द्वारा अनुमोदित की जाती रही है। भूमि अर्जन,पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं परदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 के षेडयुल 1 एवं 2 के अनुसार एन.टी.पी.सी. तलाईपाली के भू—अर्जन प्रकरण हेतु पुर्नवास नीति सक्षम अधिकारी (कमिष्नर बिलासपुर) के द्वारा अनुमोदित है।

आपत्तिकर्ता —

20. हर्षदिप सलूजा पिता राजेन्द्र पाल सलूजा 21 प्रबोद कुमार केरकेट्टा पिता पौलुस केरकेट्टा 22. सुरेन्द्र सिंह छाबड़ा पिता मंगल सिंह छाबड़ा 23. आनंद शर्मा आ0 राधेश्याम गांजा चौक रायगढ़ छ0ग0 24. विशाल बलेचा आ0 बिहारीलाल हरिलाल रोहरा आ0 धनराज बेलादुला रायगढ़ 25. ना.बा. प्रिंस सलूजा आ.नरेष श्रीमती शकुन्तला सलूजा गौरीशंकर रोड़ रायगढ़ 26. श्रीमती नीतू बलेचा आ.विकाष श्रीमती नेहा रोहरा पति हरिलाल सिंधी कालोनी रायगढ़ 27. श्रीमती कंचन रोहरा पति विनोद कुमार ,विनोद कुमार आ. ज्ञानचंद रोहरा सिंधी कालोनी रायगढ़

उपरोक्त कमांक 20 से 27 तक के आपत्तिकर्ताओं के निम्नांकित बिन्दुओं पर आपत्ति की गई है:—

1. यह कि भारत सरकार के द्वारा दिनांक 31.12.2014 को जारी अधिसूचना में जिन परियोजना में समुचित सरकार का भूमि स्वामी निरस्तर बना हो उन परियोजनाओं पर भू—अर्जन के अध्याय अधिनियम 2 व 3 का छुट प्रदान किया गया है। जिसके तारतम्य में छ.ग. शासन के द्वारा 02.03.2015 की अधिसूचना जारी कर अध्याय 2 व 3 का प्रावधान लागू किया गया था, उक्त अधिसूचना की अंतिम दिनांक 31.08.2015 था, चूंकि भारत सरकार के द्वारा लाये गये अध्यादेश पूर्व में शून्य हो चुका है, जिसको आधार बना कर केवल आदेश पत्रक में उल्लेखित कर छुट के दायरे में लाया गया है, जबकी उक्त दिनांक को धारा 11 के प्रकाशन के प्रारूप, मुनादी, समाचार पत्र, राजपत्र, बेबसाईड में किसी भी रीति से प्रकाशन नहीं किया गया था, ऐसी स्थिति में छ.ग.शासन के द्वारा एवं भू—अर्जन अधिकारी के द्वारा अध्याय 2 व 3 का पालन किये बगैर अग्रिम कार्यवाही किया जाना न्याय संगत नहीं है।

2. यह कि रिट पिटिशन कमांक 1443 नितिष अग्रवाल, मेनका अग्रवाल बनाम छ.ग. शासन व अन्य में माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर (छ.ग.) के द्वारा दिनांक 14.09.2015 को यह आदेशित किया गया था कि भू—अर्जन अधिनियम के

भू अर्जन अधिकारी
अनुविभागीय अधिकारी (रा.)

अध्याय 2 एवं अध्याय 3 का पालन किये जाने का निर्देशित किया गया था। जिसकी प्रतिलिपि आपत्ति के साथ प्रस्तुत की गयी थी, किन्तु अनावेदक एवं तहसीलदार रायगढ़ तथा श्रीमान के द्वारा उक्त बिन्दुओं का अव्हेलना किया गया है। विदित हो की माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा पारित आदेश को सम्पूर्ण छ.ग.में पालन किया जाना है। उपरोक्त त्रुटिपूर्ण कार्यवाही के क्षुब्ध होकर अन्य प्रकरण किशन लाल शर्मा, शोभा अग्रवाल रिट पिटिषन क्र. 1507/16,1508/2016 प्रस्तुत है, जिसमें छ.ग. शासन वगैरह को 4 सप्ताह में जवाब प्रस्तुत करने का समय दिया गया है, चूंकि उक्त प्रकरण की एक ही प्रकृति की है, ऐसी स्थिति में बिना निराकरण के भू–अर्जन की अग्रिम कार्यवाही नही किया जावे।

3. यह कि धारा 11 के बेबसाईड में प्रकाशन के पूर्व ही धारा 19 का प्रकाशन दैनिक समाचार पत्रों में कर दिया गया है। एक ओर धारा 11 के प्रकाशान के प्रारूप पूर्ण नहीं किया गया था वहीं दुसरी ओर धारा 19 का प्रकाशन किया जाना नवीन भू–अर्जन अधिनियम 2013के प्रावधानों के विपरित है।

4. धारा 19 के पुनर्वासन व पुर्नस्थापना तथा घोषणा और सार का प्रकाशन कराया जाना प्रावधानित है किन्तु पुनर्वासन व पुर्नस्थापना सार्क का प्रकाशन आज दिनांक तक नहीं कराया गया है। जबकी भू–अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 19 (2) की उप धरा 1 में यह स्पष्ट प्रावधान है कि इस उप धारा के अधिन कोई घोषणा तब तक नहीं किया जावेगा, तब तक पुनर्वासन व पुनर्व्यस्थापन का योजना का सार ऐसी घोषणा के साथ नहीं किया जाता । एतएवं त्रुटिपूर्ण प्रकियाओं का समावेश कर मात्र प्रबंधक एन.टी.पी.सी. द्वारा भूमि प्राप्त करना चाहता है, जो कि अवैधानिक है।

5. यह कि धारा 19 राजपत्र में दिनांक 03/06/2016 को प्रकाशित कराया जाता है वह भी उपरोक्तानुसार त्रुटिपूर्ण है एवं धारा 19 भू–अर्जन अधिनियम का प्रकाशन के प्रारूप पूर्ण कराये बगैर धारा 21 के नोटिस व्यक्तिशः जारी कर दिया जाता है। अतएव समस्त प्रक्रिया भू–अर्जन अधिनियम के तहत आदेषात्मक कार्यवाही है, जिसका पालन नहीं किया गया है। अतएवं सम्पूर्ण कार्यवाही शुन्य व अवैधानिक है।

6. यह कि धारा 11 के परिप्रेक्ष्य में आपत्तिकर्ता के द्वारा आपत्ति प्रस्तुत किया गया था, किन्तु महा प्रबंधक एन.टी.पी.सी. एवं तहसीदार के द्वारा अस्पष्ट प्रतिवेदन एवं भू –अर्जन की प्रक्रियाओं के विपरित प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर भू–अर्जन अधिकारी, रायगढ़ के द्वारा प्रस्तुत आपत्ति का बिन्दुवार निराकरण नहीं किया गया है तथा बिना निराकरण के ही अग्रिम कार्यवाही की गई है, जो कि अनुचित है।

7. प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन के पश्चात भारत सरकार के द्वारा अधिसूचना दिनांक 18.12.2015 को जारी किया गया था जिसमें भूमि अभिलेखों को अद्यतन करवाने की नियम उल्लेखित है जिसके अनुसार मृतक व्यक्तियों के नामों को लोप करना, मृतक व्यक्तियों के वारिसो का नामों को प्रवृष्टि करना, भूमि पर अधिकारों के रजिस्ट्री के समव्यवहारों जैसे– बिकी,दान, विभाजन आदि को प्रवृष्टि करना बंधक के सभी प्रवृष्टियों को अभिलेखों प्रवृष्टि करना इत्यादी उल्लेखित है, किन्तु उक्त अधिसूचना के प्रकाषन के उपरांत दिनांक 23.02.2016 को धार 11 (1) में आपत्ति पर निराकरण हेतु नियत किया गया था किन्तु उक्त अधिसूचना में दर्षित बिन्दुओं को नजर अंदाज करते हुए या ताक में रखते हुए आपत्तिकर्ता के संवैधानिक अधिकार का हनन कर छल पूर्वक अनावेदक एवं तहसीलदार के द्वारा त्रुटिपूर्ण प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है, जो कि भू–अर्जन की धारा 86,87 के तहत अपराध की श्रेणी में आता है।

उपरोक्त आपत्तियों का निम्नानुसार निराकरण किया गया :–

1. भूमि अर्जन,पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं परदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 के अध्याय 2 व 3 का प्रावधानों से 2 मार्च 2015 को छ.ग. शासन के द्वारा असाधरण राजपत्र के माध्यम से औद्योगिक कारीडोर एवं अन्य परियोजना को छुट प्रदान की गई थी। इस अध्यादेश के अस्तित्व में रहते हुए कलेक्टर रायगढ़ द्वारा भू अर्जन प्रकरण की प्रारंभिक अधिसूचना का अनुमोदन 31.08.2015 को कर दिया गया था एवं आवेदक संस्था एनटीपीसी तिलाईपाली द्वारा भू–अर्जन की राशि भी जमा कि जा चुकी थी।

6. रेंगालपाली ग्राम के भू अर्जन से संबंधित शोभा अग्रवाल की रिट पिटिशन कमांक WPC1508/2016 माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर में विचराधीन है एवं छ.ग.शासन द्वारा जवाब प्रस्तुत किया जा चुका है। प्रकरण के संबंध में माननीय न्यायालय द्वारा दिये गये आदेश का पालन किया जाएगा।उल्लेखित रिट पिटिशन कमांक 1443 नितिश अग्रवाल बनाम छ.ग. शासन माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर में वर्तमान में विचाराधिन है।

3. धारा 11 का प्रकाषन निम्नानुसार किया गया है :–

1. छ.ग. राजपत्र – 2/10/15

भू अर्जन अधिकारी
अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
(छत्तीसगढ़)

2. समुचित सरकार (छ.ग.षासन) वेबसाईट (www.cg.nic.in/ egazette) ई – राजपत्र – 2/10/2015
3. स्थानीय समाचार पत्र जनकर्म दिनांक 08/11/2015
4. क्षेत्रिय समाचार पत्र नवभारत दिनांक 18/10/2015
5. ग्राम प्रकाशन दिनांक 30/10/2015
उपरोक्त प्रकाशन को पूर्ण करने के पश्चात ही धारा 19 का प्रकाषन करवाया गया।

4. कमिश्नर बिलासपुर संभाग बिलासपुर द्वारा इस भू अर्जन प्रकरण हेतु अनुमोदित पुर्नवासन योजना के सार का प्रकाशन ग्राम में धारा 19 के प्रकाशन के साथ किया जा चुका है।

5. दिनांक 03.6.2016 को धारा 19 के राजपत्र प्रकाशन उपरांत 27.6.2016 एवं पुनः 30.7.16 की तिथि नियत कर धारा 21 की सुनवाई की गई।इस प्रकार भू –अर्जन अधिनियम की धारा 19 एवं 21 के मध्य नियमानुसार एक माह से अधिक का समय देकर आपत्तियां ली गई। धारा 21 के नोटिस के पूर्व धारा 19 का प्रकाशन क्षेत्रिय एवं स्थानीय समाचार पत्रों में, संबंधित ग्राम प्रकाशन एवं अतिरिक्त रुप से रायगढ़ की वेब साइट में अपलोड कर दिया गया था।

6. अधिनियम की धारा 11 के पश्चात् समयावधि में प्राप्त दावा/आपत्तियों का निमयानुसार जांच कर निराकरण किया गया है।

7. भारत सरकार के द्वारा अधिसूचना दिनांक 18.12.15 की अधिसूचना के अध्याय 1 में उल्लेख है कि जहां केन्द्र सरकार समुचित सरकार के रुप में भू अर्जन कर रही है वही इस अधिसूचना के प्रावधान लागू होंगे। प्रकरण में संलग्न राजस्व दस्तावेजों तथा भूमि स्वामी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर नियमानुसार आवश्यक सुधार कर भू–अर्जन की कार्यवाही की जा रही है।

आपत्तिकर्ता –

28. प्रिति शर्मा पति अजय शर्मा निवासी रायगढ़ भूमिस्वामी 29. रमेश शर्मा आ0 बाबूलाल शर्मा 30 सरिता शर्मा पति रमेश शर्मा सम्बलपुर

उपरोक्त कमांक 28 से 30 तक के आपत्तिकर्ताओं के निम्नांकित बिन्दुओं पर आपत्ति की गई हैः–

1. यह कि दिनांक 17.10.2015 को धारा (1) भू–अर्जन अधिनियम के तहत प्रारंभिक अधिसूचना प्रकाशित कराया जाता है एवं समुचित सरकार के बेवसाईड में प्रकाषन न करा कर छल पूर्वक एन.टी.पी.सी. में कार्यरत कर्मचारियों के द्वारा रायगढ़ के बेवसाईड में दिनांक 13.05.2016 को कराया जाता है तथा उसी दिनांक 13.05.2016 को धारा 19 का भी बेवसाईड में प्रकाशन कराया जाता है जबकी भू – अर्जन की प्रकिया में समयावधि का गणना अंतिम प्रकाशन दिनांक को माना जाना प्रावधानित है तथा धारा 11 (1) के प्रकाशन पश्चात 60 दिन के समयावधि आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु प्रावधनित है, जिसका भी पालन नहीं किया गया है।

2. यह कि भारत सरकार के द्वारा दिनांक 31.12.2014 को जारी अधिसूचना में जिन परियोजना में समुचित सरकार का भूमि स्वामी निरस्तर बना हो उन परियोजनाओं पर भू–अर्जन के अध्याय अधिनियम 2व3 का छुट प्रदान किया गया है। जिसके तारतम्य में छ.ग. शासन के द्वारा 02.03.2015 की अधिसूचना जारी कर अध्याय 2 व 3 का प्रावधान लागू किया गया था, उक्त अधिसूचना की अंतिम दिनांक 31.08.2015 था, चूंकि भारत सरकार के द्वारा लाये गये अध्यादेष पूर्व में शून्य हो चुका है, जिसको आधार बना कर केवल आदेश पत्रक में उल्लेखित कर छुट के दायरे में लाया गया है, जबकी उक्त दिनांक को धारा 11 के प्रकाषन के प्रारूप, मुनादी, समाचार पत्र, राजपत्र, बेबसाईड में किसी भी रीति से प्रकाशन नहीं किया गया था, ऐसी स्थिति में छ.ग.शासन के द्वारा एवं भू–अर्जन अधिकारी के द्वारा अध्याय 2 व 3 का पालन किये बगैर अग्रिम कार्यवाही किया जाना न्याय संगत नहीं है।

7. यह कि धारा 11 के बेवसाईड में प्रकाषन के पूर्व ही धारा 19 का प्रकाशन दैनिक समाचार पत्रों में कर दिया गया है। एक ओर धारा 11 के प्रकाशन के प्रारूप पूर्ण नहीं किया गया था वहीं दूसरी ओर धारा 19 का प्रकाशन किया जाना नवीन भू – अर्जन अधिनियम 2013 के प्रावधानों के विपरित है।

4. प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाषन के पश्चात भारत सरकार के द्वारा अधिसूचना दिनांक 18.12.2015 को जारी किया गया था जिसमें भूमि अभिलेखों को अद्यतन करवाने की नियम उल्लेखित है जिसके अनुसार मृतक व्यक्तियों के नामों को लोप करना, मृतक व्यक्तियों के वारिसो का नामों को प्रवृष्टि करना, भूमि पर अधिकारों के रजिस्ट्री के समव्यपहारों जैसे– बिकी,दान, विभाजन आदि को प्रवृष्टि करना बंधक के सभी प्रवृष्टियों को अभिलेखों प्रवृष्टि करना इत्यादी उल्लेखित है, किन्तु उक्त अधिसूचना के प्रकाषन के उपरांत दिनांक 23.02.2016 को धार 11 (1) में आपत्ति पर

भू-अर्जन अधिकारी
अनुविभागीय अधिकारी (रा.)

निराकरण हेतु नियत किया गया था किन्तु उक्त अधिसूचना में दर्शित बिन्दुओं को नजर अंदाज करते हुए या ताक में रखते हुए आपत्तिकर्ता के संवैधानिक अधिकार का हनन कर छल पूर्वक अनावेदक एवं तहसीलदार के द्वारा त्रुटिपूर्ण में आता है। तथा टुकड़ा नक्शा का बटांकन विधिवत नहीं किया गया है।

5. यह कि सम्पत्ति का अधिकार विधिक अधिकार के साथ साथ मानवाधिकार भी है, जिसे अविधिक व छल पूर्वक उसके अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है।

6. धारा 19 के पुनर्वासन व पुर्नस्थापना तथा घोषणा और सार का प्रकाषन कराया जाना प्रावधानित है किन्तु पुनर्वासन व पुर्नस्थापना सार्क का प्रकाषन आज दिनांक तक नहीं कराया गया है। जबकी भू–अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 19 (2) की उप धरा 1 में यह स्पष्ट प्रावधान है कि इस उप धारा के अधिन कोई घोषणा तब तक नहीं किया जावेगा, तब तक पुनर्वासन व पुनर्व्यस्थापन का योजना का सार ऐसी घोषणा के साथ नहीं किया जाता । एतएवं त्रुटिपूर्ण प्रक्रियाओं का समावेष कर मात्र प्रबंधक एन.टी.पी.सी. द्वारा भूमि प्राप्त करना चाहता है, जो कि अवैधानिक है।

7. यह कि धारा 11 के परिप्रेक्ष्य में आपत्तिकर्ता के द्वारा आपत्ति प्रस्तुत किया गया था, किन्तु महा प्रबंधक एन.टी.पी.सी. एवं तहसीदार के द्वारा अस्पष्ट प्रतिवेदन एवं भू –अर्जन की प्रक्रियाओं के विपरित प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर भू–अर्जन अधिकारी, रायगढ़ के द्वारा प्रस्तुत आपत्ति का बिन्दुवार निराकरण नहीं किया गया है तथा बिना निराकरण के ही अग्रिम कार्यवाही की गई है, जो कि अनुचित है।

8. एक ओर एन.टी.पी.सी. के पुनर्वास निति के कंडिका 9.6 रोजगार एवं वार्षिकी में प्रति प्रभावित एक बार 5.00 लाख दिया जावेगा या वार्षिकी पॉलिसी कीमत सूचकांक के अनुसार कम से कम 2000/–रू. प्रति माह उल्लेखित है, जबकी 02.07.2014 जिला स्तरीय पुनर्वास समिति की बैठक में भू – अर्जन के मुआवजे के अतिरिक्त 30000/–रू. प्रति एकड़ अनुपातिक 20 वर्ष तक भूमि विस्थापित परिवार को दिया जावेगा। प्रत्येक 2 वर्ष में प्रति एकड़ 500/–रू. बढ़ाया जायेगा। जबकी सूचना के अधिकार के तहत चाही गयी जानकारी में जिला कार्यालय रायगढ़ के द्वारा जिला स्तरीय पुनर्वास समिति का गठन वर्ष 2013–14 में नहीं हुआ है और न ही इसं संदर्भ में सचिवालय रायपुर में दिशा निर्देष प्राप्त हुआ है, बताया गया। अतः न तो पूर्व में पुनर्वास स्कीम विधिवत बनाया गया और नही धारा 16 (5) के तहत पुनर्वास प्रतिवेदन के संदर्भ में कोई सुनवाई किया गया है। चूंकि छ.ग. शासन का कृषि भूमि में निरन्तर भू–स्वामी है एवं एन.टी.पी.सी. प्रस्तावक है, ऐसी स्थिति में वर्ष 2013 भू–अर्जन अधिनियम के प्रावधानों को मनमाने ढंग से लागू कर आपत्तिकर्ता/रजिस्टर्ड भूमि स्वामी को उसके संवैधानिक अधिकारों से वंचित किया जा रहा है, जो कि अनुचित है।

9. यह कि उपरोक्त कंडिकावार बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए एवं विधिवत भू–अर्जन प्रकिया के अनुकुल निराकरण कर आपत्तिकर्ता को सूचना/जानकारी देने के उपरांत ही भू – अर्जन की अग्रिम कार्यवाही किया जावे ताकि भविष्य में एन.टी.पी.सी.लारा परियोजना की भांती इस परियोजना में भी भूमि पर कब्जा लेने के उपरांत प्रभावितों को अनावष्यक न्यायालयीन कार्यवाही में उलझना न पड़ें। यदि जानबुझ कर आपत्तिकर्ता के हित को ताक में रखते हुए अविधिक पूर्ण कार्यवाही की जाती है तो उसकी समस्त जवाबदारी महाप्रबंधक एन.टी.पी.सी. की होगी।

10. यह कि धारा 19 राजपत्र में दिनांक 03/06/2016 को प्रकाशित कराया जाता है वह भी उपरोक्तानुसार त्रुटिपूर्ण है एवं धारा 19 भू–अर्जन अधिनियम का प्रकाषन के प्रारूप पूर्ण कराये बगैर धारा 21 के नोटिस व्यक्तिशः जारी कर दिया जाता है। अतएव समस्त प्रक्रिया भू–अर्जन अधिनियम के तहत आदेषात्मक कार्यवाही है, जिसका पालन नहीं किया गया है। अतएवं सम्पूर्ण कार्यवाही शुन्य व अवैधानिक है।

11. एन.टी.पी.सी. की पुनर्वास नीति सम्पूर्ण भारत में एक होती है। वर्ष 2015 में एन.टी.पी.सी. के द्वारा ग्राम –गहिलगढ़ (पं.) विद्यांचल (मध्यप्रदेष) में कृषि भूमि का रजिस्टर्ड सेल डीड के माध्यम से क्रय किया गया है एवं दिनांक 18.03. 2015 को कीमत सूचकांक के अनुसार प्रभावित भूमिस्वामियों को नौकरी के एवज में 700000/–रू. (सात लाख) पैकेज दिया गया है, चूंकि एन.टी.पी.सी. के द्वारा रायगढ़ के परियोजनाओं हेतु पुनर्वास प्रतिवेदन, धारा 19 के साथ पुनर्वास का सार प्रकाशन नहीं कराया गया है। अतएव वर्तमान कीमत सूचकांक के अनुसार नौकरी के एवज में पैकेज प्राप्त करने के अधिकारी है एवं प्रति एकड़ 2000000/–(बीस लाख रूपये) की दर से मुआवजा राषि का निर्धारण कर नवीन भू–अर्जन अधिनियम के तहत 4 गुना, दिया जावे चूंकी अन्य प्रान्त में (सुन्दरगढ़ ओडिसा) में एन.टी.पी.सी. के द्वारा 22.00 लाख रू. प्रति एकड़ की दर से मुआवजा राषि का निर्धारण किया गया है।

भू-अर्जन अधिकारी
अनुविभागीय अधिकारी (रा.
रायगढ़ (छत्तीसगढ़)

उपरोक्त आपत्तियों का निम्नानुसार निराकरण किया गया :–

1. भूमि अर्जन,पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं परदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के नियमानुसार प्रारंभिक अधिसूचना ई–राजपत्र के रुप में समूचित सरकार (छ.ग. शासन) की वेबसाइट में 02.10.15 को प्रकाशित कि जा चुकी है। ग्राम एकताल के लिए प्रारंभिक अधिसूचना (धारा11) का अंतिम प्रकाशन ग्राम प्रकाशन 08.11.15 के अनुसार 07.01.15 तक 60 दिन की समयावधि नियत थी। इस समय सीमा में प्राप्त आपत्ति विचार के लिये स्वीकार की गई है।

2. भूमि अर्जन,पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं परदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 के अध्याय 2 व 3 का प्रावधानों से 2 मार्च 2015 को छ.ग. शासन के द्वारा असाधरण राजपत्र के माध्यम से औद्योगिक कारीडोर एवं अन्य परियोजना को छुट प्रदान की गई थी। इस अध्यादेश के अस्तित्व में रहते हुए कलेक्टर रायगढ़ द्वारा भू अर्जन प्रकरण की प्रारंभिक अधिसूचना का अनुमोदन 31.08.2015 को कर दिया गया था एवं आवेदक संस्था एनटीपीसी तिलाईपाली द्वारा भू–अर्जन की राशि भी जमा कि जा चुकी थी।

3. धारा 11 का प्रकाशन निम्नानुसार किया गया है :–

   1. छ.ग. राजपत्र – 2/10/15
   2. समुचित सरकार (छ.ग.शासन) वेबसाईट (www.cg.nic.in/ egazette) ई – राजपत्र – 2/10/2015
   3. स्थानीय समाचार पत्र जनकर्म दिनांक 08/11/2015
   4. क्षेत्रिय समाचार पत्र नवभारत दिनांक 18/10/2015
   5. ग्राम प्रकाशन दिनांक 30/10/2015

   उपरोक्त प्रकाशन को पूर्ण करने के पश्चात ही धारा 19 का प्रकाशन करवाया गया।

4. भारत सरकार के द्वारा अधिसूचना दिनांक 18/12/15 की अधिसूचना के अध्याय 1 में उल्लेख है कि जहां केन्द्र सरकार समुचित सरकार के रुप में भू अर्जन कर रही है वही इस अधिसूचना के प्रावधान लागू होंगे। इस भू – अर्जन प्रकरण में भूमि स्वामी द्वारा प्रस्तुत वैध दस्तावेजों के अनुसार राजस्व अभिलेख को दुरुस्त कर भू – अर्जन की कार्यवाही चल रही है।

5 भूमि अर्जन,पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं परदर्षिता अधिकार अधिनियम 2013 के प्रवाधनो का पालन करते हुए वर्तमान में भू–अर्जन की कार्यवाही की जा रही है।

6. कमिश्नर बिलासपुर संभाग बिलासपुर द्वारा इस भू अर्जन प्रकरण हेतु अनुमोदित पुर्नवासन योजना के सार का प्रकाशन ग्राम में धारा 19 के प्रकाशन के साथ किया जा चुका है।

7. अधिनियम की धारा 11 के पश्चात् समयावधि में प्राप्त दावा/आपत्तियों का निमयानुसार जांच कर निराकरण किया गया है।

8. दिनांक 02.07.2014 को जिला स्तरीय पुनर्वास समिती की बैठक के बिन्दुओ को सक्षम अधिकारी (कमिश्नर बिलासपुर) के द्वारा भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं परदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 के सेड्युल 2 के अनुसार निर्देशित कण्डिकाओं का पालन करते हुए 25 जुलाई 2015 को अनुमोदित किया गया है। जिला स्तरीय पुनर्वास समिती की बैठक वर्ष 2014–15 में माननीय मंत्री एवं विधायक महोदय, कलेक्टर,सी.ई.ओ.जिला पंचायत, अनुविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, पटवारी, ग्राम पंचायत आदि को सूचना देकर उपस्थिती में हुई थी। सभी बिंदुओं में चर्चा होने के पश्चात 8.7.14 को बैठक के बिंदुओं की प्रति भी सभी संबंधितों एवं पंचायत को उपलब्ध कराई गयी।

9. प्रकरण में अर्जित की जा रही भूमि के संबंध में प्रस्तुत राजस्व अभिलेखों में दर्ज भूमिस्वमी को धारा 21 की सूचना जारी की गई है। तथा उन्हें सूना गया है।

10. दिनांक 03.6.2016 को धारा 19 के राजपत्र प्रकाशन उपरांत 27.6.2016 एवं पुनः 30.7.16 की तिथि नियत कर धारा 21 की सुनवाई की गई।इस प्रकार भू –अर्जन अधिनियम की धारा 19 एवं 21 के मध्य नियमानुसार एक माह से अधिक का समय देकर आपत्तियां ली गई। धारा 21 के नोटिस के पूर्व धारा 19 का प्रकाशन क्षेत्रिय एवं स्थानीय समाचार पत्रों में, संबंधित ग्राम प्रकाशन एवं अतिरिक्त रुप से रायगढ़ की वेब साइट में अपलोड कर दिया गया था।

भू अर्जन अधिकारी
अनुविभागीय अधिकारी (रा
रायगढ़ (छत्तीसगढ़)

11. भारत में राज्य शासनों की पुर्नवास नीति के अनुसार, प्रचलित शासकीय नियम, भूमि का गाईड लाईन /ब्रिकी छांट मूल्य आदि का पालन करते हुये पुनर्वास नीति हर जगह राज्य शासन द्वारा अनुमोदित की जाती रही है। भूमि अर्जन,पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं परदर्षिता अधिकार अधिनियम 2013 के षेडयुल 1 एवं 2 के अनुसार एन.टी.पी.सी. तलाईपाली के भू–अर्जन प्रकरण हेतु पुर्नवास नीति सक्षम अधिकारी (कमिश्नर बिलासपुर) के द्वारा अनुमोदित है।

आपत्तिकर्ता

31 विश्वरंजन आ0 सुरेश कुमार पण्डा , सुभाषिनी बेवा सुरेश कुमार पण्डा निवासी ग्राम एकताल तह पुसौर जिला रायगढ़ लक्ष्मीकांत मिश्रा आ0चूडामडी मिश्रा निासी ग्राम हमीरपुर तह0 तमनार जिला रायगढ आषोक कुमार आ0 तेजीराम महापात्र निवासी ग्राम नावापारा तह0 घरघोड़ा जिला रायगढ़ छ.ग. द्वारा निम्नांकित बिन्दुओं पर आपत्ति की गई है:–

1. छत्तीसगढ़ शासन द्वारा ग्राम एकताल पटवारी हल्का नम्बर 8 तहसील पुसौर जिला रायगढ़ छ.ग. में स्थित भूमि स्वामी भूमि कुल खसरा नम्बर 110 कुल रकबा 19.296 एकड़ भूमि को एन.टी.पी.सी. तलाईपाली कोल माईन्स परियोजना के रेल लाईन निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भू–अर्जन की कार्यवाही की जा रही है जिसके संबंध में भू–अर्जन पुर्नवास तथा पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के तहत अभिलिखित सूचना दिनांक 27.04.2014 का प्रकाशन /जारी मई 2016 में ग्राम एकताल में किये जाने पर हम आपत्तिकर्तागण /केतागण को जानकारी हुआ है कि उक्त प्रयोजन हेतु किये जा रहे भू–अर्जन की कार्यवाही में सम्मिलित भूमि में आपत्तिकर्तागण /केतागण द्वारा दिनांक 23.03.2013 को विकेता अग्रवाल बिल्डर्स एंड डेवलपर्स रायगढ़ की ओर से भागीदार विकास अग्रवाल आ.गुलाबचंद अग्रवाल से कय की गई भूमि खसरा नम्बर 236/2 रकबा 0.101 हे. एवं खसरा नम्बर 236/3 रकबा 0.141 हे. में से एक खसरा नम्बर 236/2 रकबा 0.101 हे. भूमि को ग्राम के अन्य भूमियों के साथ अधिग्रहण हेतु कार्यवाही की जा रही है।

2. हम आपत्तिकर्तागण /केतागण दिनांक 23.03.2013 को उक्त कय की गई भूमि का कय दिनांक से स्वामी होने से ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 30.04.13 को प्रस्ताव पारित कर नामान्तरण कमांक 17 वर्ष 2012–13 के रूप में नाम दर्ज कर अभिलेख दुरूस्त किया गया चूंकि उक्त भूमि में से खसरा नम्बर 236/2 रकबा 0.101 हे. को एन.टी.पी.सी. लारा अन्तर्गत रेल लाईन हेतु प्रस्तावित करने पर अनुविभागीय अधिकारी रायगढ़ एवं कलेक्टर भू–अर्जन शाखा रायगढ़ के निर्देषानुसार दिनांक 16.01.2015 को तहसीलदार पुसौर द्वारा एक राजस्व पुर्नविलोकन प्रकरण कमांक 147/अ–6/14–15 दर्ज कर केता एवं विकेतागण को सुनवाई का अवसर दिये बिना दिनांक 28.01.2015 को आदेष पारित करते हुए हम केतागण के पक्ष में किये गये नामान्तरण को निरस्त कर विकेता अग्रवाल बिल्डर्स एवं डेवलपर्स भागीदार विकास आ. गुलाबचंद अग्रवाल मेन हास्पिटल के सामने रायगढ़ के नाम पर अभिलेख दुरूस्त करने का आदेष पारित कर दिया गया जबकी उक्त भूमि को विकास आ.गुलाबचंद अग्रवाल द्वारा दिनांक 20.08 .2010 को नील एवं अंगद निवासी ग्राम एकताल से कय किया गया था।

3. हम केतागण/आपत्तिकर्तागण उक्त भूमि के संबंध में तहसीलदार पुसौर के राजस्व पुर्नविलोकन प्र.क.147 में पारित आदेष दिनांक 28.02.2015 के विरूद्ध श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी रायगढ़ के समक्ष एक राजस्व अपील प्र.क. 86/अ–6/15–16 प्रस्तुत किये है जो लंबित है।

4. आपत्तिकर्तागण /केतागण की अधिग्रहित की जा रही भूमि ख.नं. 236/2 रकबा 0.101 हे. कें अंतिम केतागण एवं भूमिस्वामी और कब्जाधारी है इसलिए उक्त भूमि के संबंध में एवार्ड राषि अंतिम केतागण /भूमिस्वामीगण के नाम तैयार कर प्रदान किया जावे या उक्त भूमि के संबंध में स्वामित्व के निराकरण तक एवार्ड/मुआवजा राषि का प्रदान की कार्यवही को स्थगित रखा जाना न्यायोचित होगा।

5. आपत्ति/आवेदक के समर्थन में आपत्तिकर्तागण/केतागण के पक्ष में निष्पादित पंजीकृत विकय पत्र दिनांक 23.03. 2013 की छाया प्रति अनुविभागीय अधिकारी रायगढ़ के समक्ष लंबित अपील प्र.क.86/अ–6/15–16 की अपील मे दिनांक 21.12.2015 तथा आदेष पत्र दिनांक पत्र दिनांक 08.06.2016 की प्रति संलग्न करते हैं।

उपरोक्त आपत्तियों का निम्नानुसार निराकरण किया गया :–

1. भू अर्जन की कार्यवाही के संबंध में ग्राम एकताल में धारा 11 की ग्राम प्रकाशन सूचना 30.10.2015 को पूर्व दी जा चुकी है।

भू–अर्जन अधिकारी
अनुविभागीय अधिकारी (रा.
रायगढ़ (छत्तीसगढ़)

2. शासन के निर्देशानुसार पूर्व में किय गए अवैध बंटवारे एवं नामांतरण निरस्त किये गये थे।

3. तहसीलदार पुसौर के 28.02.2015 को पारित आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी रायगढ़ के समक्ष कि गई अपिल के फैसले के द्वारा भूमि के स्वामित्व का निराकरण के पश्चात भू अर्जन कि मुआवजा राशि दिया जाना उचित होगा।

आपत्तिकर्ता –

32 विमला गुप्ता पति स्व0 चन्द्रप्रकश्ष गुप्ता नि0 सत्तीगुडी चौक रायगढ़

सविनय निवेदन है कि मै विमला गुप्ता पति सव. चन्द्रप्रकाश गुप्ता नि. सत्तीगुड़ी चौक रायगढ़ के पास जिला रायगढ का रहने वाला हूँ मेरे द्वारा ग्राम एकताल के उरोक्त व्यक्तियो के द्वारा दिनांक 7.04.2012 के मध्य विकय इकरार नामा निष्पादित किया है जिसमें मेरे द्वारा 1,12,000/– रूपये बतौर अग्रिम राषि उपरोक्त नामित व्यक्तियों को दिया गया है तथा शेष राषि विकय पंजीयन के समय देने का इकरार किया गया है। उपरोक्त नामित वर्णित व्यक्तियों का प्रकरण माननीय पंचम अपर न्यायाधीष रायगढ़ के न्यायालय में व्य.वाद क. 25ए/13 पेषी दिनांक 13.07.2016 को नियत होकर लंबित है ऐसी स्थिति में उपरोक्त नामित व्यक्तियों को भू अर्जन की राषि प्रकरण के अंतिम निराकरण तक प्रदान न किया जावे तथा न्याय हित में यह आवेदक स्वीकार किया जावे।

आपत्तिकर्ता विमला गुप्ता पति स्व. चन्द्रपकाश गुप्ता द्वारा भूमि स्वामी गण को अग्रिम राषि दिया जाकर आवेदित भूमि पर दावा किया जा रही है। परंन्तु उक्त आवेदित भूमि ख.नं. 171/4 रकबा 1.922 हे. भूमि लालकुमार पिता सीताराम वगै. जाति मिरधा के नाम वर्तमान राजस्व अभिलेख में दर्ज है। अतः राजस्व अभिलेख के अनुसार ही सूची तैयार की जायेगी।आपत्तिकर्ता द्वारा उक्त आवेदित भूमि को अपनें कय हेतु अग्रिम राषि दिया जाना बताया गया है एवं उक्त भूमि का प्रकरण माननीय पंचम अपर सत्र जिला रायगढ़ के न्यायालय में लंबित होना बताया गया।

33 तपश्विनी पिता दशरथ नि0 एकताल आवेदिका ग्राम सकरबोगा तह.जि.रायगढ़ की निवासी है यह कि आवेदिका की मायके एकताल में पिता श्री के नाम पर कृषि भूमि है जिसमें पिता श्री के मृत्यु के बाद में राजस्व रिकार्ड में तीरथो पिता दशरथ, तपस्विनी पि. दशरथ जाती गोड़ के नाम दर्ज था जिसमें वर्तमान में तीरथो पि. दशरथ के द्वारा आवेदिका के नाम को कटवा दिया गया है। उक्त खाते के भूमि का रेल्वे के लिए भू अर्जन हो रहा है उक्त भू अर्जन में आवेदिका का नाम दर्ज किया जाना न्यायोचित है।

एनटीपीसी लारा तलाईपाली के लिये अर्जन में प्रस्तावित ख.नं. 760/1 कुल रकबा 0.681 हे. में से अर्जित रकबा 0. 324 हे. भूमि पर आपत्तिकर्ता तपस्विनी के द्वारा उसका नाम दर्ज नहीं होने के संबंध में आपत्ति दर्ज कराई गई परंतु राजस्व अभिलेख का अवलोकन करने पर तीर्थो पिता दशरथ एवं तपोशिनी पिता दशरथ जाति गोड़ दर्ज है। आपत्तिकर्ता के आपत्ति में तपस्विनी दर्ज है परंतु राजस्व अभिलेख में तपोशिनी दर्ज है। अतः आपत्ति के संबंध आपत्तिकर्ता के भाई एवं झांखर को संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने की समझाईश दी गई । एवं न्यायालय तहसीलदार पुसौर में विधिवत आवेदन करने हेतु सलाह दी गई।

आपत्तिकर्ता –

34 मुनु पिता नंदलाल जाति गोड़ निवासी एकताल द्वारा निम्नांकित बिन्दुओं पर आपत्ति की गई है:–

1. यह कि अनावेदक मुनू पिता नंदलाल गोड़ के भूमि स्वामी हक की भूमि ग्राम एकताल तह. जिला रायगढ़ मैं ख.नं. 765/6 रकबा 0.020 हे. भूमि एवं ख.नं. 769 रकबा 0.077 हे. भूमि स्थित है।

2. यह कि मुनू पिता नंदलाल के उक्त भूमि पर पूर्व में हल्का पटवारी के साथ जॉच किया गया था जिस पर इस अनावेदक के उक्त दोनो भूमियो को भू अर्जन में जाने का कथन किया था एवं नक्षा मे भी उक्त ख.नं. दर्षित है तथा मौके पर अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा सिमेंट का पोल चिन्हांकित कर इस अनावेदक के भूमि में गाड़ा गया है।

3. यह कि वर्तमान में उक्त भू अर्जन हेतु ग्राम एकताल में धारा 21 के तहत नोटिस जारी किया गया है परन्तु इस अनावेदक को किसी प्रकार से नोटीस नहीं दिया गया है। जिस कारण स्पष्ट रूप से पता नहीं चल रहा है कि इस अनावेदक की उपरोक्त भूमि उक्त भू अर्जन के अंतर्गत अधिग्रहित किये जाने के लिये प्रस्तावित है या नहीं जबककि पूर्व में मौका जांच किया गया था उसमें स्पष्ट रूप से भू अर्जन के लिए प्रस्तावित किया गया है।

अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
रायगढ़ (छत्तीसगढ़)

4. यह कि इस अनावेदक की उक्त भूमि बहला किस्म की उत्तम श्रेणी की भूमि है तथा उक्त अर्जित हेतु प्रस्तावित भूमि पर दो नग बड़े बड़े परसा पेड़ स्थित है परंतु उक्त संबंध में किस प्रकार का जॉच प्रतिवेदन हीं दिया गया है तथा भू अर्जन हेतु बहुत कम राषि निर्धारित की गयी है जो किसी भी स्थिति में स्वीकार योग्य नहीं है।

5. यह कि उक्त कारणों से इस अनावेदक की उपरोक्त दोनों ख.नं. की भूमियों के संबंध में संबंधित हल्का पटवारी एवं अर्जन हेतु प्राधिकुत अधिकारी एवं कर्मचारी तथा संबंधित विभाग से स्पष्ट जांच प्रतिवेदन मंगयी जावे जाकि इस अनावेदक की उक्त भूमियों के अर्जन के संबंध में स्थिति स्पष्ट होने के बाद यह अनावेदक अलग से आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु अधिकारी रहेगा।

स्थल मुआयना करनें पर पाया गया कि 765/6 रकबा 0.020 हे. एवं खसरा नं. 769 रकबा 0.077 हे. भूमि मौके पर प्रभावित है जिसे पूरक में लिया जाएगा।

35 आपत्तिकर्ता शुभनाथ पिता सहदेव कोलता ग्राम एकताल विनय है कि आवेदक के स्वामित्व व आधिपत्य की भू अधिकार व ऋण पुस्तिका में दर्ज शुदः भू स्वाामी हक की भूमि ख.नं. 475/1 ख रकबा 0.065 हे0 स्थित ग्राम एकताल प.ह.न. 8 तहसील पुसौर जिला रायगढ़ एन.टी.पी.सी. लारा के रेल्वे लाईन हेतु चिन्हांकित की गई है किन्तु सर्वे लिष्ट में नाम व खसरा छुट गया है।

स्थल मुआयना करनें पर पाया गया कि 475/1 ख रकबा 0.065 हे. भूमि मौके पर प्रभावित है जिसे पूरक में लिया जाएगा।

36 आवेदकगण जगन्नाथ सेवा समिति ग्राम एकतला मुनुराम पटेल अध्यक्ष (सचीव)

1. निवेदन है कि हम जगन्नाथ सेवा समिती ग्राम एकताल तह.व जिला रायगढ़ के सदस्य है तथा ग्राम एकताल थाना चक्रधर नगर के निवासी है। महोदय हमारे गांव का प्राचिन जगन्नाथ मंदिर जो कि लगभग 60 साल पुराना है मंदिर की सेवा तथा खर्च की व्यवस्था के लिये स्व. टेठु मिर्धा ने अपने हक स्वामित्व एवं कब्जे की भूमि में से कुल खसरा नं. 15 रकबा 3.260 हे. भूमि मंदिर को दान में दिया था। महोदय उपरोक्त भूमि का कब्जा काष्त जगन्नथ सेवा समिति वालो द्वारा किया जाकर मंदिर का संचालन रथ उत्सव का खर्चा तथा अन्य आवष्यक खर्चे की व्यवस्था की जाती है।

महोदय गांव का ही दयालू मिर्धा, चंदन सिंह, नित्यानंद द्वारा आपराधिक षडयंत्र रचते हुए टेठु मिर्धा का एक फर्जी वसीयत तैयार कर उपरोक्त भूमि को राजस्व अभिलेखो में अपना नाम दयालु मिर्धा ने दर्ज करा लिया तथा उपरोक्त भूमि को आनन फानन मे श्रीमती मंजूलता सिंन्हा बाल किषन केडिया सुरेष कुमार अग्रवाल और अनिल कुमार अग्रवाल को विकय कर दिया जिसका दिवानी प्रकरण न्यायालय श्रीमान तृतीय अपर जिला न्यायाधीष के न्यायालय मे लंबीत है।

महोदय उपरोक्त भूमि जिसका खसरा नं. 759 रकबा 1.307 हे. के मध्य से एनटीपीसी लारा का रेल लाईन जा रहा है जिसके कारण उपरोक्त भूमि को शासन द्वारा अर्जन किया गया है तथा जिसमी मुआवजा की राषि भूमि स्वामी हक को प्राप्त होना है।

महोदय उपरोक्त भूमि जगन्नाथ मंदिर का है तथा भूमि का देखभाल एवं कृषि कार्य जगन्नाथ मंदिर का ही कब्जा उपरोक्त भूमि पर है परंतु भूमि पर नाम दयालू मिर्धा का दर्ज हो जाने से तथा दिवानी मामला निराकरण ना होने के कारण उपरोक्त मुआवजा की राषि पर अवैध रूप से दयालू मिर्धा द्वारा दावा किया जा सकता है। महोदय उपरोक्त मुआवजा की राषि दयालु मिर्धा लेने में सफल हो जाता है तो जगन्नाथ मंदिर एवं जगन्नाथ सेवा समिति को अपूर्णीय क्षति कारित होगी उपरोक्त स्थिति को देखते हुए श्रीमान से विनम्र प्रार्थना है कि जब तक दिवानी न्यायालय द्वारा उपरोक्त भूमि के स्वामित्व के संबंध में कोई युक्तियुक्त आदेष पारित नही किया जाता है तब तक उपरोक्त भूमि का मुआवजा किसी भी व्यक्ति को ना दिये जाने का आदेष देने कि कृपा करें।

उपरोक्त आपत्ति का निम्नानुसार निराकरण किया गया :-

ग्रामवासियों द्वारा बताया गया कि स्व. टेठु मिर्धा द्वारा अपने भू स्वामित्व की भूमि में से ख.नं. 15 रकबा 3.260 हे. भूमि मंदिर को दान में दिया था। जिसे जगन्नाथ सेवा समिती वालों द्वारा किया जाकर मंदिर का संचालन किया जाता था जिसे गॉव के ही दयालू मिर्धा चंदन सिंह एवं नित्यानंद द्वारा फर्जी वसीयत तैयार कर उपरोक्त भूमि को दयालू मिर्धा के नाम दर्ज करा लिया तथा मंजूलता सिन्हा बालकिशन केडिया, सुरेशकुमार अग्रवाल और अनिल कुमार अग्रवाल को विक्रय कर दिया गया जिसका दिवानी प्रकरण न्यायालय श्रीमान तृतिय अपर जिला न्यायाधीश के न्यायालय में लंबित है। उपरोक्त भूमि ख.नं. 759 रकबा 1.307 हे. के मध्य रेल्वे लाईन जा रहा है । जिसमें 0.344 हे. भूमि प्रभावित

भू–स्वामी है एवं एन.टी.पी.सी. प्रस्तावक है, ऐसी स्थिति में वर्ष 2013 भू–अर्जन अधिनियम के प्रावधानों को मनमाने ढंग से लागू कर आपत्तिकर्ता/रजिस्टर्ड भूमि स्वामी को उसके संवैधानिक अधिकारों से वंचित किया जा रहा है, जो कि अनुचित है।

13. एन.टी.पी.सी. की पुनर्वास नीति सम्पूर्ण भारत में एक होती है। वर्ष 2015 में एन.टी.पी.सी. के द्वारा ग्राम –गहिलगढ़ (पं.) विद्यांचल (मध्यप्रदेष) में कृषि भूमि का रजिस्टर्ड सेल डीड के माध्यम से क्रय किया गया है एवं दिनांक 18.03.2015 को कीमत सूचकांक के अनुसार प्रभावित भूमिस्वामियों को नौकरी के एवज में 700000/–रू. (सात लाख) पैकेज दिया गया है, चूंकि एन.टी.पी.सी. के द्वारा रायगढ़ के परियोजनाओं हेतु पुनर्वास प्रतिवेदन, धारा 19 के साथ पुनर्वास का सार प्रकाषन नहीं कराया गया है। अतएव वर्तमान कीमत सूचकांक के अनुसार नौकरी के एवज में पैकेज प्राप्त करने के अधिकारी है एवं प्रति एकड़ 2000000/–(बीस लाख रूपये) की दर से मुआवजा राषि का निर्धारण कर नवीन भू–अर्जन अधिनियम के तहत 4 गुना, दिया जावे चूंकी अन्य प्रान्त में (सुन्दरगढ़ ओडिसा) में एन.टी.पी.सी. के द्वारा 22.00 लाख रू. प्रति एकड़ की दर से मुआवजा राषि का निर्धारण किया गया है।

14. यह कि उपरोक्त कंडिकावार बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए एवं विधिवत भू–अर्जन प्रकिया के अनुकुल निराकरण कर आपत्तिकर्ता को सूचना/जानकारी देने के उपरांत ही भू – अर्जन की अग्रिम कार्यवाही किया जावे ताकि भविष्य में एन.टी.पी.सी.लारा परियोजना की भांती इस परियोजना में भी भूमि पर कब्जा लेने के उपरांत प्रभावितों को अनावष्यक न्यायालयीन कार्यवाही में उलझना न पड़ें। यदि जानबुझ कर आपत्तिकर्ता के हित को ताक में रखते हुए अविधिक पूर्ण कार्यवाही की जाती है तो उसकी समस्त जवाबदारी महाप्रबंधक एन.टी.पी.सी. की होगी।

उपरोक्त आपत्तियों का निम्नानुसार निराकरण किया गया :–

7. खसरा नं. 765/3 में से प्रभावित रकबा 0.121 हे. भूमि के संबंध में आपत्तिकर्ता द्वारा अपनी आपत्ति में अपनें पिता का नाम टेंगनूराम जो कि राजस्व अभिलेख में उदेराम हो गया है। इस संबंध में सेतकुमार द्वारा अपना आधार कार्ड एवं वोटरआई डी का छाया प्रति दिखाया गया जिसमें सेतकुमार पिता टेंगनू दर्ज है। अतः आपत्तिकर्ता द्वारा निवेदन किया गया है कि राजस्व अभिलेख में सेतकुमार पिता टेंगनू दर्ज किया जाए। आवेदक को विधिवत तहसीलदार महोदय के न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया गया ।

2. भूमि अर्जन,पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं परदर्षिता अधिकार अधिनियम 2013 के अध्याय 2 व 3 का प्रावधानों से 2 मार्च 2015 को छ.ग. शासन के द्वारा असाधरण राजपत्र के माध्यम से औद्योगिक कारीडोर एवं अन्य परियोजना को छुट प्रदान की गई थी। इस अध्यादेष के अस्तित्व में रहते हुए कलेक्टर रायगढ़ द्वारा भू अर्जन प्रकरण की प्रारंभिक अधिसूचना का अनुमोदन 31.08.2015 को कर दिया गया था एवं आवेदक संस्था एनटीपीसी तिलाईपाली द्वारा भू–अर्जन की राषि भी जमा कि जा चुकी थी।

3. धारा 11 का प्रकाषन निम्नानुसार किया गया है :–

1. छ.ग. राजपत्र – 2/10/15
2. समुचित सरकार (www.cg.nic.in/ egazette) ई – राजपत्र – 2/10/2015
3. स्थानीय समाचार पत्र जनकर्म दिनांक 08/11/2015
4. क्षेत्रिय समाचार पत्र नवभारत दिनांक 18/10/2015
5. ग्राम प्रकाषन दिनांक 30/10/2015

उपरोक्त प्रकाशन को पूर्ण करने के पश्चात ही धारा 19 का प्रकाशन करवाया गया।

4. वर्तमान में राजस्व अभिलेख में दर्ज भूमि स्वामीयों के नाम से भू अर्जन कि कार्यवाही कि जा रही है। आपत्तिकर्ता द्वारा धारा 11 के पष्चात् अनुविभागिय अधिकारी रायगढ़ कार्यालय में जो आपत्ति दी गई थी उसका नियमानुसार निराकरण करा गया था। भूमि अर्जन,पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं परदर्षिता अधिकार अधिनियम 2013 के अनुसार धारा 11 के पश्चात् धारा 15 की सुनवाई में जिन 3 बिंदुओ पर आपत्ति मांगी गई थी, उनसे हटकर की गई आपत्ति मान्य नही है।

भू अर्जन अधिकारी
अनुविभागीय अधिकारी (रा.
रायगढ़ (छत्तीसगढ़)

5. भूमि अर्जन,पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं परदर्षिता अधिकार अधिनियम 2013 के प्रवाधनो का पालन करते हुए वर्तमान में भू–अर्जन की कार्यवाही की जा रही है।

6. भूमि अर्जन,पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं परदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के नियमानुसार प्रारंभिक अधिसूचना ई–राजपत्र के रुप में समूचित सरकार (छ.ग. शासन) की वेबसाइट में 02.10.15 को प्रकाशित कि जा चुकी है। ग्राम एकताल के लिए प्रारंभिक अधिसूचना (धारा11) का अंतिम प्रकाशन ग्राम प्रकाशन 08.11.15 के अनुसार 07.01.15 तक 60 दिन की समयावधि नियत थी। इस समय सीमा में प्राप्त आपत्ति विचार के लिये स्वीकार की गई है।

7. पूर्व में ग्राम एकताल में भू अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 4 (1) के तहत एनटीपीसी रेल लाईन के भू अर्जन हेतु कोई प्रकाशन नही करवाया गया।

8. कमिश्नर बिलासपुर संभाग बिलासपुर द्वारा इस भू अर्जन प्रकरण हेतु अनुमोदित पुर्नवासन योजना के सार का प्रकाशन ग्राम में धारा 19 के प्रकाशन के साथ किया जा चुका है।

9. दिनांक 03.6.2016 को धारा 19 के राजपत्र प्रकाषन उपरांत 27.6.2016 एवं पुनः 30.7.16 की तिथि नियत कर धारा 21 की सुनवाई की गई।इस प्रकार भू –अर्जन अधिनियम की धारा 19 एवं 21 के मध्य नियमानुसार एक माह से अधिक का समय देकर आपत्तियां ली गई। धारा 21 के नोटिस के पूर्व धारा 19 का प्रकाशन क्षेत्रिय एवं स्थानीय समाचार पत्रों में, संबंधित ग्राम प्रकाशन एवं अतिरिक्त रुप से रायगढ़ की वेब साइट में अपलोड कर दिया गया था।

10. अधिनियम की धारा 11 के पश्चात् समयावधि में प्राप्त दावा/आपत्तियों का निमयानुसार जांच कर निराकरण किया गया है।

11. भारत सरकार के द्वारा अधिसूचना दिनांक 18.12.15 की अधिसूचना के अध्याय 1 में उल्लेख है कि जहां केन्द्र सरकार समुचित सरकार के रुप में भू अर्जन कर रही है वही इस अधिसूचना के प्रावधान लागू होंगे। प्रकरण में संलग्न राजस्व दस्तावेजों तथा भूमि स्वामी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर नियमानुसार आवश्यक सुधार कर भू–अर्जन की कार्यवाही की जा रही है।

12. दिनांक 02.07.2014 को जिला स्तरीय पुनर्वास समिती की बैठक के बिन्दुओ को सक्षम अधिकारी (कमिश्नर बिलासपुर) के द्वारा भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं परदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 के सेडयुल 2 के अनुसार निर्देशित कण्डिकाओं का पालन करते हुए 25 जुलाई 2015 को अनुमोदित किया गया है। जिला स्तरीय पुनर्वास समिती की बैठक वर्ष 2014–15 में माननीय मंत्री एवं विधायक महोदय, कलेक्टर,सी.ई.ओ.जिला पंचायत, अनुविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, पटवारी, ग्राम पंचायत आदि को सूचना देकर उपस्थिती में हुई थी। सभी बिंदुओं में चर्चा होने के पश्चात 8.7.14 को बैठक के बिंदुओं की प्रति भी सभी संबंधितों एवं पंचायत को उपलब्ध कराई गयी।

13. भारत में राज्य शासनों की पुर्नवास नीति के अनुसार, प्रचलित शासकीय नियम, भूमि का गाईड लाईन /ब्रिकी छांट मूल्य आदि का पालन करते हुये पुर्नवास नीति हर जगह राज्य शासन द्वारा अनुमोदित की जाती रही है। भूमि अर्जन,पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं परदर्षिता अधिकार अधिनियम 2013 के षेडयुल 1 एवं 2 के अनुसार एन.टी.पी.सी. तलाईपाली के भू–अर्जन प्रकरण हेतु पुर्नवास नीति सक्षम अधिकारी (कमिष्नर बिलासपुर) के द्वारा अनुमोदित है।

14. प्रकरण में अर्जित की जा रही भूमि के संबंध में प्रस्तुत राजस्व अभिलेखों में दर्ज भूमिस्वमी को धारा 21 की सूचना जारी की गई है। तथा उन्हें सूना गया है।

57 सुदन पि. श्याम जाति झारा सा.देह भूमि स्वामीद्वारा निम्नांकित आपत्ति की गई है:–

आपत्तिकर्ता भूमि ख.नं. 200 रकबा 0.628 हे. भूमि अर्जन किया जा रहा है। आपके कार्यालय से जारी प्राप्त नोटिस में भूमि स्वामी सोहन पिता श्याम झारा अंकित तथा अर्जित कि जानें वाली भूमि में रकबा नं. 0.235 अंकित है। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि भूमि स्वामी सोहन पि. श्याम झारा के स्थान पर भूमि स्वामी सुदन झारा पिता श्याम झारा करनें कि कृपा करें। तथा मेरी ख.नं. 200 रकबा 0.628 हे. का अधिग्रहण करनें की कृपा करें।

उपरोक्त आपत्तियों का निम्नानुसार निराकरण किया गया :–

भू–अर्जन अधिकारी
अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
रायगढ (छत्तीसगढ)

आपत्तिकर्ता सुदन द्वरा बताया गया कि उनका नाम सुदन पिता श्याम है, जो कि राजस्व अभिलेख में सोहन पिता श्याम अंकित हो गया है। आपत्तिकर्ता द्वारा वोटर कार्ड का छायाप्रती आधार कार्ड का छायाप्रति एवं बैंक खाता का छायाप्रति प्रस्तुत किया गया जिसमें सुदन पिता श्याम दर्ज है। अतः इनका नाम राजस्व अभिलेख में सोहन को विलोपित कर सुदन किया जाना उचित प्रतित होता है। आपत्तिकर्ता की नाम संशोधन हेतु न्यायालय तहसीलदार पुसौर के समक्ष विधिवत आवेदन प्रस्तुत करने की सलाह दी गई है।आपत्तिकर्ता द्वारा अधिग्रहित भूमि ख.नं. 200 रकबा 0.628 हे. को पूर्णरूप से अधिग्रहित किये जाने हेतु कहा गया आपत्तिकर्ता द्वारा यह कहकर आपत्ति की गई है, कि उक्त ख.न. 200 रकबा 0.628 हे. में से मात्र 0.235 हे की ही अधिग्रहीत किया गया है।अतः शेष बचत भूमि 0.393 हे की भी अधिग्रहित किया जाय। अनुविभागीय अधिकारी के निर्देशानुसार 0.020 हे. से अधिक भूमि शेष बचने की स्थिति में अर्जित किया जाना सम्भव नहीं है।

58 सुखीराम पिता लोचन जाति तेली सा देह भूमि स्वामी द्वारा निम्नांकित आपत्ति की गई हैः–आपत्तिकर्ता भूमि स्वामी ख. नं. 901/4 रकबा 0.081 हे. अधिग्रहण उल्लेखित किया गया है। जिसमें पेडों कि संख्या निरंक दिखाई गयी है। जबकी उक्त खसरा नं. की भूमि पर गम्हार 6, नीम 7, केकट 4, छींद 2 बॉस भिरा 3 बिही 3 जामुन 3 नग विधमान है जिनका उल्लेख नही. किया गया है।

उपरोक्त आपत्तियों का निम्नानुसार निराकरण किया गया :– स्थल मुआयना करनें पर निम्न पेंड पाये गएः–2 फैस, 2 सेन्हा, 4 अमरुद, 1 कसीही, 1 खम्हार, 1 केकट, 5 कहवा, 1 बीरा बांस, 5 नीम, 2 अकेल,

59 सिविल पि. डमरूधर जाति कोलता सा.देह भूमि स्वामी द्वारा निम्नांकित बिन्दुओं पर आपत्ति की गई हैः–

1. यह कि भारत सरकार के द्वारा दिनांक 31.12.2014 को जारी अधिसूचना में जिन परियोजना में समुचित सरकार का भूमि स्वामी निरस्तर बना हो उन परियोजनाओं पर भू–अर्जन के अध्याय अधिनियम 2व3 का छुट प्रदान किया गया है। जिसके तारतम्य में छ.ग. शासन के द्वारा 02.03.2015 की अधिसूचना जारी कर अध्याय 2 व 3 का प्रावधान लागू किया गया था, उक्त अधिसूचना की अंतिम दिनांक 31.08.2015 था, चूंकि भारत सरकार के द्वारा लाये गये अध्यादेष पूर्व में शून्य हो चुका है, जिसको आधार बना कर केवल आदेष पत्रक में उल्लेखित कर छुट के दायरे में लाया गया है, जबकी उक्त दिनांक को धारा 11 के प्रकाषन के प्रारूप, मुनादी, समाचार पत्र, राजपत्र, बेबसाईड में किसी भी रीति से प्रकाषन नहीं किया गया था, ऐसी स्थिति में छ.ग.शासन के द्वारा एवं भू–अर्जन अधिकारी के द्वारा अध्याय 2 व 3 का पालन किये बगैर अग्रिम कार्यवाही किया जाना न्याय संगत नहीं है।

2. यह कि धारा 11 के बेबसाईड में प्रकाषन के पूर्व ही धारा 19 का प्रकाषन दैनिक समाचार पत्रों में कर दिया गया है। एक ओर धारा 11 के प्रकाषान के प्रारूप पूर्ण नहीं किया गया था वहीं दुसरी ओर धारा 19 का प्रकाषन किया जाना नवीन भू–अर्जन अधिनियम 2013के प्रावधानों के विपरित है।

3. यह कि उक्त प्रतावित भू–अर्जन के बिना मुक्त किये एवं आपत्तिकर्ता के नामान्तरण को अविधिक प्रकियाओं का पालन कर निरस्त कर दिया गया है, जिसके तहत उक्त निरस्तीकरण आदेष के विरूद्ध आपत्तिकर्ता के द्वारा तहसीलदार रायगढ़ के द्वारा नामान्तरण निरस्तीकरण के विरूद्ध पुनः विधिवत नामान्तरण हेतु तहसीलदार रायगढ़ के समक्ष प्रस्तुत कर सम्पूर्ण प्रकिया (पटवारी प्रतिवेदन, उभय पक्ष के साक्ष्य इत्यादी) पूर्ण किया जा चुका है एवं उक्त प्रकरण आदेष हेतु लंबित है, जिसकी सूचना तहसीलदार रायगढ़ के प्रारंभ से है तथा आपत्तिकर्ता के द्वारा धारा 11 के अधिसूचना प्रकाषन पर आपत्ति प्रस्तुत किया गया था जिस पर उपरोक्त तथ्यों का उल्लेख किया गया था। जिस पर तहसीलदार रायगढ़ के द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन में उचित निराकरण न कर धारा 19 का भू–अर्जन अधिनियम 2013 अधिसूचना त्रुटिपूर्ण प्रकाषन कराया गया जो न्याय संगत नहीं है।

4. यह कि सम्पत्ति का अधिकार विधिक अधिकार के साथ साथ मानवाधिकार भी है, जिसे अविधिक व छल पूर्वक उसके अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है।

5. यह कि दिनांक 17.10.2015 को धारा (1) भू–अर्जन अधिनियम के तहत प्रारंभिक अधिसूचना प्रकाषित कराया जाता है एवं समुचित सरकार के बेवसाईड में प्रकाषन न करा कर छल पूर्वक एन.टी.पी.सी. में कार्यरत कर्मचारियों के द्वारा रायगढ़ के बेवसाईड में दिनांक 13.05.2016 को कराया जाता है तथा उसी दिनांक 13.05.2016 को धारा 19 का भी बेवसाईड में प्रकाषन कराया जाता है जबकी भू – अर्जन की प्रक्रिया में समयावधि का गणना अंतिम प्रकाषन दिनांक

भू-अर्जन अधिकारी
अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
रायगढ़ (छत्तीसगढ़)

को माना जाना प्रावधानित है तथा धारा 11 (1) के प्रकाषन पश्चात 60 दिन के समयावधि आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु प्रावधनित है, जिसका भी पालन नहीं किया गया है।

6. यह कि धारा 4 (1) भू–अर्जन अधिनियम 1894 के तहत पूर्व में ग्राम एकताल प.ह.नं. 08 तह.व जिला रायगढ़ मे दैनिक समाचार पत्र दैनिक भास्कर दिनांक 22/12/2013 को प्रकाषन कराया गया था, जिसमें आपत्तिकर्ता के स्वामित्व की भूमि खसरा नं. 305/1, 312/1, 304/3, 310/1, 311 /रकबा कमषः 0.688, 0.291, 0.151, 0.081, 0.231 हे0 कृषि भूमि प्रभावित उल्लेखित है। उक्त भू–अर्जन की कार्यवाही को व्यपगत (स्मचे) किया जाना प्रावधानित है, जिसके तहत आज दिनांक तक प्रस्तावित भूमि को मुक्त नहीं किया गया है।

7. धारा 19 के पुनर्वासन व पुर्नस्थापना तथा घोषणा और सार का प्रकाषन कराया जाना प्रावधानित है किन्तु पुनर्वासन व पुर्नस्थापना सार्क का प्रकाषन आज दिनांक तक नहीं कराया गया है। जबकी भू–अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 19 (2) की उप धरा 1 में यह स्पष्ट प्रावधान है कि इस उप धारा के अधिन कोई घोषणा तब तक नहीं किया जावेगा, तब तक पुनर्वासन व पुनर्व्यस्थापन का योजना का सार ऐसी घोषणा के साथ नहीं किया जाता । एतएवं त्रुटिपूर्ण प्रकियाओं का समावेष कर मात्र प्रबंधक एन.टी.पी.सी. द्वारा भूमि प्राप्त करना चाहता है, जो कि अवैधानिक है।

8. यह कि धारा 19 राजपत्र में दिनांक 03/06/2016 को प्रकाषित कराया जाता है वह भी उपरोक्तानुसार त्रुटिपूर्ण है एवं धारा 19 भू–अर्जन अधिनियम का प्रकाषन के प्रारूप पूर्ण कराये बगैर धारा 21 के नोटिस व्यक्तिषः जारी कर दिया जाता है। अतएव समस्त प्रकिया भू–अर्जन अधिनियम के तहत आदेषात्मक कार्यवाही है, जिसका पालन नहीं किया गया है। अतएवं सम्पूर्ण कार्यवाही शुन्य व अवैधानिक है।

9. यह कि धारा 11 के परिप्रेक्ष्य में आपत्तिकर्ता के द्वारा आपत्ति प्रस्तुत किया गया था, किन्तु महा प्रबंधक एन.टी.पी.सी. एवं तहसीदार के द्वारा अस्पष्ट प्रतिवेदन एवं भू –अर्जन की प्रकियाओं के विपरित प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर भू–अर्जन अधिकारी, रायगढ़ के द्वारा प्रस्तुत आपत्ति का बिन्दुवार निराकरण नहीं किया गया है तथा बिना निराकरण के ही अग्रिम कार्यवाही की गई है, जो कि अनुचित है।

10. प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाषन के पश्चात भारत सरकार के द्वारा अधिसूचना दिनांक 18.12.2015 को जारी किया गया था जिसमें भूमि अभिलेखों को अद्यतन करवाने की नियम उल्लेखित है जिसके अनुसार मृतक व्यक्तियों के नामों को लोप करना, मृतक व्यक्तियों के वारिसो का नामों को प्रवृष्टि करना, भूमि पर अधिकारों के रजिस्ट्री के समव्यपहारों जैसे– बिक्री,दान, विभाजन आदि को प्रवृष्टि करना बंधक के सभी प्रवृष्टियों को अभिलेखों प्रवृष्टि करना इत्यादी उल्लेखित है, किन्तु उक्त अधिसूचना के प्रकाषन के उपरांत दिनांक 23.02.2016 को धार 11 (1) में आपत्ति पर निराकरण हेतु नियत किया गया था किन्तु उक्त अधिसूचना में दर्षित बिन्दुओं को नजर अंदाज करते हुए या ताक में रखते हुए आपत्तिकर्ता के संवैधानिक अधिकार का हनन कर छल पूर्वक अनावेदक एवं तहसीलदार के द्वारा त्रुटिपूर्ण प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है, जो कि भू–अर्जन की धारा 86,87 के तहत अपराध की श्रेणी में आता है। ख. क्र. 311 रकबा 0.231, 305/1 रकबा 0.688, 312/1 रकबा 0.291, 304/3 रकबा 0.151, 310/1 रकबा 0.081 हे जो कि पैत्रिक कृषि भूमि है विधी नुसार आपसी बटवारा से प्राप्त हुआ ह। जिसके संबंध तहसीलदार व एनटीपीसी के द्वारा त्रुटी पूर्ण प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है । अतएव निरस्तनीय है।

11. एक ओर एन.टी.पी.सी. के पुनर्वास निति के कंडिका 9.6 रोजगार एवं वार्षिकी में प्रति प्रभावित एक बार 5.00 लाख दिया जावेगा या वार्षिकी पॉलिसी कीमत सूचकांक के अनुसार कम से कम 2000/–रू. प्रति माह उल्लेखित है, जबकी 02.07.2014 जिला स्तरीय पुनर्वास समिति की बैठक में भू – अर्जन के मुआवजे के अतिरिक्त 30000/–रू. प्रति एकड़ अनुपातिक 20 वर्ष तक भूमि विस्थापित परिवार को दिया जावेगा। प्रत्येक 2 वर्ष में प्रति एकड़ 500/–रू. बढ़ाया जायेगा। जबकी सूचना के अधिकार के तहत चाही गयी जानकारी में जिला कार्यालय रायगढ़ के द्वारा जिला स्तरीय पुनर्वास समिति का गठन वर्ष 2013–14 में नहीं हुआ है और न ही इसं संदर्भ में सचिवालय रायपुर में दिषा निर्देष प्राप्त हुआ है, बताया गया। अतः न तो पूर्व में पुनर्वास स्कीम विधिवत बनाया गया और नही धारा 16 (5) के तहत पुनर्वास प्रतिवेदन के संदर्भ में कोई सुनवाई किया गया है। चूंकि छ.ग. शासन का कृषि भूमि में निरन्तर भू–स्वामी है एवं एन.टी.पी.सी. प्रस्तावक है, ऐसी स्थिति में वर्ष 2013 भू–अर्जन अधिनियम के प्रावधानों को मनमाने ढंग से लागू कर आपत्तिकर्ता/रजिस्टर्ड भूमि स्वामी को उसके संवैधानिक अधिकारों से वंचित किया जा रहा है, जो कि अनुचित है।

12. एन.टी.पी.सी. की पुनर्वास नीति सम्पूर्ण भारत में एक होती है। वर्ष 2015 में एन.टी.पी.सी. के द्वारा ग्राम –गहिलगढ़ (पं.) विद्यांचल (मध्यप्रदेष) में कृषि भूमि का रजिस्टर्ड सेल डीड के माध्यम से कय किया गया है एवं दिनांक 18.03.2015 को कीमत सूचकांक के अनुसार प्रभावित भूमिस्वामियों को नौकरी के एवज में 700000/–रू. (सात लाख) पैकेज

भू-अर्जन अधिकारी
अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
रायगढ़ (छत्तीसगढ़)

दिया गया है, चूंकि एन.टी.पी.सी. के द्वारा रायगढ़ के परियोजनाओं हेतु पुनर्वास प्रतिवेदन, धारा 19 के साथ पुनर्वास का सार प्रकाषन नहीं कराया गया है। अतएव वर्तमान कीमत सूचकांक के अनुसार नौकरी के एवज में पैकेज प्राप्त करने के अधिकारी है एवं प्रति एकड़ 2000000/–(बीस लाख रूपये) की दर से मुआवजा राषि का निर्धारण कर नवीन भू–अर्जन अधिनियम के तहत 4 गुना, दिया जावे चूंकी अन्य प्रान्त में (सुन्दरगढ़ ओडिसा) में एन.टी.पी.सी. के द्वारा 22.00 लाख रू. प्रति एकड़ की दर से मुआवजा राषि का निर्धारण किया गया है।

13. यह कि उपरोक्त कंडिकावार बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए एवं विधिवत भू–अर्जन प्रक्रिया के अनुकुल निराकरण कर आपत्तिकर्ता को सूचना/जानकारी देने के उपरांत ही भू – अर्जन की अग्रिम कार्यवाही किया जावे ताकि भविष्य में एन.टी.पी.सी.लारा परियोजना की भांती इस परियोजना में भी भूमि पर कब्जा लेने के उपरांत प्रभावितों को अनावष्यक न्यायालयीन कार्यवाही में उलझना न पड़ें। यदि जानबुझ कर आपत्तिकर्ता के हित को ताक में रखते हुए अविधिक पूर्ण कार्यवाही की जाती है तो उसकी समस्त जवाबदारी महाप्रबंधक एन.टी.पी.सी. की होगी।

14. पेड़ो की गणना सही नहीं है।

उपरोक्त आपत्तियों का निम्नानुसार निराकरण किया गया :–

1. भूमि अर्जन,पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं परदर्षिता अधिकार अधिनियम 2013 के अध्याय 2 व 3 का प्रावधानों से 2 मार्च 2015 को छ.ग. शासन के द्वारा असाधरण राजपत्र के माध्यम से औद्योगिक कारीडोर एवं अन्य परियोजना को छुट प्रदान की गई थी। इस अध्यादेष के अस्तित्व में रहते हुए कलेक्टर रायगढ़ द्वारा भू अर्जन प्रकरण की प्रारंभिक अधिसूचना का अनुमोदन 31.08.2015 को कर दिया गया था एवं आवेदक संस्था एनटीपीसी तिलाईपाली द्वारा भू–अर्जन की राषि भी जमा कि जा चुकी थी।

8. धारा 11 का प्रकाषन निम्नानुसार किया गया है :–

1. छ.ग. राजपत्र – 2/10/15
2. समुचित सरकार (छ.ग.शासन) (www.cg.nic.in/ egazette) ई – राजपत्र – 2/10/2015
3. स्थानीय समाचार पत्र जनकर्म दिनांक 08/11/2015
4. क्षेत्रिय समाचार पत्र नवभारत दिनांक 18/10/2015
5. ग्राम प्रकाषन दिनांक 30/10/2015

उपरोक्त प्रकाषन को पूर्ण करने के पश्चात ही धारा 19 का प्रकाषन करवाया गया।

3. वर्तमान में राजस्व अभिलेख में दर्ज भूमि स्वामीयों के नाम से भू अर्जन कि कार्यवाही कि जा रही है। आपत्तिकर्ता द्वारा धारा 11 के पष्चात् अनुविभागिय अधिकारी रायगढ़ कार्यालय में जो आपत्ति दी गई थी उसका नियमानुसार निराकरण करा गया था। भूमि अर्जन,पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं परदर्षिता अधिकार अधिनियम 2013 के अनुसार धारा 11 के पष्चात् धारा 15 की सुनवाई में जिन 3 बिंदुओ पर आपत्ति मांगी गई थी, उनसे हटकर की गई आपत्ति मान्य नही है।

4. भूमि अर्जन,पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं परदर्षिता अधिकार अधिनियम 2013 के प्रवाधनो का पालन करते हुए वर्तमान में भू–अर्जन की कार्यवाही की जा रही है।

5. भूमि अर्जन,पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं परदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के नियमानुसार प्रारंभिक अधिसूचना ई–राजपत्र के रुप में समूचित सरकार (छ.ग. शासन) की वेबसाइट में 02.10.15 को प्रकाशित कि जा चुकी है। ग्राम एकताल के लिए प्रारंभिक अधिसूचना (धारा11) का अंतिम प्रकाशन ग्राम प्रकाशन 08.11.15 के अनुसार 07.01.15 तक 60 दिन की समयावधि नियत थी। इस समय सीमा में प्राप्त आपत्ति विचार के लिये स्वीकार की गई है।

भू-अर्जन अधिकारी
अनुविभागीय अधिकारी (रा.
रायगढ़ (छत्तीसगढ़)

6. पूर्व में ग्राम एकताल में भू अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 4 (1) के तहत एनटीपीसी रेल लाईन के भू अर्जन हेतु कोई प्रकाषन नही करवाया गया।

7. कमिश्नर बिलासपुर संभाग बिलासपुर द्वारा इस भू अर्जन प्रकरण हेतु अनुमोदित पुर्नवासन योजना के सार का प्रकाशन ग्राम में धारा 19 के प्रकाशन के साथ किया जा चुका है।

8. दिनांक 03.6.2016 को धारा 19 के राजपत्र प्रकाषन उपरांत 27.6.2016 एवं पुनः 30.7.16 की तिथि नियत कर धारा 21 की सुनवाई की गई।इस प्रकार भू –अर्जन अधिनियम की धारा 19 एवं 21 के मध्य नियमानुसार एक माह से अधिक का समय देकर आपत्तियां ली गई। धारा 21 के नोटिस के पूर्व धारा 19 का प्रकाशन क्षेत्रिय एवं स्थानीय समाचार पत्रों में, संबंधित ग्राम प्रकाशन एवं अतिरिक्त रुप से रायगढ़ की वेब साइट में अपलोड कर दिया गया था।

9. अधिनियम की धारा 11 के पश्चात् समयावधि में प्राप्त दावा/आपत्तियों का निमयानुसार जांच कर निराकरण किया गया है।

10. भारत सरकार के द्वारा अधिसूचना दिनांक 18.12.15 की अधिसूचना के अध्याय 1 में उल्लेख है कि जहां केन्द्र सरकार समुचित सरकार के रुप में भू अर्जन कर रही है वही इस अधिसूचना के प्रावधान लागू होंगे। प्रकरण में संलग्न राजस्व दस्तावेजों तथा भूमि स्वामी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर नियमानुसार आवश्यक सुधार कर भू–अर्जन की कार्यवाही की जा रही है।

11. दिनांक 02.07.2014 को जिला स्तरीय पुनर्वास समिती की बैठक के बिन्दुओ को सक्षम अधिकारी (कमिश्नर बिलासपुर) के द्वारा भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं परदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 के सेडयुल 2 के अनुसार निर्देशित कण्डिकाओं का पालन करते हुए 25 जुलाई 2015 को अनुमोदित किया गया है। जिला स्तरीय पुनर्वास समिती की बैठक वर्ष 2014–15 में माननीय मंत्री एवं विधायक महोदय, कलेक्टर,सी.ई.ओ.जिला पंचायत, अनुविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, पटवारी, ग्राम पंचायत आदि को सूचना देकर उपस्थिती में हुई थी। सभी बिंदुओं में चर्चा होने के पश्चात 8.7.14 को बैठक के बिंदुओं की प्रति भी सभी संबंधितों एवं पंचायत को उपलब्ध कराई गयी।

12. भारत में राज्य शासनों की पुर्नवास नीति के अनुसार, प्रचलित शासकीय नियम, भूमि का गाईड लाईन /ब्रिकी छांट मूल्य आदि का पालन करते हुये पुनर्वास नीति हर जगह राज्य शासन द्वारा अनुमोदित की जाती रही है। भूमि अर्जन,पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं परदर्षिता अधिकार अधिनियम 2013 के षेडयुल 1 एवं 2 के अनुसार एन.टी.पी.सी. तलाईपाली के भू–अर्जन प्रकरण हेतु पुर्नवास नीति सक्षम अधिकारी (कमिष्नर बिलासपुर) के द्वारा अनुमोदित है।

13. प्रकरण में अर्जित की जा रही भूमि के संबंध में प्रस्तुत राजस्व अभिलेखों में दर्ज भूमिस्वमी को धारा 21 की सूचना जारी की गई है। तथा उन्हें सूना गया है।

14 स्थल मुआयना करने पर निम्न पेंड पाये गएः– पलास 23, साजा 5, रिंया 6, बबूल 4, नीम 6, खैर 35, तेन्दु 5 सेम्हर 1, बेहरा 1, सरसिंवा 1 एवं कठली 1 नग

60. किशनलाल पिता सत्यनारायण शर्मा जाति ब्राम्हण सा.थाना रोड रायगढ़ भूमि स्वामी द्वारा निम्नांकित बिन्दुओं पर आपत्ति की गई हैः–

1. यह कि भारत सरकार के द्वारा दिनांक 31.12.2014 को जारी अधिसूचना में जिन परियोजना में समुचित सरकार का भूमि स्वामी निरस्तर बना हो उन परियोजनाओं पर भू–अर्जन के अध्याय अधिनियम 2व3 का छुट प्रदान किया गया है। जिसके तारतम्य में छ.ग. शासन के द्वारा 02.03.2015 की अधिसूचना जारी कर अध्याय 2 व 3 का प्रावधान लागू किया गया था, उक्त अधिसूचना की अंतिम दिनांक 31.08.2015 था, चूंकि भारत सरकार के द्वारा लाये गये अध्यादेष पूर्व में शून्य हो चुका है, जिसको आधार बना कर केवल आदेश पत्रक में उल्लेखित कर छुट के दायरे में लाया गया है, जबकी उक्त दिनांक को धारा 11 के प्रकाशन के प्रारूप, मुनादी, समाचार पत्र, राजपत्र, बेबसाईड में किसी भी रीति से प्रकाशन नहीं किया गया था, ऐसी स्थिति में छ.ग.शासन के द्वारा एवं भू–अर्जन अधिकारी के द्वारा अध्याय 2 व 3 का पालन किये बगैर अग्रिम कार्यवाही किया जाना न्याय संगत नहीं है।

भू–अर्जन अधिकारी
अनुविभागीय अधिकारी (रा.
रायगढ़ (छत्तीसगढ)

2. यह कि धारा 11 के बेबसाईड में प्रकाशन के पूर्व ही धारा 19 का प्रकाशन दैनिक समाचार पत्रों में कर दिया गया है। एक ओर धारा 11 के प्रकाशान के प्रारूप पूर्ण नहीं किया गया था वहीं दुसरी ओर धारा 19 का प्रकाशन किया जाना नवीन भू–अर्जन अधिनियम 2013के प्रावधानों के विपरित है।

9. धारा 19 के पुनर्वासन व पुर्नस्थापना तथा घोषणा और सार का प्रकाशन कराया जाना प्रावधानित है किन्तु पुनर्वासन व पुर्नस्थापना सार का प्रकाशन आज दिनांक तक नहीं कराया गया है। जबकी भू–अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 19 (2) की उप धारा 1 में यह स्पष्ट प्रावधान है कि इस उप धारा के अधिन कोई घोषणा तब तक नहीं किया जावेगा, तब तक पुनर्वासन व पुनर्व्यस्थापन का योजना का सार ऐसी घोषणा के साथ नहीं किया जाता । एतएवं त्रुटिपूर्ण प्रकियाओं का समावेयश कर मात्र प्रबंधक एन.टी.पी.सी. द्वारा भूमि प्राप्त करना चाहता है, जो कि अवैधानिक है।

4. यह कि धारा 19 राजपत्र में दिनांक 03.6.16 को प्रकाशित कराया जाता है वह भी उपरोक्तानुसार त्रुटिपूर्ण है एवं धारा 19 भू–अर्जन अधिनियम का प्रकाशन के प्रारूप पूर्ण कराये बगैर धारा 21 के नोटिस व्यक्तिषः जारी कर दिया जाता है। अतएव समस्त प्रक्रिया भू–अर्जन अधिनियम के तहत आदेषात्मक कार्यवाही है, जिसका पालन नहीं किया गया है। अतएवं सम्पूर्ण कार्यवाही शुन्य व अवैधानिक है।

5. प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन के पश्चात भारत सरकार के द्वारा अधिसूचना दिनांक 18.12.2015 को जारी किया गया था जिसमें भूमि अभिलेखों को अद्यतन करवाने की नियम उल्लेखित है जिसके अनुसार मृतक व्यक्तियों के नामों को लोप करना, मृतक व्यक्तियों के वारिसो का नामों को प्रवृष्टि करना, भूमि पर अधिकारों के रजिस्ट्री के समव्यवहारों जैसे– बिकी,दान, विभाजन आदि को प्रवृष्टि करना बंधक के सभी प्रवृष्टियों को अभिलेखों प्रवृष्टि करना इत्यादी उल्लेखित है, किन्तु उक्त अधिसूचना के प्रकाशन के उपरांत दिनांक 23.02.2016 को धार 11 (1) में आपत्ति पर निराकरण हेतु नियत किया गया था किन्तु उक्त अधिसूचना में दर्षित बिन्दुओं को नजर अंदाज करते हुए या ताक में रखते हुए आपत्तिकर्ता के संवैधानिक अधिकार का हनन कर छल पूर्वक अनावेदक एवं तहसीलदार के द्वारा त्रुटिपूर्ण प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है, जो कि भू–अर्जन की धारा 86,87 के तहत अपराध की श्रेणी में आता है।

6. यह कि बिलासपुर उच्च न्यायालय के रिट पिटिषन कमांक ूचबध्1443ध्20151443 नितिष अग्रवाल, मेनका अग्रवाल बनाम छ.ग. शासन व अन्य में माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर (छ.ग.) के द्वारा दिनांक 14.09.2015 को यह आदेषित किया गया था कि भू–अर्जन अधिनियम के अध्याय 2 एवं अध्याय 3 का पालन किये जाने का निर्देषित किया गया था। जिसकी प्रतिलिपि आपत्ति के साथ प्रस्तुत की गयी थी, किन्तु अनावेदक एवं तहसीलदार रायगढ़ तथा श्रीमान के द्वारा उक्त बिन्दुओं का अव्हेलना किया गया है। विदित हो की माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा पारित आदेष को सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ में पालन किया जाना प्रावधानित है। उपरोक्त त्रुटिपूर्ण कार्यवाही के क्षुब्ध होकर अन्य प्रकरण किषन लाल शर्मा, शोभा अग्रवाल रिट पिटिषन क. ूचब/1507/2016 प्रस्तुत है, जिसमें छ.ग. शासन वगैरह को 4 सप्ताह में जवाब प्रस्तुत करने का समय दिया गया है, चूंकि उक्त प्रकरण की एक ही प्रकृति की है, ऐसी परिस्थिति में बिना निराकरण के भू–अर्जन की अग्रिम कार्यवाही नही किया जावे।

उपरोक्त आपत्तियों का निम्नानुसार निराकरण किया गया :–

1. भूमि अर्जन,पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं परदर्षिता अधिकार अधिनियम 2013 के अध्याय 2 व 3 का प्रावधानों से 2 मार्च 2015 को छ.ग. शासन के द्वारा असाधरण राजपत्र के माध्यम से औद्योगिक कारीडोर एवं अन्य परियोजना को छुट प्रदान की गई थी। इस अध्यादेश के अस्तित्व में रहते हुए कलेक्टर रायगढ़ द्वारा भू अर्जन प्रकरण की प्रारंभिक अधिसूचना का अनुमोदन 31.08.2015 को कर दिया गया था एवं आवेदक संस्था एनटीपीसी तिलाईपाली द्वारा भू–अर्जन की राशि भी जमा कि जा चुकी थी।

2. धारा 11 का प्रकाषन निम्नानुसार किया गया है :–

1. छ.ग. राजपत्र – 2/10/15
2. समुचित सरकार (छ.ग.षासन) वेबसाईट (www.cg.nic.in/ egazette) ई – राजपत्र – 2/10/2015
3. स्थानीय समाचार पत्र जनकर्म दिनांक 08/11/2015
4. क्षेत्रिय समाचार पत्र नवभारत दिनांक 18/10/2015
5. ग्राम प्रकाषन दिनांक 30/10/2015

उपरोक्त प्रकाषन को पूर्ण करने के पश्चात ही धारा 19 का प्रकाषन करवाया गया।

3. कमिश्नर बिलासपुर संभाग बिलासपुर द्वारा इस भू अर्जन प्रकरण हेतु अनुमोदित पुर्नवासन योजना के सार का प्रकाशन ग्राम में धारा 19 के प्रकाशन के साथ किया जा चुका है।

भू–अर्जन अधिकारी
अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
रायगढ़ (छत्तीसगढ़)

4. दिनांक 03.6.2016 को धारा 19 के राजपत्र प्रकाशन उपरांत दिनांक 27.6.16 एवं पुनः 30.7.16 को धारा 21 की सुनवाई तिथि नियत की गई थी। इस प्रकार भू –अर्जन अधिनियम की धारा 19 एवं 21 के मध्य नियमानुसार एक माह से अधिक का समय दिया गया है। धारा 21 के नोटिस के पूर्व धारा 19 का प्रकाशन स्थानीय समाचार पत्र, संबंधित ग्राम एवं अतिरिक्त रुप से रायगढ़ की वेब साइट में भी अपलोड कर दिया गया है।

5. भारत सरकार के द्वारा अधिसूचना दिनांक 18/12/15 की अधिसूचना के अध्याय 1 में उल्लेख है कि जहां केन्द्र सरकार समुचित सरकार के रुप में भू अर्जन कर रही है वही इस अधिसूचना के प्रावधान लागू होंगे। प्रकरण में प्रस्तुत राजस्व अभिलेख एवं भूमि स्वामी द्वारा प्रस्तुत वैद्य दस्तावेजों के अनुसार राजस्व अभिलेख को नियमानुसार दुरुस्त कर कार्यवाही की रही है।

6. रेंगालपाली ग्राम के भू अर्जन से संबंधित शोभा अग्रवाल की रिट पिटिषन कमांक ॅच्ब1508/2016 माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर में विचाराधीन है एवं छ.ग.शासन द्वारा जवाब प्रस्तुत किया जा चुका है। प्रकरण के संबंध में माननीय न्यायालय द्वारा दिये गये आदेश का पालन किया जाएगा।उल्लेखित रिट पिटिशन कमांक 1443 नितिश अग्रवाल बनाम छ.ग. शासन माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर में वर्तमान में विचाराधिन है।

61 गंगाराम,ठण्ड़ाराम पि. सहदेव जाति कोलता सा.देह भूमि स्वामी द्वारा निम्नांकित आपत्ति की गई हैः–

निवेदन है कि आवेदक गंगाराम, ठंडाराम दोनो पिता सहदेव निवासी ग्राम एकताल तहसील पुसौर जिला रायगढ़ का निवासी है जो कि आवेदक के स्वयं के हक अधिकार स्वामित्व की भूमि ख.नं. 227 में रकबा 0.162 हे. भूमि स्थित है जिसे एनटीपीसी रेल्वे लाईन में अधिग्रहित किया गया है उक्त भूमि अधिग्रहित भूमि में पलास के वृक्ष 15 नग, साजा वृक्ष 20 नग, मौहा 7 नग, चार 1 नग इस प्रकार 43 नग वृक्ष जो बड़े वृक्ष एवं जो महुआ का 7 वृक्ष हे वह उससे उसके फल बीन कर एवं फल से अपना तेल निकाल जिवन यापन करता है। उक्त वृक्ष के कट जाने से आवेदक को अत्यधिक आर्थिक क्षति हो रही हे इसलिये उक्त वृक्ष सही मुआवजा राषि आवेदक को प्रदान किया जावे अन्यथा आवेदक का आपत्ति है।

उपरोक्त आपत्ति का निम्नानुसार निराकरण किया गया :–

आपत्तिकर्ता द्वारा अर्जित की जा रही भूमि में पेड़ो की संख्या के संबंध में आपत्ति की गई थी। इसके संबंध में संयुक्त रूप से मौका मुआयना करने पर निम्नलिखित पेड़ पाये गये। ख.नं. 227 रकबा 0.129 हे. मौहा –6 नग साजा–10 नग, पलसा 10 नग, चार–1 नग।

62 दुलामणी पिता रामचन्दों मनमोहन, नित्यानन्द पिता रामचन्दों जाति कोलता सा देह भूमि स्वामीद्वारा निम्नांकित बिन्दुओं पर आपत्ति की गई हैः–

1. यह कि भारत सरकार के द्वारा दिनांक 31.12.2014 को जारी अधिसूचना में जिन परियोजना में समुचित सरकार का भूमि स्वामी निरस्तर बना हो उन परियोजनाओं पर भू–अर्जन के अध्याय अधिनियम 2व3 का छुट प्रदान किया गया है। जिसके तारतम्य में छ.ग. शासन के द्वारा 02.03.2015 की अधिसूचना जारी कर अध्याय 2 व 3 का प्रावधान लागू किया गया था, उक्त अधिसूचना की अंतिम दिनांक 31.08.2015 था, चूंकि भारत सरकार के द्वारा लाये गये अध्यादेष पूर्व में शून्य हो चुका है, जिसको आधार बना कर केवल आदेष पत्रक में उल्लेखित कर छुट के दायरे में लाया गया है, जबकी उक्त दिनांक को धारा 11 के प्रकाषन के प्रारूप, मुनादी, समाचार पत्र, राजपत्र, बेबसाईड में किसी भी रीति से प्रकाषन नहीं किया गया था, ऐसी स्थिति में छ.ग.शासन के द्वारा एवं भू–अर्जन अधिकारी के द्वारा अध्याय 2 व 3 का पालन किये बगैर अग्रिम कार्यवाही किया जाना न्याय संगत नहीं है।

2. यह कि धारा 11 के बेबसाईड में प्रकाषन के पूर्व ही धारा 19 का प्रकाषन दैनिक समाचार पत्रों में कर दिया गया है। एक ओर धारा 11 के प्रकाषान के प्रारूप पूर्ण नहीं किया गया था वहीं दुसरी ओर धारा 19 का प्रकाषन किया जाना नवीन भू–अर्जन अधिनियम 2013के प्रावधानों के विपरित है।

भू–अर्जन अधिकारी
अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
रायगढ़ (छत्तीसगढ़)

3. यह कि उक्त प्रतावित भू–अर्जन के बिना मुक्त किये एवं आपत्तिकर्ता के नामान्तरण को अविधिक प्रकियाओं का पालन कर निरस्त कर दिया गया है, जिसके तहत उक्त निरस्तीकरण आदेष के विरूद्ध आपत्तिकर्ता के द्वारा तहसीलदार रायगढ़ के द्वारा नामान्तरण निरस्तीकरण के विरूद्ध पुनः विधिवत नामान्तरण हेतु तहसीलदार रायगढ़ के समक्ष प्रस्तुत कर सम्पूर्ण प्रकिया (पटवारी प्रतिवेदन, उभय पक्ष के साक्ष्य इत्यादी) पूर्ण किया जा चुका है एवं उक्त प्रकरण आदेष हेतु लंबित है, जिसकी सूचना तहसीलदार रायगढ़ के प्रारंभ से है तथा आपत्तिकर्ता के द्वारा धारा 11 के अधिसूचना प्रकाषन पर आपत्ति प्रस्तुत किया गया था जिस पर उपरोक्त तथ्यों का उल्लेख किया गया था। जिस पर तहसीलदार रायगढ़ के द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन में उचित निराकरण न कर धारा 19 का भू–अर्जन अधिनियम 2013 अधिसूचना त्रुटिपूर्ण प्रकाषन कराया गया जो न्याय संगत नहीं है।

4. यह कि सम्पत्ति का अधिकार विधिक अधिकार के साथ साथ मानवाधिकार भी है, जिसे अविधिक व छल पूर्वक उसके अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है।

5. यह कि दिनांक 17.10.2015 को धारा (1) भू–अर्जन अधिनियम के तहत प्रारंभिक अधिसूचना प्रकाषित कराया जाता है एवं समुचित सरकार के बेवसाईड में प्रकाषन न करा कर छल पूर्वक एन.टी.पी.सी. में कार्यरत कर्मचारियों के द्वारा रायगढ़ के बेवसाईड में दिनांक 13.05.2016 को कराया जाता है तथा उसी दिनांक 13.05.2016 को धारा 19 का भी बेवसाईड में प्रकाषन कराया जाता है जबकी भू – अर्जन की प्रकिया में समयावधि का गणना अंतिम प्रकाषन दिनांक को माना जाना प्रावधानित है तथा धारा 11 (1) के प्रकाषन पश्चात 60 दिन के समयावधि आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु प्रावधनित है, जिसका भी पालन नहीं किया गया है।

6. यह कि धारा 4 (1) भू–अर्जन अधिनियम 1894 के तहत पूर्व में ग्राम एकताल प.ह.नं. 08 तह.व जिला रायगढ़ मे दैनिक समाचार पत्र दैनिक भास्कर दिनांक 22/12/2013 को प्रकाषन कराया गया था, जिसमें आपत्तिकर्ता के स्वामित्व की भूमि खसरा नं. /रकबा हे0 कृषि भूमि प्रभावित उल्लेखित है। उक्त भू–अर्जन की कार्यवाही को व्यपगत (स्नचे) किया जाना प्रावधानित है, जिसके तहत आज दिनांक तक प्रस्तावित भूमि को मुक्त नहीं किया गया है।

7. धारा 19 के पुनर्वासन व पुर्नस्थापना तथा घोषणा और सार का प्रकाषन कराया जाना प्रावधानित है किन्तु पुनर्वासन व पुर्नस्थापना सार्क का प्रकाषन आज दिनांक तक नहीं कराया गया है। जबकी भू–अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 19 (2) की उप धरा 1 में यह स्पष्ट प्रावधान है कि इस उप धारा के अधिन कोई घोषणा तब तक नहीं किया जावेगा, तब तक पुनर्वासन व पुनर्व्यस्थापन का योजना का सार ऐसी घोषणा के साथ नहीं किया जाता । एतएवं त्रुटिपूर्ण प्रक्रियाओं का समावेष कर मात्र प्रबंधक एन.टी.पी.सी. द्वारा भूमि प्राप्त करना चाहता है, जो कि अवैधानिक है।

8. यह कि धारा 19 राजपत्र में दिनांक 03/06/2016 को प्रकाषित कराया जाता है वह भी उपरोक्तानुसार त्रुटिपूर्ण है एवं धारा 19 भू–अर्जन अधिनियम का प्रकाषन के प्रारूप पूर्ण कराये बगैर धारा 21 के नोटिस व्यक्तिषः जारी कर दिया जाता है। अतएव समस्त प्रकिया भू–अर्जन अधिनियम के तहत आदेषात्मक कार्यवाही है, जिसका पालन नहीं किया गया है। अतएवं सम्पूर्ण कार्यवाही शुन्य व अवैधानिक है।

9. यह कि धारा 11 के परिप्रेक्ष्य में आपत्तिकर्ता के द्वारा आपत्ति प्रस्तुत किया गया था, किन्तु महा प्रबंधक एन.टी.पी.सी. एवं तहसीदार के द्वारा अस्पष्ट प्रतिवेदन एवं भू –अर्जन की प्रक्रियाओं के विपरित प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर भू–अर्जन अधिकारी, रायगढ़ के द्वारा प्रस्तुत आपत्ति का बिन्दुवार निराकरण नहीं किया गया है तथा बिना निराकरण के ही अग्रिम कार्यवाही की गई है, जो कि अनुचित है।

10. प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाषन के पश्चात भारत सरकार के द्वारा अधिसूचना दिनांक 18.12.2015 को जारी किया गया था जिसमें भूमि अभिलेखों को अद्यतन करवाने की नियम उल्लेखित है जिसके अनुसार मृतक व्यक्तियों के नामों को लोप करना, मृतक व्यक्तियों के वारिसो का नामों को प्रवृष्टि करना, भूमि पर अधिकारों के रजिस्ट्री के समव्यपहारों जैसे– बिकी,दान, विभाजन आदि को प्रवृष्टि करना बंधक के सभी प्रवृष्टियों को अभिलेखों प्रवृष्टि करना इत्यादी उल्लेखित है, किन्तु उक्त अधिसूचना के प्रकाषन के उपरांत दिनांक 23.02.2016 को धार 11 (1) में आपत्ति पर निराकरण हेतु नियत किया गया था किन्तु उक्त अधिसूचना में दर्षित बिन्दुओं को नजर अंदाज करते हुए या ताक में रखते हुए आपत्तिकर्ता के संवैधानिक अधिकार का हनन कर छल पूर्वक अनावेदक एवं तहसीलदार के द्वारा त्रुटिपूर्ण प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है, जो कि भू–अर्जन की धारा 86,87 के तहत अपराध की श्रेणी में आता है। विदित हो कि रिट कमांक 1443 मे माननीय उच्च नायायालय बिलासपुर छ.ग. के द्वारा पारित आदेष दिनांक 14.09.15 के

भू–अर्जन अधिकारी
अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
रायगढ़ (छत्तीसगढ़)

अनुसार भू अर्जन अधिनियम 2013 के अध्याय 2 एवं अध्याय 3 का पालन करना अनिवार्य उल्लेखित हैं जिसका पालन नहीं किया गया है।

11. एक ओर एन.टी.पी.सी. के पुनर्वास निति के कंडिका 9.6 रोजगार एवं वार्षिकी में प्रति प्रभावित एक बार 5.00 लाख दिया जावेगा या वार्षिकी पॉलिसी कीमत सूचकांक के अनुसार कम से कम 2000/—रू. प्रति माह उल्लेखित है, जबकी 02.07.2014 जिला स्तरीय पुनर्वास समिति की बैठक में भू — अर्जन के मुआवजे के अतिरिक्त 30000/—रू. प्रति एकड़ अनुपातिक 20 वर्ष तक भूमि विस्थापित परिवार को दिया जावेगा। प्रत्येक 2 वर्ष में प्रति एकड़ 500/—रू. बढ़ाया जायेगा। जबकी सूचना के अधिकार के तहत चाही गयी जानकारी में जिला कार्यालय रायगढ़ के द्वारा जिला स्तरीय पुनर्वास समिति का गठन वर्ष 2013—14 में नहीं हुआ है और न ही इसं संदर्भ में सचिवालय रायपुर में दिषा निर्देष प्राप्त हुआ है, बताया गया। अतः न तो पूर्व में पुनर्वास स्कीम विधिवत बनाया गया और नही धारा 16 (5) के तहत पुनर्वास प्रतिवेदन के संदर्भ में कोई सुनवाई किया गया है। चूंकि छ.ग. शासन का कृषि भूमि में निरन्तर भू—स्वामी है एवं एन.टी.पी.सी. प्रस्तावक है, ऐसी स्थिति में वर्ष 2013 भू—अर्जन अधिनियम के प्रावधानों को मनमाने ढंग से लागू कर आपत्तिकर्ता/रजिस्टर्ड भूमि स्वामी को उसके संवैधानिक अधिकारों से वंचित किया जा रहा है, जो कि अनुचित है।

12. एन.टी.पी.सी. की पुनर्वास नीति सम्पूर्ण भारत में एक होती है। वर्ष 2015 में एन.टी.पी.सी. के द्वारा ग्राम —गहिलगढ़ (पं.) विद्यांचल (मध्यप्रदेष) में कृषि भूमि का रजिस्टर्ड सेल डीड के माध्यम से कय किया गया है एवं दिनांक 18.03.2015 को कीमत सूचकांक के अनुसार प्रभावित भूमिस्वामियों को नौकरी के एवज में 700000/—रू. (सात लाख) पैकेज दिया गया है, चूंकि एन.टी.पी.सी. के द्वारा रायगढ़ के परियोजनाओं हेतु पुनर्वास प्रतिवेदन, धारा 19 के साथ पुनर्वास का सार प्रकाषन नहीं कराया गया है। अतएव वर्तमान कीमत सूचकांक के अनुसार नौकरी के एवज में पैकेज प्राप्त करने के अधिकारी है एवं प्रति एकड़ 2000000/—(बीस लाख रूपये) की दर से मुआवजा राषि का निर्धारण कर नवीन भू—अर्जन अधिनियम के तहत 4 गुना, दिया जावे चूंकी अन्य प्रान्त में (सुन्दरगढ़ ओडिसा) में एन.टी.पी.सी. के द्वारा 22.00 लाख रू. प्रति एकड़ की दर से मुआवजा राषि का निर्धारण किया गया है।

13. यह कि उपरोक्त कंडिकावार बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए एवं विधिवत भू—अर्जन प्रकिया के अनुकुल निराकरण कर आपत्तिकर्ता को सूचना/जानकारी देने के उपरांत ही भू — अर्जन की अग्रिम कार्यवाही किया जावे ताकि भविष्य में एन.टी.पी.सी.लारा परियोजना की भांती इस परियोजना में भी भूमि पर कब्जा लेने के उपरांत प्रभावितों को अनावष्यक न्यायालयीन कार्यवाही में उलझना न पड़ें। यदि जानबुझ कर आपत्तिकर्ता के हित को ताक में रखते हुए अविधिक पूर्ण कार्यवाही की जाती है तो उसकी समस्त जवाबदारी महाप्रबंधक एन.टी.पी.सी. की होगी।

14. यह की खसर नं. 900/1 में जमीन रकबा 0.607 हे. भूमि स्थित है जो कि रकबा 0.506 हे. रकबा भूमि लि जा रही है। जो कि 0.607 रकबा स्थित भूमि को पूरा लिया जाये जो कि हमें खेती करने में असुविधा का सामना करना पड़ेगा इसलिये उस खसरा की पूरी जमीन को लिया जावे ।

15. हमारे पैत्रक सम्पति की भूमि अधिग्रहण में जा रही है इसलिये महोदय जी से निवेदन है कि योग्यानुसार नौकरी दिया जावे ओर उचित मुआवजा दिया जावे। और मुआवजा का बोनस भी दिया जावे।

उपरोक्त आपत्तियों का निम्नानुसार निराकरण किया गया :—

1. भूमि अर्जन,पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं परदर्षिता अधिकार अधिनियम 2013 के अध्याय 2 व 3 का प्रावधानों से 2 मार्च 2015 को छ.ग. शासन के द्वारा असाधरण राजपत्र के माध्यम से औद्योगिक कारीडोर एवं अन्य परियोजना को छुट प्रदान की गई थी। इस अध्यादेष के अस्तित्व में रहते हुए कलेक्टर रायगढ़ द्वारा भू अर्जन प्रकरण की प्रारंभिक अधिसूचना का अनुमोदन 31.08.2015 को कर दिया गया था एवं आवेदक संस्था एनटीपीसी तिलाईपाली द्वारा भू—अर्जन की राषि भी जमा कि जा चुकी थी।

भू-अर्जन अधिकारी
अनुविभागीय अधिकारी (रा
रायगढ (छत्तीसगढ)

2. धारा 11 का प्रकाषन निम्नानुसार किया गया है :–

1. छ.ग. राजपत्र – 2/10/15
2. समुचित सरकार (छ.ग.षासन) वेबसाईट (www.cg.nic.in/ egazette) ई – राजपत्र – 2/10/2015
3. स्थानीय समाचार पत्र जनकर्म दिनांक 08/11/2015
4. क्षेत्रिय समाचार पत्र नवभारत दिनांक 18/10/2015
5. ग्राम प्रकाषन दिनांक 30/10/2015

उपरोक्त प्रकाषन को पूर्ण करने के पश्चात ही धारा 19 का प्रकाषन करवाया गया।

3. वर्तमान में राजस्व अभिलेख में दर्ज भूमि स्वामीयों के नाम से भू अर्जन कि कार्यवाही कि जा रही है। आपत्तिकर्ता द्वारा धारा 11 के पष्चात् अनुविभागिय अधिकारी रायगढ़ कार्यालय में जो आपत्ति दी गई थी उसका नियमानुसार निराकरण करा गया था। भूमि अर्जन,पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं परदर्षिता अधिकार अधिनियम 2013 के अनुसार धारा 11 के पष्चात् धारा 15 की सुनवाई में जिन 3 बिंदुओ पर आपत्ति मांगी गई थी, उनसे हटकर की गई आपत्ति मान्य नही है।

4. भूमि अर्जन,पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं परदर्षिता अधिकार अधिनियम 2013 के प्रवाधनो का पालन करते हुए वर्तमान में भू–अर्जन की कार्यवाही की जा रही है।

5. भूमि अर्जन,पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं परदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के नियमानुसार प्रारंभिक अधिसूचना ई–राजपत्र के रुप में समूचित सरकार (छ.ग. शासन) की वेबसाइट में 02.10.15 को प्रकाशित कि जा चुकी है। ग्राम एकताल के लिए प्रारंभिक अधिसूचना (धारा11) का अंतिम प्रकाशन ग्राम प्रकाशन 08.11.15 के अनुसार 07.01.15 तक 60 दिन की समयावधि नियत थी। इस समय सीमा में प्राप्त आपत्ति विचार के लिये स्वीकार की गई है।

6. पूर्व में ग्राम एकताल में भू अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 4 (1) के तहत एनटीपीसी रेल लाईन के भू अर्जन हेतु कोई प्रकाशन नही करवाया गया।

7. कमिश्नर बिलासपुर संभाग बिलासपुर द्वारा इस भू अर्जन प्रकरण हेतु अनुमोदित पुर्नवासन योजना के सार का प्रकाशन ग्राम में धारा 19 के प्रकाशन के साथ किया जा चुका है।

8. दिनांक 03.6.2016 को धारा 19 के राजपत्र प्रकाषन उपरांत 27.6.2016 एवं पुनः 30.7.16 की तिथि नियत कर धारा 21 की सुनवाई की गई।इस प्रकार भू –अर्जन अधिनियम की धारा 19 एवं 21 के मध्य नियमानुसार एक माह से अधिक का समय देकर आपत्तियां ली गई। धारा 21 के नोटिस के पूर्व धारा 19 का प्रकाशन क्षेत्रिय एवं स्थानीय समाचार पत्रों में, संबंधित ग्राम प्रकाशन एवं अतिरिक्त रुप से रायगढ़ की वेब साइट में अपलोड कर दिया गया था।

9. अधिनियम की धारा 11 के पश्चात् समयावधि में प्राप्त दावा/आपत्तियों का निमयानुसार जांच कर निराकरण किया गया है।

10. भारत सरकार के द्वारा अधिसूचना दिनांक 18.12.15 की अधिसूचना के अध्याय 1 में उल्लेख है कि जहां केन्द्र सरकार समुचित सरकार के रुप में भू अर्जन कर रही है वही इस अधिसूचना के प्रावधान लागू होंगे। प्रकरण में संलग्न राजस्व दस्तावेजों तथा भूमि स्वामी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर नियमानुसार आवश्यक सुधार कर भू–अर्जन की कार्यवाही की जा रही है।

11. दिनांक 02.07.2014 को जिला स्तरीय पुनर्वास समिती की बैठक के बिन्दुओ को सक्षम अधिकारी (कमिश्नर बिलासपुर) के द्वारा भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं परदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 के सेडयुल 2 के अनुसार निर्देशित कण्डिकाओं का पालन करते हुए 25 जुलाई 2015 को अनुमोदित किया गया है। जिला स्तरीय पुनर्वास समिती की बैठक वर्ष 2014–15 में माननीय मंत्री एवं विधायक महोदय, कलेक्टर,सी.ई.ओ.जिला पंचायत, अनुविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, पटवारी, ग्राम पंचायत आदि को सूचना देकर उपस्थिती में हुई थी। सभी बिंदुओं में चर्चा होने के पश्चात 8.7.14 को बैठक के बिंदुओं की प्रति भी सभी संबंधितों एवं पंचायत को उपलब्ध कराई गयी।

भू–अर्जन अधिकारी
अनुविभागीय अधिकारी (रा.
रायगढ़ (छत्तीसगढ़)

12. भारत में राज्य शासनों की पुर्नवास नीति के अनुसार, प्रचलित शासकीय नियम, भूमि का गाईड लाईन /ब्रिकी छांट मूल्य आदि का पालन करते हुये पुनर्वास नीति हर जगह राज्य शासन द्वारा अनुमोदित की जाती रही है। भूमि अर्जन,पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं परदर्षिता अधिकार अधिनियम 2013 के षेडयुल 1 एवं 2 के अनुसार एन.टी.पी.सी. तलाईपाली के भू–अर्जन प्रकरण हेतु पुर्नवास नीति सक्षम अधिकारी (कमिष्नर बिलासपुर) के द्वारा अनुमोदित है।

13. प्रकरण में अर्जित की जा रही भूमि के संबंध में प्रस्तुत राजस्व अभिलेखों में दर्ज भूमिस्वमी को धारा 21 की सूचना जारी की गई है। तथा उन्हें सूना गया है।

14. ग्राम एकताल ख.नं. 900/1 कुल रकबा 0.607 हे. में से 0.425 हे. भूमि अर्जन के लिए प्रस्तावित है। षेष 0.182 हे. बचत भूमि अनुविभागीय अधिकारी के निर्देषानुसार 0.020 हे. से अधिक भूमि षेष बचनें कि स्थिति में अर्जन किया जाना उचित नही है।

15. एन.टी.पी.सी. तलाईपाली के भू–अर्जन प्रकरण हेतु भूमि अर्जन,पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं परदर्षिता अधिकार अधिनियम 2013 के षेडयुल 1 एवं 2 के अनुसार हेतु पुर्नवास नीति कमिष्नर बिलासपुर के द्वारा अनुमोदित है। अनुमोदित योजना के अनुसार प्रभावित परिवारों को वार्षिकी का प्रावधान किया गया है, जो कि रोजगार के स्थान पर होगा।

63 नान्हू पिता चिटकी जाति अघरिया सा.देह भूमि स्वामी द्वारा निम्नांकित आपत्ति की गई है:–

निवेदन हे कि आवेदकगण नान्हूराम आ. चिटकी, रूपलाल पिता चिटकी दोनों निवासी ग्राम एकताल तहसील पुसौर जिला रायगढ़ छ0ग0 का निवासी हुँ जो कि हमारे शामिलाती खाते की भूमि के एनटीपीसी रेल्वे लाईन में अधिग्रहित किया गया है उक्त भूमि खसरा नं. 777/1 में रकबा 0.458 हे. भूमि को दोनो भाईयों के नाम से अलग अलग मुआवजा राषि का चैक बराबर– बराबर का वितरण किया जावे इसलिये यह आवेदन पत्र महोदय को सादर प्रस्तुत है। यह कि उक्त भूमि के बदले में शासन जो नौकरी की जो सुविधा हो उसे भी प्रदान किया जावे।

उपरोक्त आपत्तियों का निम्नानुसार निराकरण किया गया :–

राजस्व अभिलेख के अनुसार दोनो भाईयों की सामील शषीर खाता होने के कारण संयुक्त चैक दिया जाना संभव है। दोनो के नाम पर संयुक्त खाता खुलवाने की सलाह दी गई। एनटीपीसी तिलाईपाली की रेल लाईन निर्माण हेतु भू–अर्जन प्रकरण में कमिश्नर बिलासपुर द्वारा अनुमोदित पुनः स्थापन एवं पुर्नवास योजना में उल्लेखित है कि रोजगार के नियमित अवसर इस परियोजना से सृजित नही होते है। अतः भू–अर्जन के बदले रोजगार का प्रावधन नही है।

64 टिकेश्वर,,पि.डमरू जाति कोलता सा.देह भूमि स्वामी द्वारा निम्नांकित बिन्दुओं पर आपत्ति की गई है:–

1. यह कि भारत सरकार के द्वारा दिनांक 31.12.2014 को जारी अधिसूचना में जिन परियोजना में समुचित सरकार का भूमि स्वामी निरस्तर बना हो उन परियोजनाओं पर भू–अर्जन के अध्याय अधिनियम 2व3 का छुट प्रदान किया गया है। जिसके तारतम्य में छ.ग. शासन के द्वारा 02.03.2015 की अधिसूचना जारी कर अध्याय 2 व 3 का प्रावधान लागू किया गया था, उक्त अधिसूचना की अंतिम दिनांक 31.08.2015 था, चूंकि भारत सरकार के द्वारा लाये गये अध्यादेष पूर्व में शून्य हो चुका है, जिसको आधार बना कर केवल आदेश पत्रक में उल्लेखित कर छुट के दायरे में लाया गया है, जबकी उक्त दिनांक को धारा 11 के प्रकाशन के प्रारूप, मुनादी, समाचार पत्र, राजपत्र, बेबसाईड में किसी भी रीति से प्रकाशन नहीं किया गया था, ऐसी स्थिति में छ.ग.शासन के द्वारा एवं भू–अर्जन अधिकारी के द्वारा अध्याय 2 व 3 का पालन किये बगैर अग्रिम कार्यवाही किया जाना न्याय संगत नहीं है।

2. यह कि धारा 11 के बेवसाईड में प्रकाषन के पूर्व ही धारा 19 का प्रकाषन दैनिक समाचार पत्रों में कर दिया गया है। एक ओर धारा 11 के प्रकाषन के प्रारूप पूर्ण नहीं किया गया था वहीं दूसरी ओर धारा 19 का प्रकाषन किया जाना नवीन भू – अर्जन अधिनियम 2013 के प्रावधानों के विपरित है।

3. यह कि उक्त प्रतावित भू–अर्जन के बिना मुक्त किये एवं आपत्तिकर्ता के नामान्तरण को अविधिक प्रक्रियाओं का पालन कर निरस्त कर दिया गया है, जिसके तहत उक्त निरस्तीकरण आदेष के विरूद्ध आपत्तिकर्ता के द्वारा तहसीलदार रायगढ़ के द्वारा नामान्तरण निरस्तीकरण के विरूद्ध पुनः विधिवत नामान्तरण हेतु तहसीलदार रायगढ़ के समक्ष प्रस्तुत कर सम्पूर्ण प्रकिया (पटवारी प्रतिवेदन, उभय पक्ष के साक्ष्य इत्यादी) पूर्ण किया जा चुका है एवं उक्त प्रकरण आदेष

भू–अर्जन अधिकारी
अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
(छत्तीसगढ़)

हेतु लंबित है, जिसकी सूचना तहसीलदार रायगढ़ के प्रारंभ से है तथा आपत्तिकर्ता के द्वारा धारा 11 के अधिसूचना प्रकाषन पर आपत्ति प्रस्तुत किया गया था जिस पर उपरोक्त तथ्यों का उल्लेख किया गया था। जिस पर तहसीलदार रायगढ़ के द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन में उचित निराकरण न कर धारा 19 का भू–अर्जन अधिनियम 2013 अधिसूचना त्रुटिपूर्ण प्रकाषन कराया गया जो न्याय संगत नहीं है।

4. यह कि सम्पत्ति का अधिकार विधिक अधिकार के साथ साथ मानवाधिकार भी है, जिसे अविधिक व छल पूर्वक उसके अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है।

5. यह कि दिनांक 17.10.2015 को धारा (1) भू–अर्जन अधिनियम के तहत प्रारंभिक अधिसूचना प्रकाषित कराया जाता है एवं समुचित सरकार के बेवसाईड में प्रकाषन न करा कर छल पूर्वक एन.टी.पी.सी. में कार्यरत कर्मचारियों के द्वारा रायगढ़ के बेवसाईड में दिनांक 13.05.2016 को कराया जाता है तथा उसी दिनांक 13.05.2016 को धारा 19 का भी बेवसाईड में प्रकाषन कराया जाता है जबकी भू – अर्जन की प्रकिया में समयावधि का गणना अंतिम प्रकाषन दिनांक को माना जाना प्रावधानित है तथा धारा 11 (1) के प्रकाषन पश्चात 60 दिन के समयावधि आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु प्रावधनित है, जिसका भी पालन नहीं किया गया है।

6. यह कि धारा 4 (1) भू–अर्जन अधिनियम 1894 के तहत पूर्व में ग्राम एकताल प.ह.नं. 08 तह.व जिला रायगढ़ मे दैनिक समाचार पत्र दैनिक भास्कर दिनांक 22/12/2013 को प्रकाषन कराया गया था, जिसमें आपत्तिकर्ता के स्वामित्व की भूमि खसरा नं. /रकबा हे0 कृषि भूमि प्रभावित उल्लेखित है। उक्त भू–अर्जन की कार्यवाही को व्यपगत (स्मचे) किया जाना प्रावधानित है, जिसके तहत आज दिनांक तक प्रस्तावित भूमि को मुक्त नहीं किया गया है।

7. धारा 19 के पुनर्वासन व पुर्नस्थापना तथा घोषणा और सार्क का प्रकाषन कराया जाना प्रावधानित है किन्तु पुनर्वासन व पुर्नस्थापना सार्क का प्रकाषन आज दिनांक तक नहीं कराया गया है। जबकी भू–अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 19 (2) की उप धरा 1 में यह स्पष्ट प्रावधान है कि इस उप धारा के अधिन कोई घोषणा तब तक नहीं किया जावेगा, तब तक पुनर्वासन व पुनर्व्यस्थापन का योजना का सार ऐसी घोषणा के साथ नहीं किया जाता । एतएवं त्रुटिपूर्ण प्रकियाओं का समावेष कर मात्र प्रबंधक एन.टी.पी.सी. द्वारा भूमि प्राप्त करना चाहता है, जो कि अवैधानिक है।

8. यह कि धारा 19 राजपत्र में दिनांक 03/06/2016 को प्रकाषित कराया जाता है वह भी उपरोक्तानुसार त्रुटिपूर्ण है एवं धारा 19 भू–अर्जन अधिनियम का प्रकाषन के प्रारूप पूर्ण कराये बगैर धारा 21 के नोटिस व्यक्तिषः जारी कर दिया जाता है। अतएव समस्त प्रकिया भू–अर्जन अधिनियम के तहत आदेषात्मक कार्यवाही है, जिसका पालन नहीं किया गया है। अतएवं सम्पूर्ण कार्यवाही शुन्य व अवैधानिक है।

9. यह कि धारा 11 के परिप्रेक्ष्य में आपत्तिकर्ता के द्वारा आपत्ति प्रस्तुत किया गया था, किन्तु महा प्रबंधक एन.टी.पी.सी. एवं तहसीदार के द्वारा अस्पष्ट प्रतिवेदन एवं भू –अर्जन की प्रकियाओं के विपरित प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर भू–अर्जन अधिकारी, रायगढ़ के द्वारा प्रस्तुत आपत्ति का बिन्दुवार निराकरण नहीं किया गया है तथा बिना निराकरण के ही अग्रिम कार्यवाही की गई है, जो कि अनुचित है।

10. प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाषन के पश्चात भारत सरकार के द्वारा अधिसूचना दिनांक 18.12.2015 को जारी किया गया था जिसमें भूमि अभिलेखों को अद्यतन करवाने की नियम उल्लेखित है जिसके अनुसार मृतक व्यक्तियों के नामों को लोप करना, मृतक व्यक्तियों के वारिसो का नामों को प्रवृष्टि करना, भूमि पर अधिकारों के रजिस्ट्री के समव्यपहारों जैसे– बिकी,दान, विभाजन आदि को प्रवृष्टि करना बंधक के सभी प्रवृष्टियों को अभिलेखों प्रवृष्टि करना इत्यादी उल्लेखित है, किन्तु उक्त अधिसूचना के प्रकाषन के उपरांत दिनांक 23.02.2016 को धार 11 (1) में आपत्ति पर निराकरण हेतु नियत किया गया था किन्तु उक्त अधिसूचना में दर्षित बिन्दुओं को नजर अंदाज करते हुए या ताक में रखते हुए आपत्तिकर्ता के संवैधानिक अधिकार का हनन कर छल पूर्वक अनावेदक एवं तहसीलदार के द्वारा त्रुटिपूर्ण प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है, जो कि भू–अर्जन की धारा 86,87 के तहत अपराध की श्रेणी में आता है। विदित हो कि रिट कमांक 1443 मे माननीय उच्च नायायालय बिलासपुर छ.ग. के द्वारा पारित आदेष दिनांक 14.09.15 के अनुसार भू अर्जन अधिनियम 2013 के अध्याय 2 एवं अध्याय 3 का पालन करना अनिवार्य उल्लेखित हैं जिसका पालन नहीं किया गया है।

11. एक ओर एन.टी.पी.सी. के पुनर्वास निति के कंडिका 9.6 रोजगार एवं वार्षिकी में प्रति प्रभावित एक बार 5.00 लाख दिया जावेगा या वार्षिकी पॉलिसी कीमत सूचकांक के अनुसार कम से कम 2000/–रू. प्रति माह उल्लेखित है, जबकी 02.07.2014 जिला स्तरीय पुनर्वास समिति की बैठक में भू –अर्जन के मुआवजे के अतिरिक्त 30000/–रू. प्रति एकड़ अनुपातिक 20 वर्ष तक भूमि विस्थापित परिवार को दिया जावेगा। प्रत्येक 2 वर्ष में प्रति एकड़ 500/–रू.बढ़ाया जायेगा। जबकी सूचना के अधिकार के तहत चाही गयी जानकारी में जिला कार्यालय रायगढ़ के द्वारा जिला स्तरीय

भू-अर्जन अधिकारी
अनुविभागीय अधिकारी (रा.)

पुनर्वास समिति का गठन वर्ष 2013–14 में नहीं हुआ है और न ही इसं संदर्भ में सचिवालय रायपुर में दिषा निर्देष प्राप्त हुआ है, बताया गया। अतः न तो पूर्व में पुनर्वास स्कीम विधिवत बनाया गया और नही धारा 16 (5) के तहत पुनर्वास प्रतिवेदन के संदर्भ में कोई सुनवाई किया गया है। चूंकि छ.ग. शासन का कृषि भूमि में निरन्तर भू–स्वामी है एवं एन.टी.पी.सी. प्रस्तावक है, ऐसी स्थिति में वर्ष 2013 भू–अर्जन अधिनियम के प्रावधानों को मनमाने ढंग से लागू कर आपत्तिकर्ता/रजिस्टर्ड भूमि स्वामी को उसके संवैधानिक अधिकारों से वंचित किया जा रहा है, जो कि अनुचित है।

12. एन.टी.पी.सी. की पुनर्वास नीति सम्पूर्ण भारत में एक होती है। वर्ष 2015 में एन.टी.पी.सी. के द्वारा ग्राम –गहिलगढ़ (पं.) विद्यांचल (मध्यप्रदेष) में कृषि भूमि का रजिस्टर्ड सेल डीड के माध्यम से क्रय किया गया है एवं दिनांक 18.03.2015 को कीमत सूचकांक के अनुसार प्रभावित भूमिस्वामियों को नौकरी के एवज में 700000/–रू. (सात लाख) पैकेज दिया गया है, चूंकि एन.टी.पी.सी. के द्वारा रायगढ़ के परियोजनाओं हेतु पुनर्वास प्रतिवेदन, धारा 19 के साथ पुनर्वास का सार प्रकाषन नहीं कराया गया है। अतएव वर्तमान कीमत सूचकांक के अनुसार नौकरी के एवज में पैकेज प्राप्त करने के अधिकारी है एवं प्रति एकड़ 2000000/–(बीस लाख रूपये) की दर से मुआवजा राषि का निर्धारण कर नवीन भू–अर्जन अधिनियम के तहत 4 गुना, दिया जावे चूंकी अन्य प्रान्त में (सुन्दरगढ़ ओडिसा) में एन.टी.पी.सी. के द्वारा 22.00 लाख रू. प्रति एकड़ की दर से मुआवजा राषि का निर्धारण किया गया है।

13. यह कि उपरोक्त कंडिकावार बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए एवं विधिवत भू–अर्जन प्रक्रिया के अनुकुल निराकरण कर आपत्तिकर्ता को सूचना/जानकारी देने के उपरांत ही भू – अर्जन की अग्रिम कार्यवाही किया जावे ताकि भविष्य में एन.टी.पी.सी.लारा परियोजना की भांती इस परियोजना में भी भूमि पर कब्जा लेने के उपरांत प्रभावितों को अनावष्यक न्यायालयीन कार्यवाही में उलझना न पड़ें। यदि जानबुझ कर आपत्तिकर्ता के हित को ताक में रखते हुए अविधिक पूर्ण कार्यवाही की जाती है तो उसकी समस्त जवाबदारी महाप्रबंधक एन.टी.पी.सी. की होगी।

14. यह कि नोटीस में सभी खसरा नं. अंकित नहीं हुआ है तथा पेडों की सही गणना नहीं हुआ है।

उपरोक्त आपत्तियों का निम्नानुसार निराकरण किया गया :–

1. भूमि अर्जन,पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं परदर्षिता अधिकार अधिनियम 2013 के अध्याय 2 व 3 का प्रावधानों से 2 मार्च 2015 को छ.ग. शासन के द्वारा असाधरण राजपत्र के माध्यम से औद्योगिक कारीडोर एवं अन्य परियोजना को छुट प्रदान की गई थी। इस अध्यादेश के अस्तित्व में रहते हुए कलेक्टर रायगढ़ द्वारा भू अर्जन प्रकरण की प्रारंभिक अधिसूचना का अनुमोदन 31.08.2015 को कर दिया गया था एवं आवेदक संस्था एनटीपीसी तिलाईपाली द्वारा भू–अर्जन की राशि भी जमा कि जा चुकी थी।

2. धारा 11 का प्रकाषन निम्नानुसार किया गया है :–

1. छ.ग. राजपत्र – 2/10/15
2. समुचित सरकार (छ.ग.षासन) वेबसाईट (www.cg.nic.in/ egazette) ई – राजपत्र – 2/10/2015
3. स्थानीय समाचार पत्र जनकर्म दिनांक 08/11/2015
4. क्षेत्रिय समाचार पत्र नवभारत दिनांक 18/10/2015
5. ग्राम प्रकाषन दिनांक 30/10/2015

उपरोक्त प्रकाषन को पूर्ण करने के पश्चात ही धारा 19 का प्रकाषन करवाया गया।

3. वर्तमान में राजस्व अभिलेख में दर्ज भूमि स्वामीयों के नाम से भू अर्जन कि कार्यवाही कि जा रही है। आपत्तिकर्ता द्वारा धारा 11 के पष्चात् अनुविभागिय अधिकारी रायगढ़ कार्यालय में जो आपत्ति दी गई थी उसका नियमानुसार निराकरण करा गया था। भूमि अर्जन,पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं परदर्षिता अधिकार अधिनियम 2013 के अनुसार धारा 11 के पष्चात् धारा 15 की सुनवाई में जिन 3 बिंदुओ पर आपत्ति मांगी गई थी, उनसे हटकर की गई आपत्ति मान्य नही है।

4. भूमि अर्जन,पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं परदर्षिता अधिकार अधिनियम 2013 के प्रवाधनो का पालन करते हुए वर्तमान में भू–अर्जन की कार्यवाही की जा रही है।

5. भूमि अर्जन,पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं परदर्षिता अधिकार अधिनियम 2013 के नियमानुसार प्रारंभिक अधिसूचना ई–राजपत्र के रुप में समूचित सरकार (छ.ग. षासन) की वेबसाइट में 02/10/15 को षासन द्वारा प्रकाषित कि जा चुकी है। ग्राम बडमाल के लिए प्रारंभिक अधिसूचना (धारा11) का अंतिम प्रकाषन ग्राम प्रकाषन

भू–अर्जन अधिकारी
अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
रायगढ़ (छत्तीसगढ़)

30/10/15 के अनुसार 31/12/2015 तक 60 दिन की समयावधि नियत थी। इस समय सीमा में प्राप्त आपत्ति विचार के लिये स्वीकार की गई थी।

6. पूर्व में ग्राम एकताल में भू अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 4 (1) के तहत एनटीपीसी रेल लाईन के भू अर्जन हेतु कोई प्रकाषन नही करवाया गया।

7. कमिश्नर बिलासपुर संभाग बिलासपुर द्वारा इस भू अर्जन प्रकरण हेतु अनुमोदित पुर्नवासन योजना के सार का प्रकाशन ग्राम में धारा 19 के प्रकाशन के साथ किया जा चुका है।

8. दिनांक 03.6.2016 को धारा 19 के राजपत्र प्रकाषन उपरांत 27.6.2016 एवं पुनः 30.7.16 की तिथि नियत कर धारा 21 की सुनवाई की गई।इस प्रकार भू –अर्जन अधिनियम की धारा 19 एवं 21 के मध्य नियमानुसार एक माह से अधिक का समय देकर आपत्तियां ली गई। धारा 21 के नोटिस के पूर्व धारा 19 का प्रकाशन क्षेत्रिय एवं स्थानीय समाचार पत्रों में, संबंधित ग्राम प्रकाशन एवं अतिरिक्त रुप से रायगढ़ की वेब साइट में अपलोड कर दिया गया था।

9. अधिनियम की धारा 11 के पश्चात् समयावधि में प्राप्त दावा/आपत्तियों का निमयानुसार जांच कर निराकरण किया गया है।

10. भारत सरकार के द्वारा अधिसूचना दिनांक 18/12/15 की अधिसूचना के अध्याय 1 में उल्लेख है कि जहां केन्द्र सरकार समुचित सरकार के रुप में भू अर्जन कर रही है वही इस अधिसूचना के प्रावधान लागू होंगे। इस भू – अर्जन प्रकरण में भूमि स्वामी द्वारा प्रस्तुत वैध दस्तावेजों के अनुसार राजस्व अभिलेख को दुरुस्त कर भू – अर्जन की कार्यवाही चल रही है।

11. 02/07/2014 को जिला स्तरीय पुनर्वास समिती की बैठक के बिन्दुओ को सक्षम अधिकारी (कमिष्नर बिलासपुर) के द्वारा भूमि अर्जन,पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं परदर्षिता अधिकार अधिनियम 2013 के सेडयुल 2 के अनुसार निर्देषित कण्डिकाओं का पालन करते हुए 25 जुलाई 2015 को अनुमोदित किया गया था। जिला स्तरीय पुनर्वास समिती की बैठक वर्ष 2014–15 में माननीय मंत्री एवं विधायक महोदय, कलेक्टर,सी.ई.ओ.जिला पंचायत, अनुविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, पटवारी, ग्राम पंचायत आदि को सूचना देकर उपस्थिती में हुई थी। सभी बिंदुओं में चर्चा होने के पश्चात 8/07/16 को बैठक के बिंदुओं की प्रति भी सभी संबंधितों एवं पंचायत को उपलब्ध कराई गयी।

12. भारत में राज्य षासनों की पुर्नवास नीति के अनुसार, प्रचलित षासकीय नियम, भूमि का गाईड लाईन /ब्रिकी छांट मूल्य आदि का पालन करते हुये पुनर्वास नीति हर जगह राज्य षासन द्वारा अनुमोदित की जाती रही है। भूमि अर्जन,पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं परदर्षिता अधिकार अधिनियम 2013 के षेडयुल 1 एवं 2 के अनुसार एन.टी.पी.सी. तलाईपाली के भू–अर्जन प्रकरण हेतु पुर्नवास नीति सक्षम अधिकारी (कमिष्नर बिलासपुर) के द्वारा अनुमोदित है।

13. राजस्व अभिलेख के अनुसार दर्ज भूमिस्वमी को हीं सिर्फ धारा 21 की सूचना दी गई है, एवं अन्य लोगो की आपत्ति पूर्व में धारा 15 के समय नियमानुसार निराकरण की जा चूकी है।

14. मौके पर खसरा नं. 235/2 रकबा 0.061, 303/2 रकबा 0.049, 305/2 रकबा 0.129, 306 रकबा 0.032, 307/2 रकबा 0.100, 312/3, रकबा 0.089, 779/1 रकबा 0.291 हे. भूमि रेल कोरिडोर में प्रभावित है। एवं उक्त खसरा नं. की भूमि पर वृक्षों की संख्या निम्नानुसार है। :–पलास 41, साजा 1, तेन्दु 1, चार 3, नीम 5, रिंया 2 खैर 11 पीपल 1 बेहरा 3 बबूल 1, कठली 2 महुआ 2 सेम्हर 1 नग पाये गये ।

65 संजय,पि.रामेश्वर ,उकीया पि.घासीराम जाति गोंड़ सा.देह भूमि स्वामी द्वारा निम्नांकित बिन्दुओं पर आपत्ति की गई है:–

1. यह कि आदेवक /आवेदिकागण कास्तकारी भूमि ग्राम एकताल में स्थित है जिसका खसरा नंबर 237,287/4,288,290,287/6,301 में कुल खसरा 06 कुल रकबा 0.951 हें. को रेल्वे के भू–अर्जन के लिये अर्जित कियाजा रहा है

भू-अर्जन अधिकारी
अनुविभागीय अधिकारी (रा
रायगढ़ (छत्तीसगढ)

2. उक्त भूमि में खसरा 237 को छोड के सभी खसरा नंबर दो फसली एंव तालाब है उक्त खसरा नंबर का मुवाअजा दो फसली के हिसाब से राषि का भुगतान किया जावें। तथा खसरा नंबर 290 में नल कूप स्थ्ति है जिसका भी मुआवजा दिया जावें।

3. यह कि नोटिस में नाबालिक मगलवती नाब. लक्ष्मी पिता रामेश्वर के जगह रविशंकर लिखा गया है रामेश्वर लिखा जावे एवं संतोसिनी पिता रामेश्वर कि जगह पर संतोषी पिता रामेश्वर लिखा गया है जिसे पिता रामेश्वर किया जावे।

10. यह कि उक्त भुमि के अंतर कोहा–03 पेड,बबुन–02 पेड, साजा–03 पेड, खैर–05 पेड, जामुन–02 पेड, कसाई–01 पेड, निम–07 पेड, प्लास–10 पेड, महूआ–01 पेड, रिया–01 पेड, सिसम–01 पेड स्थ्ति है। तथा इनका मुवाअजा दिया जावें
11. यह कि परिवार के दो सदस्यों को एन. टी. पी. सी. में नौकरी दिया जावें।
12. यह कि उक्त भुमि का मुआवजा भारत सरकार द्वारा निर्धारित नियम के तहत 4 गुना के दर से भुगतान किया जावें।

उपरोक्त आपत्तियों का निम्नानुसार निराकरण किया गया :–

1. आपत्तिकर्ता द्वारा आपत्ति की गई भूमि कुल खसरा नं. 6 रकबा 0.951 हे. को रेल्वे भू अर्जन के लिये आवेदित है परन्तु मौके पर खसरा नं. 237 से रकबा 0.121, 287/4 से रकबा 0.053, 301 से 0.077, 290 से 0.129 एवं ख. नं. 288 रकबा 0.158 तथा खसरा नं. 287/6 रकबा 0.121 हे. भूमि प्रभावित है। अतः कुल खसरा नं. 06 रकबा 0.659 हे. भूमि अर्जित किया जा रहा है।

2. आपत्तिकर्ताके द्वारा ख.नं. 237 को छोडकर षेष सभी ख.नं. क्रमषः 287/4, 288, 290, 287/6 एवं 301 को सिंचित बताया गया है एवं तालाब होना बताया गया है मौका निरिक्षण में पाया गया कि ख.नं. 287/6 में तालाब बना हुआ है एवं ख.नं. 290 में एक टयूवेल निर्मित है जो कि ग्राम वासियों के बताये अनुसार टयूवेल 6 वर्ष पुराना है। जिसमें ख.नं. 287/4, 288, 290,एवं 301 की सिंचित किया जाता है।

3. आपत्तिकर्ता द्वारा बताया गया कि ना.बा. मंगलमती एव ना.बा. लक्ष्मी पिता रामेष्वर के नाम से दर्ज है अतः रविषंकर को सुधार कर रामेष्वर किया जाये। राजस्व अभिलेख में का अवलोकन करनें पर पाया गया कि रामेष्वर पहले से ही संसोधित है। भू अर्जन प्रकरण में सुधार किया जाना चाहिए। राजस्व अभिलेख में संतोषी का नाम दर्ज है, जिसे संतोषिनी किये जाने हेतु आपत्ति की गई है। आपत्तिकर्ता द्वारा प्राथमिक परिक्षा प्रमाण पत्र कि छाया प्रत्रि आधार कार्ड कि छााया प्रति एवं शपथ पत्र कि छाया प्रति दी गई है जिसमें संतोषिनी नाम अंकित पाया गया।

4. मौका निरिक्षण करनें पर निम्न वृक्ष पाये गयेः–

कौहा 03, बबुल 02, साजा 03, बैर 05, जामुन 02, कसीही 01, नीम 06, पलास 10, महुआ 01, रिया 01, सीसम 01,

5. एनटीपीसी तिलाईपाली की रेल लाईन निर्माण हेतु भू–अर्जन प्रकरण में कमिश्नर बिलासपुर द्वारा अनुमोदित पुनः स्थापन एवं पुर्नवास योजना में उल्लेखित है कि रोजगार के नियमित अवसर इस परियोजना से सृजित नही होते है। अतः भू–अर्जन के बदले रोजगार का प्रावधन नही है।

6. भू अर्जन प्रकरण में शासन के निर्देशानुसार ग्राम एकताल के वर्ष 2015–16 गाईड लाईन रेट (रुपये 798000 /–) का चार गुना मुआवजा राशि के रुप में भुगतान किया जायेगा।

66 सत्यनारायण पिता जोगीराम द्वारा द्वारा निम्नांकित बिन्दुओं पर आपत्ति की गई हैः–

1. यह कि ख.नं. 292/1 में कुल रकबा 0.166 हे0 जो कि उसमें से 0.101 हे. लि जा रही है जोकि पुरा रकबा लिया जाये।

2. यह कि मनटेारा की फौत होने के कारण सत्यनारायण एवं चम्पा सुरोति पिता जोगीराम का नम विरासत हक से दर्ज किया गया है। जो कि ये तीनो का पटटे में दर्ज है। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि सत्यनारायण पिता जोगीराम चम्पा पिता जोगीराम सुरोति पिता जोगीराम के नाम पर दर्ज किया जावे।

उपरोक्त आपत्तियों का निम्नानुसार निराकरण किया गया :–

भू अर्जन अधिकारी
अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
रायगढ़ (छत्तीसगढ़)

2. ग्राम एकताल का आवेदित ख.नं. 292/1 कुल रकबा 0.166 हे. पूर्ण रुप से प्रभावित है जिसमें से 0.101 हे. भूमि अर्जन में प्रस्तावित है, तथा शेष 0.065 हे. भूमि को पूरक में लिया जावेगा।

2. आपत्तिकर्ता के द्वारा सूचित किया गया कि मनटोरा फौत हो चूकी है। मनटोरा की जगह सत्यनाराण, चम्पा एवं सुरोती पिता जोगीराम का नाम दर्ज किया गया है। मनटोरा का फौतीकाटकर समस्त विधिक वारिसानों के नाम दर्ज किया गया है।

67 रामवति पति हरि जाति मिरधा सा देह भूमि स्वामी द्वारा निम्नांकित बिन्दुओं पर आपत्ति की गई है:-

विषयातंर्गत संदर्भिप पत्र में मै श्रीमती रामवती मिरधा पिता स्व. श्री हरि, ग्राम एकताल की भूमि अधिग्रहण की जानी है परन्तु कुल कितनी भूमि अधिग्रहण की जानी है स्पष्ट नही हो पाया है स्पष्ट करे एवं मेरे पिता स्व. श्री हरि के स्थन पर मेरे पति श्री हरि लिखा गया है जिसे सुधारा जावें।

उपरोक्त आपत्तियों का निम्नानुसार निराकरण किया गया :-

राजस्व अभिलेख का अवलोकन करने पर पाया गया कि उक्त खंन. 300/1 कुल रकबा 2.023 हे में से 0.101 हे. भूमि मौके पर प्रभावित है। जोरामवती पिता हरि जाति मिरधा के नाम दर्ज है। आपत्तिकर्ता द्वारा अर्जन की भूमि की रकबा के संबंध में पूछा गया था। जिसे मौके पर बताया गया कि उक्त ख.नं. 300/1 में 0.101 हे. भूमि अर्जित की जा रही है। उक्त भूमि के संबंध मेंअपर न्यायाधीष रायगढ़ के न्यायालय में मनोज विरुध्द रामवती के नाम से वाद क्र. 27ए/13 लंबित हैं।

68 पूनीबाई पति शशिधर चौहान निवासी ग्राम एकताल द्वारा निम्नांकित बिन्दुओं पर आपत्ति की गई है:-

निवेदन है कि आवेदक श्रीमती पुनीबाई पति शशिधर चौहान निवासी ग्राम एकताल तहसील पुसौर जिला रायगढ़ छ.ग. का निवासी हूँ। जो कि आवेदिका के स्वयं के हक आधिपत्य एवं स्वातितव की भूमि ग्राम एकताल प.ह.नं. 6 तहसील पुसौर जिला रायगढ़ में खसरा नं. 778/1 रकबा 0.174 हे. में से अर्जित भूमि 0.061 हे. एवं खसरा नं. 780/1 रकबा 0.117 एवं खसरा नं. 783/1 रकबा 1.348 हे. में से अर्जित भूमि 0.364 हे. खसरा नं. 886 में रकबा 0.291 हे. भूमि शासन के द्वारा कोल माईन्स परिवहन हेतु रेल्वे लाईन निर्माण हेतु अर्जित किया जाना है। यह कि आवेदक को उक्त सेवा भूमि के बदले में जमीन प्रदाय किया जावे उसके बदले में उचित सही मुल्यांकन कर मुआवजा राषि प्रदान किया जावे, अन्य आवेदक को आपत्ति है।

उपरोक्त आपत्तियों का निम्नानुसार निराकरण किया गया :-

उक्त भूमि वर्तमान में शासकीय सेवा भूमि राजस्व भूमि के नाम पर दर्ज है। जिस कारण उक्त भूमि मुआवना कोटवार (ग्राम नौकर) को दिया जाना संभव नही है। शासकीय भूमि उपलब्ध होनें के स्थिति में पूर्ति किया जायेगा जो कि नियानुसार प्रकिया के तहत किया जा सकेगा। उक्त संबंध में कोटवार ग्राम नौकर द्वारा कहा गया कि उक्त मामलें में कोर्ट में मामला लंबित है जब तक फैसला नही आ जाता तब तक मामला दर्ज लंबित रखते हुए मुआवजा राषि न वितरण किया जाये।

69 रविशंकर आ0 मानू निवासी ग्राम एकताल द्वारा निम्नांकित बिन्दुओं पर आपत्ति की गई है:-

निवेदन है कि आवेदक रवि पिता भानू जाति मिरधा निवासी ग्राम एकताल तहसील पुसौर जिला रायगढ़ छ.ग. का निवासी हुँ जो कि आवेदक के नाम से ग्राम एकताल प.ह.न. 6 तहसील पुसौर जिला रायगढ़ में खसरा नं. 28/3 रकबा 0.175 एवं खसरा नं. 887 रकबा 0.101 हे. भूमि स्थित है। यह कि आवेदक के उपरोक्त भूमि को अधिग्रहण कोलमाईन्स रेल्वे लाईन हेतु शासन के द्वारा अधिग्रहण किये जाने का नोटिस मुझे प्राप्त हुआ है।

महोदय जी मेरे उक्त भूमि दो फसली भूमि है और इसी से मेरे पूरे परिवार का पालन पोषण होता है यदि शासन के द्वारा अधिग्रहित किया जाता है तो मुझे भूमि का दोफसली से मूल्यांकन कर अधिग्रहित किया जावे इसलिये यह आपत्ति आवेदन माननीय महोदय के समक्ष सादर पुस्तुत है। तथा आवेदक के उक्त भूमि के मेढ़ में पलास 3 पेड़ बांस भीरा 6 एवं खम्हार 1 सेन्हा 2 एवं रिया 3 कुला 15 वृक्ष भी सही मूल्यांकन कर मुझे मुआवजा राषि प्रदान किया जावे।

भू-अर्जन अधिकारी
अनुविभागीय अधिकारी (रा.
रायगढ़ (छत्तीसगढ़)

उपरोक्त आपत्तियों का निम्नानुसार निराकरण किया गया :—

आज दिनांक 12.11.2016 को आपत्तिकर्ता द्वारा द्वारा वृक्षों की गणना के संबंध में की गई आपत्ति सही पाई एवं उक्त वृक्ष धारा 11 के दौरान भू—अर्जन अधिकारी रायगढ़ कार्यालय में जमा पत्रक मे भी दर्ज है। खसरा नं. 289/3 रकबा 0.175 हे. भूमि पूर्व में आवेदित था जो कि मौके पर 0.138 हे. भूमि प्रभावित है। पर आवेदक के स्वयं के सिंचाई का साधन नहीं है, यह असिंचित है एवं खसरा नं. 887 रकबा 0.101 हे. भूमि जो रेल्वे कारिडोर में प्रभावित है सिंचित है परन्तु दोफसली नहीं लिया जाता है अतः इसे दोफसली की दर से मुल्यांकन नहीं किया जा सकता

70 संतोष कुमार यादव द्वारा निम्नांकित आपत्ति की गई है:—

निवेदन है कि आवेदक तपश्वनि पिता संतोष ग्राम एकताल जिला रायगढ़ के पटवारी 8 के रहने वाला हूँ। जो की एकताल रेल्वे लाईन कि नोटिष तपष्वनि के स्थान पर जपश्वनि हो गया है। अतः श्रीमान जी से अनुरोध हो कि जपस्वनि को तपश्वनि करने कि कृपा करें।

उपरोक्त आपत्तियों का निम्नानुसार निराकरण किया गया :—

आपत्तिकर्ता के आपत्ति के अनुसार खसरा नं. 270/1 में तपष्विनी का नाम रिकार्ड में दर्ज नही है, भू अर्जन के प्रकरण एवं रिकार्ड में सुनाफूलो पति संतोष, सुभाषिनी, प्रभाषिनी, एवं जयन्ति पिता संतोष दर्ज पाया गया एवं आपत्तिकर्ता को तहसीलदार महोदय के न्यायालय में विधिवत आवेदन कर तपष्विनी का नाम जुडवाने एवं जयन्ति का नाम विलोपित करवाने हेतु सलाह दी गई।

71 पूनी बाई पति लाल कुमार प्रीति बाई पति बाबूलाल द्वारा निम्नांकित बिन्दुओं पर आपत्ति की गई है:—

1. यह कि ग्राम एकताल मे लालकुमर बाबूलाल सुमती निद्रा पिता अभिराम कोयली बेवा अभिराम के शामीलाती खाता में प.ह.नं. 08 खसरा नं. 271/4 रकबा0.101 स्थित थी जिसे रेल लाईन हेतु अधिग्रहण किया गया है।

2. यह कि आपके द्वारा भेजी गई नोटीस में लालकुमार व बाबूलाल का नाम है जो कि लाल कुमार के द्वारा किसी अन्य महिला के साथ घर छोड़कर भाग गया है तथा उसकी पत्नी पूनीबाई है जिसका नाम उक्त मुआवजा में षामील किया जाये।

3. यह कि बाबूलाल भी वर्ष 2015 से घर से लापला हो गया है जिस कारण भी उसके नाम के स्थान पर उसकी पत्नी श्रीमती प्रतीबाई के नाम से मुआवजा राषि दिया जावे

उपरोक्त आपत्तियों का निम्नानुसार निराकरण किया गया :—

आपत्तिकर्ता के संबंध में पटवारी द्वारा मौका मुआयना करनें पर पाया गया कि खसरा नं. 271/4 कुल रकबा 1.922 हे में से 0.061 हे. भूमि मौके पर प्रभावित है। आपत्तिकर्ता द्वारा सूचित किया गया कि लालकुमार को लापता हुए 1 वर्ष हो गये। ऐसी स्थिति में आपत्तिकर्ता के कहनें पर राजस्व अभिलेख में भूमि स्वामी का नाम विलोपित करना संभव नही है। उक्त भूमि संबंध में विमला गुप्ता द्वारा भारतीय पंचम अपर जिला न्यायाधीष रायगढ़ के न्यायालय में वाद क्र. 25ए/13 के नाम से लंबित है।

72 भागीरथी पटेल पिता मोहनलाल पटेल पता नावापाली द्वारा निम्नांकित आपत्ति की गई है:—

निवेदन है कि मोहन लाल पटेल पिता पंचराम पटेल पता नावापाली तह.पुसौर, जिला रायगढ़ का निवासी हूँ मेरे भूमि स्वामी को जमीन एकताल प.ह.नं. 6 तह पुसौर, जिला रायगढ़ में खसरा नं. 885/7 रकबा 0.045 हे. भूमि जो आपसी बटवारा में प्राप्त हुआ है उक्त जमीन को एनटीपीसी लारा द्वारा रेल्वे लाईन हेतु अधिग्रहित किया गया है। यह कि वर्तमान में मेरा एक मात्र आय का आश्रित था उक्त जमीन रेल्वे लाईन हेतु अधिग्रहित किये जाने से हमारे समक्ष अनेक कठिनाई उत्पन्न हो गयी है यह कि परिवार के एक सदस्य जोगेन्द्र पटेल को उक्त एनटीपीसी लारा में नौकरी दिलवाना चाहता हूँ। अतः मेरा पुत्र की योग्यता को देखते हुए उक्त एनटीपीसी में ई.टी.एन.टी.से डिप्लोमा व बी.एस. सी. उत्तीर्ण महोदय मेरा नाती वर्तमान में बेरोजगार है जिसके नौकरी व परिवार के जीवन यापन हेतु एनटीपीसी में नौकरी दिलाना चाहता हूँ।

भू—अर्जन अधिकारी
अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
रायगढ़ (छत्तीसगढ़)

उपरोक्त आपत्तियों का निम्नानुसार निराकरण किया गया :–

एनटीपीसी तिलाईपाली की रेल लाईन निर्माण हेतु भू–अर्जन प्रकरण में कमिषनर बिलासपुर द्वारा अनुमोदित पुनः स्थापन एवं पुर्नवास योजना में उल्लेखित है कि रोजगार के नियमित अवसर इस परियोजना से सृजित नही होते है। अतः भू–अर्जन के बदले रोजगार का प्रावधन नही है।

73 विजय कुमार पटेल द्वारा निम्नांकित आपत्ति की गई है:–

निवेदन है कि नान्हू पिता चिटकी जाति अघरिया पता एकताल पुसौर, जिला रायगढ़ के निवासी हूँ। मेरे भूमिस्वामी हक की भूमि ग्राम एकताल प.ह.नं. 8 तहसील व जिला रायगढ़ में स्थित खसरा 885/4 रकबा 0.110 हे. भूमि स्थित है

उपरोक्त जमीन को एनटीपीसी लारा द्वारा रेल्वे लाईन हेतु अधिग्रहित किया गया है। यह कि मेरा एक मात्र आय का साधन कृषि है। अन्य कोई साधन नहीं उक्त जमीन के आय अपने परिवार का पालन पोषण होता था जिसके अधिग्रहण किए जाने से परिवार के समक्ष अनेक कठिनाईया उत्पन्न हो गया है। यह कि उक्त अधिग्रहित जमीन के एवज में परिवार के पुत्र विजयकुमार पटेल जो कि विकलांक है जिसे उक्त कम्पनी में नौकरी पर देना चाहता हूँ। अतः मेरा पुत्र की योग्यता /योग्यता के आधार पर एनटीपीसी लारा में नौकरी प्रदान किया जावे।

उपरोक्त आपत्तियों का निम्नानुसार निराकरण किया गया :–

एनटीपीसी तिलाईपाली की रेल लाईन निर्माण हेतु भू–अर्जन प्रकरण में कमिश्नर बिलासपुर द्वारा अनुमोदित पुनः स्थापन एवं पुर्नवास योजना में उल्लेखित है कि रोजगार के नियमित अवसर इस परियोजना से सृजित नही होते है। अतः भू–अर्जन के बदले रोजगार का प्रावधन नही है।

74 नारायण पटेल द्वारा निम्नांकित आपत्ति की गई है:–

निवेदन है कि आवेदक नारायण आ. रूपलाल निवासी ग्राम एकताल तहसील पुसौर जिला रायगढ़ के निवासी है जो कि खसरा नंबर 799/3 एवं रकबा 0.127 एवं खसरा 885/5 रकबा 0.117 हे. भूमि को परिवार के आपसी मौखिक बंटवारा किया गया था जिसे रद्द किया गया। उसे मान्यता दिया जाकर आवेदकगण को उक्त अधिग्रहित भूमि के बदले कम्पनी में नौकरी प्रदान किया जाना उचित होगा।

उपरोक्त आपत्तियों का निम्नानुसार निराकरण किया गया :–

ग्राम एकताल का खसरा नं. 799/3 एवं 885/5 के किये गए आपसी मौखीक बटवारा मान्य नहीं है, एवं शासन के निर्देशानुसार पूर्व में किये गए अवैध बंटवारे एवं नामांतरण निरस्त किये गए थे। एनटीपीसी तिलाईपाली की रेल लाईन निर्माण हेतु भू–अर्जन प्रकरण में कमिश्नर बिलासपुर द्वारा अनुमोदित पुनः स्थापन एवं पुर्नवास योजना में उल्लेखित है कि रोजगार के नियमित अवसर इस परियोजना से सृजित नही होते है। अतः भू–अर्जन के बदले रोजगार का प्रावधन नही है।

75 मनोज गुप्ता पिता स्व. पी. पी. गुप्ता नि. बैकुण्ठपुर रोड़ रायगढ़ द्वारा पर आपत्ति की गई है:–

निवेदन है कि मनोज गुप्ता आ. स्व. पी.पी. गुप्ता बैकुण्ठपुर रोड़ रायगढ़ तह. व जिला रायगढ़ द्वारा दिनांक 20.07. 2012 को उपरोक्त वर्णित रामवती को भूमि खसरा 300/1 के संबंध में इकरार नामा कर अग्रिम राषि 120000 रूपये प्रदान किया हूँ । तथा शेष राषि रजिस्ट्री के समय देने का सौदा तय किया गया है चूंकी उक्त प्रकरण में वर्तमान द्वितीय अपर जिला न्यायालय रायगढ़ के न्यायालय में मनोज विरूद्ध रामवती के रूप में व्य.वाद क्र. 27ए13 वर्तमान पेषी 25.07.2016 को नियत है। ऐसी स्थिति में रामवती को भू अर्जन राषि प्रकरण के अंतिम निराकरण तक प्रदान न किया जावे तथा न्याय हित में आवेदन स्वीकार किया जावे।

उपरोक्त आपत्तियों का निम्नानुसार निराकरण किया गया :–

आपत्तिकर्ता के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज से ज्ञात हुआ कि वर्तमान में ख. नं. 300/1 भूमि जो रामवती पति हरि मिरधा के नाम से दर्ज है जो कि वादग्रस्त है। माननीय द्वितीय अपर न्यायाधीष रायगढ़ के न्यायालय में मनोज विरुध्द

भू–अर्जन अधिकारी
अनुविभागीय अधिकारी (रा.,
रायगढ़ (छत्तीसगढ)

रामवती के नाम से वाद क्र. 27ए/13 लंबित है अतः न्यायालय के फैसले के पश्चात् मुआवजा दिया जाना उचित होगा।

76 पूर्णचन्द्र, षिविल, सुभाष, टिकेष्वर, श्यामलाल पिता डमरू निवासी एकताल तह.पुसौर जिला रायगढ़द्वारा निम्नांकित बिन्दुओं पर आपत्ति की गई है:–

1. यह कि भारत सरकार के द्वारा दिनांक 31.12.2014 को जारी अधिसूचना में जिन परियोजना में समुचित सरकार का भूमि स्वामी निरस्तर बना हो उन परियोजनाओं पर भू–अर्जन के अध्याय अधिनियम 2व3 का छुट प्रदान किया गया है। जिसके तारतम्य में छ.ग. शासन के द्वारा 02.03.2015 की अधिसूचना जारी कर अध्याय 2 व 3 का प्रावधान लागू किया गया था, उक्त अधिसूचना की अंतिम दिनांक 31.08.2015 था, चूंकि भारत सरकार के द्वारा लाये गये अध्यादेष पूर्व में शून्य हो चुका है, जिसको आधार बना कर केवल आदेष पत्रक में उल्लेखित कर छुट के दायरे में लाया गया है, जबकी उक्त दिनांक को धारा 11 के प्रकाषन के प्रारूप, मुनादी, समाचार पत्र, राजपत्र, बेबसाईड में किसी भी रीति से प्रकाषन नहीं किया गया था, ऐसी स्थिति में छ.ग.शासन के द्वारा एवं भू–अर्जन अधिकारी के द्वारा अध्याय 2 व 3 का पालन किये बगैर अग्रिम कार्यवाही किया जाना न्याय संगत नहीं है।

2. यह कि धारा 11 के बेबसाईड में प्रकाषन के पूर्व ही धारा 19 का प्रकाषन दैनिक समाचार पत्रों में कर दिया गया है। एक ओर धारा 11 के प्रकाषान के प्रारूप पूर्ण नहीं किया गया था वहीं दुसरी ओर धारा 19 का प्रकाषन किया जाना नवीन भू–अर्जन अधिनियम 2013के प्रावधानों के विपरित है।

3. यह कि उक्त प्रतावित भू–अर्जन के बिना मुक्त किये एवं आपत्तिकर्ता के नामान्तरण को अविधिक प्रक्रियाओं का पालन कर निरस्त कर दिया गया है, जिसके तहत उक्त निरस्तीकरण आदेष के विरूद्ध आपत्तिकर्ता के द्वारा तहसीलदार रायगढ़ के द्वारा नामान्तरण निरस्तीकरण के विरूद्ध पुनः विधिवत नामान्तरण हेतु तहसीलदार रायगढ़ के समक्ष प्रस्तुत कर सम्पूर्ण प्रकिया (पटवारी प्रतिवेदन, उभय पक्ष के साक्ष्य इत्यादी) पूर्ण किया जा चुका है एवं उक्त प्रकरण आदेष हेतु लंबित है, जिसकी सूचना तहसीलदार रायगढ़ के प्रारंभ से है तथा आपत्तिकर्ता के द्वारा धारा 11 के अधिसूचना प्रकाषन पर आपत्ति प्रस्तुत किया गया था जिस पर उपरोक्त तथ्यों का उल्लेख किया गया था। जिस पर तहसीलदार रायगढ़ के द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन में उचित निराकरण न कर धारा 19 का भू–अर्जन अधिनियम 2013 अधिसूचना त्रुटिपूर्ण प्रकाषन कराया गया जो न्याय संगत नहीं है।

4. यह कि सम्पत्ति का अधिकार विधिक अधिकार के साथ साथ मानवाधिकार भी है, जिसे अविधिक व छल पूर्वक उसके अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है।

5 यह कि दिनांक 17.10.2015 को धारा (1) भू–अर्जन अधिनियम के तहत प्रारंभिक अधिसूचना प्रकाषित कराया जाता है एवं समुचित सरकार के बेवसाईड में प्रकाषन न करा कर छल पूर्वक एन.टी.पी.सी. में कार्यरत कर्मचारियों के द्वारा रायगढ़ के बेवसाईड में दिनांक 13.05.2016 को कराया जाता है तथा उसी दिनांक 13.05.2016 को धारा 19 का भी बेवसाईड में प्रकाषन कराया जाता है जबकी भू – अर्जन की प्रक्रिया में समयावधि का गणना अंतिम प्रकाषन दिनांक को माना जाना प्रावधानित है तथा धारा 11 (1) के प्रकाषन पश्चात 60 दिन के समयावधि आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु प्रावधनित है, जिसका भी पालन नहीं किया गया है।

6. यह कि धारा 4 (1) भू–अर्जन अधिनियम 1894 के तहत पूर्व में ग्राम एकताल प.ह.नं. 08 तह.व जिला रायगढ़ मे दैनिक समाचार पत्र दैनिक भास्कर दिनांक 22/12/2013 को प्रकाषन कराया गया था, जिसमें आपत्तिकर्ता के स्वामित्व की भूमि खसरा नं. 235/2 रकबा 0.061, 305/2 रकबा 0.129, 304 रकबा 0.244, 306 रकबा 0.085, 307/2 रकबा 0. 142, 310/2 रकबा 0.105, 779/2 रकबा 0.340 हे कृषि भूमि प्रभावित उल्लेखित है। उक्त भू–अर्जन की कार्यवाही को व्यपगत (स्मचे) किया जाना प्रावधानित है, जिसके तहत आज दिनांक तक प्रस्तावित भूमि को मुक्त नहीं किया गया है।

7. धारा 19 के पुनर्वासन व पुर्नस्थापना तथा घोषणा और सार का प्रकाषन कराया जाना प्रावधानित है किन्तु पुनर्वासन व पुर्नस्थापना सार्क का प्रकाषन आज दिनांक तक नहीं कराया गया है। जबकी भू–अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 19 (2) की उप धरा 1 में यह स्पष्ट प्रावधान है कि इस उप धारा के अधिन कोई घोषणा तब तक नहीं किया जावेगा, तब तक पुनर्वासन व पुनर्व्यस्थापन का योजना का सार ऐसी घोषणा के साथ नहीं किया जाता । एतएवं त्रुटिपूर्ण प्रक्रियाओं का समावेष कर मात्र प्रबंधक एन.टी.पी.सी. द्वारा भूमि प्राप्त करना चाहता है, जो कि अवैधानिक है।

8. यह कि धारा 19 राजपत्र में दिनांक 03/06/2016 को प्रकाषित कराया जाता है वह भी उपरोक्तानुसार त्रुटिपूर्ण है एवं धारा 19 भू–अर्जन अधिनियम का प्रकाषन के प्रारूप पूर्ण कराये बगैर धारा 21 के नोटिस व्यक्तिषः जारी कर दिया

भू–अर्जन अधिकारी
अनुविभागीय अधिकारी (रा.
रायगढ़ (छत्तीसगढ़)

जाता है। अतएव समस्त प्रकिया भू–अर्जन अधिनियम के तहत आदेषात्मक कार्यवाही है, जिसका पालन नहीं किया गया है। अतएवं सम्पूर्ण कार्यवाही शुन्य व अवैधानिक है।

9. यह कि धारा 11 के परिप्रेक्ष्य में आपत्तिकर्ता के द्वारा आपत्ति प्रस्तुत किया गया था, किन्तु महा प्रबंधक एन.टी.पी.सी. एवं तहसीदार के द्वारा अस्पष्ट प्रतिवेदन एवं भू –अर्जन की प्रकियाओं के विपरित प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर भू–अर्जन अधिकारी, रायगढ़ के द्वारा प्रस्तुत आपत्ति का बिन्दुवार निराकरण नहीं किया गया है तथा बिना निराकरण के ही अग्रिम कार्यवाही की गई है, जो कि अनुचित है।

10. प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाषन के पश्चात भारत सरकार के द्वारा अधिसूचना दिनांक 18.12.2015 को जारी किया गया था जिसमें भूमि अभिलेखों को अद्यतन करवाने की नियम उल्लेखित है जिसके अनुसार मृतक व्यक्तियों के नामों को लोप करना, मृतक व्यक्तियों के वारिसो का नामों को प्रवृष्टि करना, भूमि पर अधिकारों के रजिस्ट्री के समव्यपहारों जैसे– बिकी,दान, विभाजन आदि को प्रवृष्टि करना बंधक के सभी प्रवृष्टियों को अभिलेखों प्रवृष्टि करना इत्यादी उल्लेखित है, किन्तु उक्त अधिसूचना के प्रकाषन के उपरांत दिनांक 23.02.2016 को धार 11 (1) में आपत्ति पर निराकरण हेतु नियत किया गया था किन्तु उक्त अधिसूचना में दर्षित बिन्दुओं को नजर अंदाज करते हुए या ताक में रखते हुए आपत्तिकर्ता के संवैधानिक अधिकार का हनन कर छल पूर्वक अनावेदक एवं तहसीलदार के द्वारा त्रुटिपूर्ण प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है, जो कि भू–अर्जन की धारा 86,87 के तहत अपराध की श्रेणी में आता है। विदित हो कि रिट कमांक 1443 मे माननीय उच्च नायायालय बिलासपुर छ.ग. के द्वारा पारित आदेष दिनांक 14.09.15 के अनुसार भू अर्जन अधिनियम 2013 के अध्याय 2 एवं अध्याय 3 का पालन करना अनिवार्य उल्लेखित हैं जिसका पालन नहीं किया गया है।

11. एक ओर एन.टी.पी.सी. के पुनर्वास निति के कंडिका 9.6 रोजगार एवं वार्षिकी में प्रति प्रभावित एक बार 5.00 लाख दिया जावेगा या वार्षिकी पॉलिसी कीमत सूचकांक के अनुसार कम से कम 2000/–रू. प्रति माह उल्लेखित है, जबकी 02.07.2014 जिला स्तरीय पुनर्वास समिति की बैठक में भू – अर्जन के मुआवजे के अतिरिक्त 30000/–रू. प्रति एकड़ अनुपातिक 20 वर्ष तक भूमि विस्थापित परिवार को दिया जावेगा। प्रत्येक 2 वर्ष में प्रति एकड़ 500/–रू. बढ़ाया जायेगा। जबकी सूचना के अधिकार के तहत चाही गयी जानकारी में जिला कार्यालय रायगढ़ के द्वारा जिला स्तरीय पुनर्वास समिति का गठन वर्ष 2013–14 में नहीं हुआ है और न ही इसं संदर्भ में सचिवालय रायपुर में दिषा निर्देष प्राप्त हुआ है, बताया गया। अतः न तो पूर्व में पुनर्वास स्कीम विधिवत बनाया गया और नही धारा 16 (5) के तहत पुनर्वास प्रतिवेदन के संदर्भ में कोई सुनवाई किया गया है। चूंकि छ.ग. शासन का कृषि भूमि में निरन्तर भू–स्वामी है एवं एन.टी.पी.सी. प्रस्तावक है, ऐसी स्थिति में वर्ष 2013 भू–अर्जन अधिनियम के प्रावधानों को मनमाने ढंग से लागू कर आपत्तिकर्ता/रजिस्टर्ड भूमि स्वामी को उसके संवैधानिक अधिकारों से वंचित किया जा रहा है, जो कि अनुचित है।

12. एन.टी.पी.सी. की पुनर्वास नीति सम्पूर्ण भारत में एक होती है। वर्ष 2015 में एन.टी.पी.सी. के द्वारा ग्राम –गहिलगढ़ (पं.) विद्यांचल (मध्यप्रदेष) में कृषि भूमि का रजिस्टर्ड सेल डीड के माध्यम से कय किया गया है एवं दिनांक 18.03.2015 को कीमत सूचकांक के अनुसार प्रभावित भूमिस्वामियों को नौकरी के एवज में 700000/–रू. (सात लाख) पैकेज दिया गया है, चूंकि एन.टी.पी.सी. के द्वारा रायगढ़ के परियोजनाओं हेतु पुनर्वास प्रतिवेदन, धारा 19 के साथ पुनर्वास का सार प्रकाषन नहीं कराया गया है। अतएव वर्तमान कीमत सूचकांक के अनुसार नौकरी के एवज में पैकेज प्राप्त करने के अधिकारी है एवं प्रति एकड़ 2000000/–(बीस लाख रूपये) की दर से मुआवजा राषि का निर्धारण कर नवीन भू–अर्जन अधिनियम के तहत 4 गुना, दिया जावे चूंकी अन्य प्रान्त में (सुन्दरगढ़ ओडिसा) में एन.टी.पी.सी. के द्वारा 22.00 लाख रू. प्रति एकड़ की दर से मुआवजा राषि का निर्धारण किया गया है।

13. यह कि उपरोक्त कंडिकावार बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए एवं विधिवत भू–अर्जन प्रकिया के अनुकुल निराकरण कर आपत्तिकर्ता को सूचना/जानकारी देने के उपरांत ही भू – अर्जन की अग्रिम कार्यवाही किया जावे ताकि भविष्य में एन.टी.पी.सी.लारा परियोजना की भांती इस परियोजना में भी भूमि पर कब्जा लेने के उपरांत प्रभावितों को अनावष्यक न्यायालयीन कार्यवाही में उलझना न पड़ें। यदि जानबुझ कर आपत्तिकर्ता के हित को ताक में रखते हुए अविधिक पूर्ण कार्यवाही की जाती है तो उसकी समस्त जवाबदारी महाप्रबंधक एन.टी.पी.सी. की होगी।

14. यह कि नोटिस में सभी खसरा नं. अंकित नहीं हुआ है तथा पेड़ो की सही गणना नही हुआ है।

उपरोक्त आपत्तियों का निम्नानुसार निराकरण किया गया :–

भू-अर्जन अधिकारी
अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
रायगढ़ (छत्तीसगढ़)

3. भूमि अर्जन,पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं परदर्षिता अधिकार अधिनियम 2013 के अध्याय 2 व 3 का प्रावधानों से 2 मार्च 2015 को छ.ग. शासन के द्वारा असाधरण राजपत्र के माध्यम से औद्योगिक कारीडोर एवं अन्य परियोजना को छुट प्रदान की गई थी। इस अध्यादेष के अस्तित्व में रहते हुए कलेक्टर रायगढ़ द्वारा भू अर्जन प्रकरण की प्रारंभिक अधिसूचना का अनुमोदन 31.08.2015 को कर दिया गया था एवं आवेदक संस्था एनटीपीसी तिलाईपाली द्वारा भू–अर्जन की राषि भी जमा कि जा चुकी थी।

4. धारा 11 का प्रकाशन निम्नानुसार किया गया है :–

1. छ.ग. राजपत्र – 2/10/15
2. समुचित सरकार (छ.ग.शासन) वेबसाईट (www.cg.nic.in/ egazette) ई – राजपत्र – 2/10/2015
3. स्थानीय समाचार पत्र जनकर्म दिनांक 08/11/2015
4. क्षेत्रिय समाचार पत्र नवभारत दिनांक 18/10/2015
5. ग्राम प्रकाषन दिनांक 30/10/2015

उपरोक्त प्रकाषन को पूर्ण करने के पश्चात ही धारा 19 का प्रकाषन करवाया गया।

3. वर्तमान में राजस्व अभिलेख में दर्ज भूमि स्वामीयों के नाम से भू अर्जन कि कार्यवाही कि जा रही है। आपत्तिकर्ता द्वारा धारा 11 के पष्चात् अनुविभागिय अधिकारी रायगढ़ कार्यालय में जो आपत्ति दी गई थी उसका नियमानुसार निराकरण करा गया था। भूमि अर्जन,पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं परदर्षिता अधिकार अधिनियम 2013 के अनुसार धारा 11 के पष्चात् धारा 15 की सुनवाई में जिन 3 बिंदुओ पर आपत्ति मांगी गई थी, उनसे हटकर की गई आपत्ति मान्य नही है।

4. भूमि अर्जन,पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं परदर्षिता अधिकार अधिनियम 2013 के प्रवाधनो का पालन करते हुए वर्तमान में भू–अर्जन की कार्यवाही की जा रही है।

5. भूमि अर्जन,पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं परदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के नियमानुसार प्रारंभिक अधिसूचना ई–राजपत्र के रुप में समूचित सरकार (छ.ग. शासन) की वेबसाइट में 02.10.15 को प्रकाशित कि जा चुकी है। ग्राम एकताल के लिए प्रारंभिक अधिसूचना (धारा11) का अंतिम प्रकाशन ग्राम प्रकाशन 08.11.15 के अनुसार 07.01.15 तक 60 दिन की समयावधि नियत थी। इस समय सीमा में प्राप्त आपत्ति विचार के लिये स्वीकार की गई है।

6. पूर्व में ग्राम एकताल में भू अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 4 (1) के तहत एनटीपीसी रेल लाईन के भू अर्जन हेतु कोई प्रकाशन नही करवाया गया।

7. कमिश्नर बिलासपुर संभाग बिलासपुर द्वारा इस भू अर्जन प्रकरण हेतु अनुमोदित पुर्नवासन योजना के सार का प्रकाशन ग्राम में धारा 19 के प्रकाशन के साथ किया जा चुका है।

8. दिनांक 03.6.2016 को धारा 19 के राजपत्र प्रकाषन उपरांत 27.6.2016 एवं पुनः 30.7.16 की तिथि नियत कर धारा 21 की सुनवाई की गई।इस प्रकार भू –अर्जन अधिनियम की धारा 19 एवं 21 के मध्य नियमानुसार एक माह से अधिक का समय देकर आपत्तियां ली गई। धारा 21 के नोटिस के पूर्व धारा 19 का प्रकाशन क्षेत्रिय एवं स्थानीय समाचार पत्रों में, संबंधित ग्राम प्रकाशन एवं अतिरिक्त रुप से रायगढ़ की वेब साइट में अपलोड कर दिया गया था।

9. अधिनियम की धारा 11 के पश्चात् समयावधि में प्राप्त दावा/आपत्तियों का निमयानुसार जांच कर निराकरण किया गया है।

10. भारत सरकार के द्वारा अधिसूचना दिनांक 18.12.15 की अधिसूचना के अध्याय 1 में उल्लेख है कि जहां केन्द्र सरकार समुचित सरकार के रुप में भू अर्जन कर रही है वही इस अधिसूचना के प्रावधान लागू होंगे। प्रकरण में संलग्न राजस्व दस्तावेजों तथा भूमि स्वामी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर नियमानुसार आवश्यक सुधार कर भू–अर्जन की कार्यवाही की जा रही है।

11. दिनांक 02.07.2014 को जिला स्तरीय पुनर्वास समिती की बैठक के बिन्दुओ को सक्षम अधिकारी (कमिश्नर बिलासपुर) के द्वारा भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं परदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 के सेडयूल 2 के अनुसार निर्देशित कण्डिकाओं का पालन करते हुए 25 जुलाई 2015 को अनुमोदित किया गया है। जिला

भू-अर्जन अधिकारी
अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
रायगढ़ (छत्तीसगढ़)

स्तरीय पुनर्वास समिती की बैठक वर्ष 2014–15 में माननीय मंत्री एवं विधायक महोदय, कलेक्टर,सी.ई.ओ.जिला पंचायत, अनुविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, पटवारी, ग्राम पंचायत आदि को सूचना देकर उपस्थिती में हुई थी। सभी बिंदुओं में चर्चा होने के पश्चात 8.7.14 को बैठक के बिंदुओं की प्रति भी सभी संबंधितों एवं पंचायत को उपलब्ध कराई गयी।

12. भारत में राज्य शासनों की पुर्नवास नीति के अनुसार, प्रचलित शासकीय नियम, भूमि का गाईड लाईन /ब्रिकी छांट मूल्य आदि का पालन करते हुये पुनर्वास नीति हर जगह राज्य शासन द्वारा अनुमोदित की जाती रही है। भूमि अर्जन,पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं परदर्षिता अधिकार अधिनियम 2013 के षेड्युल 1 एवं 2 के अनुसार एन.टी.पी.सी. तलाईपाली के भू–अर्जन प्रकरण हेतु पुर्नवास नीति सक्षम अधिकारी (कमिष्नर बिलासपुर) के द्वारा अनुमोदित है।

13. प्रकरण में अर्जित की जा रही भूमि के संबंध में प्रस्तुत राजस्व अभिलेखों में दर्ज भूमिस्वमी को धारा 21 की सूचना जारी की गई है। तथा उन्हें सूना गया है।

14. मौके पर खसरा नं. 235/2 रकबा 0.061, 303/2 रकबा 0.049, 305/2 रकबा 0.129, 306 रकबा 0.032, 307/2 रकबा 0.100, 312/3, रकबा 0.089, 779/1 रकबा 0.291 हे. भूमि रेल कोरिडोर में प्रभावित है। एवं उक्त खसरा नं. की भूमि पर वृक्षों की संख्या निम्नानुसार है। :– पलास 41, साजा 1, तेन्दु 1, चार 3, नीम 5, रिंया 2 खैर 11 पीपल 1 बेहरा 3 बबूल 1, कठली 2 महुआ 2 सेम्हर 1 नग पाये गये ।

77 विश्वरंजन आ0 सुरेष कुमार पण्डा ,श्रीमती रीना पति विष्वरंजन पण्डा,आत्माराम आ0 कृपासिंधू पण्डा, श्रीमती सुनीता पति आत्मा राम पण्डा, सुषील कुआर आ0 टिकेष्वर पण्डा, सभी निवासी ग्राम एकताल तह पुसौर जिला रायगढ़ द्वारा निम्नांकित बिन्दुओं पर आपत्ति की गई है:–

1. छत्तीसगढ़ शासन द्वारा ग्राम एकताल पटवारी हल्का नम्बर 8 तहसील पुसौर जिला रायगढ़ छ.ग. में स्थित भूमि स्वामी भूमि कुल खसरा नम्बर 110 कुल रकबा 19.296 एकड़ भूमि को एन.टी.पी.सी. तलाईपाली कोल माईन्स परियोजना के रेल लाईन निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भू–अर्जन की कार्यवाही की जा रही है जिसके संबंध में भू–अर्जन पुर्नवास तथा पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्षिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के तहत अभिलिखित सूचना दिनांक 27.04.2014 का प्रकाषन /जारी मई 2016 में ग्राम एकताल में किये जाने पर हम आपत्तिकर्तागण /केतागण को जानकारी हुआ है कि उक्त प्रयोजन हेतु किये जा रहे भू–अर्जन की कार्यवाही में सम्मिलित भूमि में आपत्तिकर्तागण /केतागण द्वारा दिनांक 23.03.2013 को विकेता विजय कुमार पण्डा वगैरह से कय की गई भूमि खसरा नम्बर 236/1 रकबा 0.056 हे. एवं खसरा नम्बर 236/4 रकबा 0.154 हे. में से एक खसरा नम्बर 236/4 रकबा 0.101 हे. भूमि को ग्राम के अन्य भूमियों के साथ अधिग्रहण हेतु कार्यवाही की जा रही है।

2. हम आपत्तिकर्तागण /केतागण दिनांक 20.05.2013 को उक्त कय की गई भूमि का कय दिनांक से स्वामी होने से ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 27.06.3013 को प्रस्ताव पारित कर नामान्तरण कमांक 35 वर्ष 2012–13 के रूप में नाम दर्ज कर अभिलेख दुरूस्त किया गया चूंकि उक्त भूमि में से खसरा नम्बर 236/4 रकबा 0.154 हे. में से रकबा 0.101 हे0 को एन.टी.पी.सी. लारा अन्तर्गत रेल लाईन हेतु प्रस्तावित करने पर अनुविभागीय अधिकारी रायगढ़ एवं कलेक्टर भू–अर्जन शाखा रायगढ़ के निर्देषानुसार दिनांक 16.01.2015 को तहसीलदार पुसौर द्वारा एक राजस्व पुर्नविलोकन प्रकरण कमांक 147/अ–6/14–15 दर्ज कर केता एवं विकेतागण को सुनवाई का अवसर दिये बिना दिनांक 28.01.2015 को आदेष पारित करते हुए हम केतागण के पक्ष में किये गये नामान्तरण को निरस्त कर विकेता अग्रवाल बिल्डर्स एवं डेवलपर्स भागीदार विकास आ. गुलाबचंद अग्रवाल मेन हास्पिटल के सामने रायगढ़ के नाम पर अभिलेख दुरूस्त करने का आदेष पारित कर दिया गया जबकी उक्त भूमि को विकास आ.गुलाबचंद अग्रवाल द्वारा दिनांक 20.08.2010 को नील एवं अंगद निवासी ग्राम एकताल से कय किया गया था।

3. हम केतागण/आपत्तिकर्तागण उक्त भूमि के संबंध में तहसीलदार पुसौर के राजस्व पुर्नविलोकन प्र.क्र.146 में पारित आदेष दिनांक 28.02.2015 के विरूद्ध श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी रायगढ़ के समक्ष एक राजस्व अपील प्र.क. 86/अ–6/15–16 प्रस्तुत किये है जो लंबित है।

एवं उक्त भूमि के विकेता विजय कुमार पण्डा वगैरह द्वारा भी तहसीलदार पुसौर के राजस्व पुर्नविलोकन कमांक 144/अ–6/15–16 में पारित आदेष दिनांक 28.02.2015 के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी रायगढ़ के न्यायालय के समक्ष राजस्व अपील प्र.क.क.87/अ–6/15–16 पुस्तुत किये हैं जो लंबित है।

भू-अर्जन अधिकारी
अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
रायगढ़ (छत्तीसगढ़)

4. आपत्तिकर्तागण /केतागण की अधिग्रहित की जा रही भूमि ख.नं. 236/4 रकबा 0.154 हे. कें अंतिम केतागण एवं भूमिस्वामी और कब्जाधारी है इसलिए उक्त भूमि के संबंध में एवार्ड राषि अंतिम केतागण /भूमिस्वामीगण के नाम तैयार कर प्रदान किया जावे या उक्त भूमि के संबंध में स्वामित्व के निराकरण तक एवार्ड/मुआवजा राषि का प्रदान की कार्यवही को स्थगित रखा जाना न्यायोचित होगा।

5. आपत्ति/आवेदक के समर्थन में आपत्तिकर्तागण/केतागण के पक्ष में निष्पादित पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 20.05.2013 की छाया प्रति अनुविभागीय अधिकारी रायगढ़ के समक्ष लंबित अपील प्र.क.86/अ–6/15–16 की अपील मे दिनांक 21.12.2015 तथा आदेष पत्र दिनांक पत्र दिनांक 23.03.2013 की प्रति संलग्न करते हैं।

उपरोक्त आपत्तियों का निम्नानुसार निराकरण किया गया :–

2. भू अर्जन की कार्यवाही के संबंध में ग्राम एकताल में धारा 11 की ग्राम प्रकाशन सूचना 30.10.2015 को पूर्व दी जा चुकी है।

2. शासन के निर्देशानुसार पूर्व में किय गए अवैध बंटवारे एवं नामांतरण निरस्त किये गये थे।

3. तहसीलदार पुसौर के 28.02.2015 को पारित आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी रायगढ़ के समक्ष कि गई अपिल के फैसले के द्वारा भूमि के स्वामित्व का निराकरण के पश्चात भू अर्जन कि मुआवजा राशि दिया जाना उचित होगा।

78 लक्ष्मी पति अमृत निवासी एकताल द्वारा निम्नांकित बिन्दुओं पर आपत्ति की गई हैः–

1. यह कि उपरोक्त जमीन मेरे जमीन खसरा नम्बर 801 रकबा 0.166 हे. भूमि मुनुराम को तबादला मे दिया गया है उक्त रकबे की भूमि में से 0.42 का मुआवजा राषि मेरे नाम से बनाया जावे उक्त तबादले को भूमि खसरा नं. 799/1 ब रकबा 0.045 हे. खसरा नं. 799/1 घ रकबा 0.040 हे. ख.नं. 799/1ड़ रकबा रकबा 0.045 हे. खसरा नं. 799/1च रकबा 0.045 हे. भूमि स्थित है। यह कि उपरोक्त चारों जो रेल्वे लाईन की भी रेल्वे लाईन में अधिग्रहित किया गया है, जिसका मुआवजा राषि प्राप्त होना है उक्त जमीन तबादले की भूमि है अतः उक्त प्राप्त होने वाली मुआवजा राषि प्रार्थी लक्ष्मी को प्रदान किया जावे।

2. मेरा एक मात्र आय का साधन कृषि है अन्य कोई साधन नहीं है तथा वर्तमान मे परिवार के पढ़ा लिखा व्यक्तिय है तथा उक्त जमीन के एवज में दिपिका पटेल को उक्त कम्पनी में नौकरी दिलवाना चाहता हूँ। अतः उसके योग्यतानुसार उक्त एनटीपीसी लारा में नौकरी प्रदान कराया जावे।

उपरोक्त आपत्तियों का निम्नानुसार निराकरण किया गया :–

1. राजस्व अभिलेख का अवलोकन करने पर पाया गया कि लक्ष्मी पति अमृत के नाम की भूमि तबादला नामा को निरस्त कर दिया गया है जिससे उक्त जमीन मूलतः मूल खातेदार के नाम पर वापस आ गया है जिस कारण आवेदिका लक्ष्मी पति अमृत के नाम पर प्रकरण बनाया जाना संभव नहीं है।

2. एन.टी.पी.सी. तिलाईपाली की रेल लाईन निर्माण हेतु भू–अर्जन प्रकरण में कमिश्नर बिलासपुर द्वारा अनुमोदित पुनः स्थापन एवं पुर्नवास योजना में उल्लेखित है कि रोजगार के नियमित अवसर इस परियोजना से सृजित नही होते है। अतः भू –अर्जन के बदले रोजगार देनें का प्रावधान नहीं है।

79 नान्हू पिता चिटकी द्वारा निम्नांकित आपत्ति की गई हैः– निवेदन है कि मैं नान्हूराम पटेल पिता चिटकी निवासी एकताल, तह. पुसौर, जिला रायगढ़ का निवासी हूँ मेरा भूमि स्वामी हक की जमीन खसरा नं. 799/4 रकबा 0.126 व 902/2 रकबा 0.047 हे. भूमि को एनटीपीसी लारा द्वारा रेल्वे लाईन हेतु अधिग्रहित किया गया है। हमारा एक मात्र आय का साधन कृषि था अन्य कोई साधन नहीं है। व पूरा परिवार पर कृषि पर आश्रित थे उक्त जमीन अधिग्रहित हो जाने से परिवार वालों के समक्ष अनेक प्रकार की कठिनाईयां उत्पन्न हो गयी है। वर्तमान मे मेरे परिवार में नाती लोग पढ़े लिखे व बेरोजगार है। तथा उक्त कम्पनी में कार्य करना चाहते है। जिस कारण उक्त अधिग्रहित किये गये भूमि के एवज मे उक्त एनटीपीसी लारा में नौकरी प्रदान कराया जावे जिससे नौकरी के माध्यम से परिवार का गुजर बसर हो सके। अतः निवेदन है कि उक्त अधिग्रहित जमीन के एवज में परिवार के एक सदस्य नाती अजय कुमार पटेल को एनटीपीसी लारा में उसकी योग्यतानुसार नौकरी दिलाए जाने की आदेष प्रदान करने की कृपा करें।

उपरोक्त आपत्तियों का निम्नानुसार निराकरण किया गया :–

भू–अर्जन अधिकारी
अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
रायगढ़ (छत्तीसगढ़)

एन.टी.पी.सी. तिलाईपाली की रेल लाईन निर्माण हेतु भू–अर्जन प्रकरण में कमिश्नर बिलासपुर द्वारा अनुमोदित पुनः स्थापन एवं पुर्नवास योजना में उल्लेखित है कि रोजगार के नियमित अवसर इस परियोजना से सृजित नही होते है। अतः भू –अर्जन के बदले रोजगार देने का प्रावधान नहीं है।

80 मुनूराम पटेल द्वारा निम्नांकित आपत्ति की गई हैः– निवेदन है कि आवेदक मुनुराम आ0 षंभू जाति अघरिया निवासी ग्राम एकताल तहसील पुसौर जिला रायगढ़ छ.ग. का निवासी हुँ जो स्वयं के हक अधिपत्य एवं स्वामित्व की भूमि ग्राम एकताल प.ह.न. 8 तहसील पुसौर जिला रायगढ़ में खसरा नंबर 800 में रकबा 142 हे. भूमि को एनटीपीसी रेल्वे लाईन में अधिग्रहित किया गया है और कुछ जो कि 0.058 हे. भूमि जो आवेदक का बचता है जिसे रेल्वे लाईन में लिया जाकर आवेदक को सही सही मुआवजा राषि प्रदान किया जावे अन्यथा आवेदक के खसरा नं. 800 के समस्त भूमि को आवेदक को वापस किया जावे।

महोदय जी यदि 0.058 हे. का अधिग्रहण किया जाता है तो आवेदक उक्त भूमि से कृषि कार्य करने एवं अन्य किसी भी प्रकार की कार्य करने में भारी असुविधा होगी इसलिये उक्त भूमि को भी रेल्वे लाईन में अधिग्रहित किया जावे अन्यथा स्थिति में आवेदक के उक्त वर्णित खसरा नं. 800 के सम्पूर्ण भूमि आवेदक को वापस प्रदान किया जावे। अतः श्रीमान से निवदेन है कि आवेदन पत्र स्वीकार कर आवेदक अधिग्रहित से बचत भूमि 0.058 हे0 भूमि का रेल्वे लाईन हेतु अधिग्रहित किये जाने एवं उसका सही मुआवजा राषि प्रदान करने की कृपा करें।

उपरोक्त आपत्तियों का निम्नानुसार निराकरण किया गया :–

आपत्तिकर्ता द्वाराआपत्ति की गई भूमि ख. नं. 800 रकबा 0.202 हे. में से 0.040 हे. भूमि मौके पर प्रभावित एवं 0.162 हे. भूमि शेष बचता है । अनुविभागीय अधिकारी के निर्देशानुसार 0.020 हे. से अधिक भूमि शेष बचने की स्थिति में अर्जित किया जाना सम्भव नहीं है।

प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन के अनुसारअद्यतन राजस्व अभिलेख में दर्ज अनुसार भू–अर्जन प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किया गया है। जिसके अनुसार भू–अर्जन की कार्यवाही की जा रही है, और अद्यतन राजस्व अभिलखों में दर्ज नामों के अनुसार मुआवजा आदि की गणना किया गया। तथा मुआवजा राशि का भुगतान न्यायालय के निर्णय अनुसार किया जावेगा। तद्नुसार आपत्ति का निराकरण किया गया।

(6) उपरोक्त अधिग्रहित की जा रही भूमि के संबंध में स्थल जांच प्रतिवेदन दि. 20/10/2016 एवं पंचनामा दिनाँक 17/05/2016 के साथ आवेदक निकाय, एवं तहसीलदार रायगढ़ की ओर से राजस्व निरीक्षक, हल्का पटवारी द्वारा संयुक्त रूप से प्राप्त हुआ। अधिग्रहित की जा रही भूमि का स्थल जांच कर भूमि तथा भूमि पर स्थित परिसंपत्तियों का नियमानुसार निर्धारित मापदंण्ड के अनुसार मुआवजा का गणना पत्रक–भाग–1 क,ख,ग,घ तैयार कर प्रस्तुत किया गया है, जो आदेश का अंग है।

(7) अधिग्रहित खसरा नं. 287/6 रकबा 0.121 हे. भूमि तालाब भूमि को कलेक्टर के मौखिक आदेशानुसार परिसंपत्ति मानकर मूल्यांकन किया गया है।

(8) अर्जित की जा रही भूमि का उप पंजीयक, रायगढ़ द्वारा प्राप्त केन्द्रीय मूल्याँकन बोर्ड, रायपुर द्वारा अनुमोदित गाईड–लाईन वर्ष 2015–16 की दर,औसत विक्रीछांट दर तथा आदर्श पुनर्वास नीति (संषोधित) की दर से तुलना में गाईड लाईन की दर अधिक होने के फलस्वरूप गाईड–लाईन वर्ष 2015–16 की दर के अनुरूप मुआवजा का निर्धारण किया गया है। छ.ग. राजपत्र में प्रकाशित दिनांक 02.10.2015 के अनुसार बाजार मुल्य पर धारा 30(3) के अनुसार 12 प्रतिशत ब्याज की राशि (20 महीने) मुल्यांकन परिगणना कर प्रत्रक – भाग–1 क, ख, ग, घ तैयार किया गया है।

भूमि का प्रकार	गाईड लाईन वर्ष 2015–16 की दर प्रति हे0 में.	बिक्री छांट के अनुसार दर प्रतिहे0 में.	पुर्नवास नीति के अनुसार दर प्रति एकड़
असिंचित खार	798000/–	630160/–	800000/–
सिंचित एकफसली	1227000/–	630160/–	1000000/–
सिंचित दोफसली	1533750/–	630160/–	1000000/–

भू अर्जन अधिकारी
अनुविभागीय अधिकारी
रायगढ़ (छत्तीसगढ़)

(क) भूमि का मुआवजा –

क्र.	अधिग्रहित भूमि का		गाईड लाईन के अनुसार कुल मुआवजा राशि	बिक्री छांट के दर से कुल मुआवजा राषि	पुनर्वास नीति की दर से कुल मुआवजा की राशि	देय मुआवजा
	प्रकार	रकबा				
1	असिंचित खार	13.689	45880058/–	8626261/–	27060415/–	45880058/–
2	सिंचित एकफसली	0.178	917305/–	112169/–	439838/–	917305/–
3	सिंचित दोफसली	0.340	2190198/–	214254/–	840140/–	2190198/
4	तालाब	0.121	0	0	0	0
कुलयोग		**14.328**	48987561/-	8952684/–	28340393/–	**48987561/-**

(ख) अर्जित भूमि पर स्थित परिसम्पत्तियों का मुआवजा – **रू.489942/–**
(ग) अर्जित भूमि पर स्थित वृक्षों का मुआवजा – **रू.2941938/–**

(घ) भूमि परिसंपत्तियों तथा वृक्षों का मुआवजा (क+ख+ग का योग) **रू.52419441/–**

(9) प्रकरण मे भू–अर्जन पुनर्वास और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता के अधिकार अधिनियम 2013 के अनुसार राज्य शासन द्वारा जारी निर्देशों के तहत पुर्नवास प्रतिवेदन तैयार कराने एवं पुर्नवास अवार्ड पारित करने की कार्यवाही पृथक से की जा रही है।

(10) तद्नुसार महाप्रबंधक एनटीपीसी तलाईपाली कोल माईनिग परियोजना के रेल लाईन निर्माण के लिये ग्राम की अधिग्रहित निजी भूमि कुल खसरां नं. **97** कुल रकबा **14.328** हे. भूमि तथा भूमि पर स्थित वृक्षों का कुल मुआवजा राशि रूपये **52419441 (पॉच करोड़ चौबीस लाख उन्नीस हजार चार सौ एकतालीस रूपये मात्र)** परिगणित होता है तथा भूमि तथा भूमि पर स्थित परिसंपति का मुआवजा गणना पत्रक–भाग–1 क,ख,ग,घ अवार्ड आदेश का अंग माना जावे। महाप्रबंधक एनटीपीसी तलाईपाली कोल माईनिग परियोजना द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार अर्जित की जा रही भूमि का मुआवजा राशि छ.ग.शासन राजस्व एवं प्रबंधन विभाग का पत्र क्रमांक एफ–4–03/सात–1/2014 रायपुर दिनांक 24.02.2014 कलेक्टर रायगढ़ के पत्र क्रमांक 1539/भू– अर्जन/2014 दिनांक 28.02.2014 एवं राजस्व आपदा प्रबंधन विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर के अधिसूचना क्र. एफ–4–28/सात–1/2014/दिनांक 04.12.2014 द्वारा दिये गये निर्देशानुसार गाईड–लाईन वर्ष 2015–16 की दर एवं छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति 2007 (संशोधित) दर से तुलना कर गाईड–लाईन वर्ष 2015–16 की दर अधिक होने के कारण गाइड लाइन की दर से अधिकतम देय मुआवजा की परिगणना की गई है।

तद्नुसार प्रकरण में अवार्ड आदेश पारित किया जाता है।

भू–अर्जन अधिकारी एवं
अनुविभागीय अधिकारी (रा.)रायगढ़
जिला रायगढ़ (छ0ग0)

पृ.क्रमांक. 819 /भू–अर्जन/2017,
प्रतिलिपिः–

रायगढ़ दिनांक 06–05–2017

1– आयुक्त, बिलासपुर संभाग, बिलासपुर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित ।

2. कलेक्टर, भू–अर्जन शाखा रायगढ़ को सूचनार्थ सम्प्रेषित। निवेदन है कि प्रकरण में पारित अवार्ड राशि रू **52419441/–** आवेदक निकाय द्वारा जमा किये जाने की सूचना इस कार्यालय को भिजवाने का कष्ट करें, ताकि तत्संबंधी प्रवृष्टि प्रकरण/पंजी में की जा सके। तथा अनुविभागीय अधिकार (रा.) सह भू–अर्जन अधिकारी रायगढ़ के नाम से बैंक खाते में जमा राशि से अवार्डधारियों को भुगतान की कार्यवाही की जा सके। राशि की आवश्यकता होने पर पृथक से मांग की जावेगी।

3. महाप्रबंधक,एनटीपीसी तलाईपाली कोल माइनिंग परियोजना घरघोड़ा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। कृपया अवार्ड की प्रति संबंधित भू–स्वामियों को उपलब्ध करावे। प्रकरण में समय–सीमा के भीतर पुनर्वास अवार्ड की कार्यवाही पूर्ण किया जाना है। अतः पुनर्वास प्रतिवेदन मय विहित प्रारूप में गणना पत्रक के साथ तत्काल इस कार्यालय में प्रस्तुत करें।

4. उप पंजीयक, रायगढ़ को सूचनार्थ अग्रेषित।

5. तहसीलदार, पुसौर,

6. राजस्व निरीक्षक, पुसौर,

7. हल्का पटवारी क्रमांक 08, रा.नि.मं. पुसौर

– को अभिलेख दुरूस्ती हेतु अग्रेषित।

भू–अर्जन अधिकारी एवं
अनुविभागीय अधिकारी (रा.)रायगढ़
जिला रायगढ़ (छ0ग0)